पंचम माला, खंड 61, अंक 37, मंगलवार, 11 मई, 1976/21 वैशाख, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXI, No. 37, Tuesday, May 11, 1976/Vaisakha 21, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[16वां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 61 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक· 37, मंगलवार, 11 मई, 1976/21 वैशाख, 1898 (शक)
No. 37, Tuesday May 11, 1976 / Vaisakha 21, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1—23
*तारांकित प्रश्न सं० 751 से 754, 756 से 759, 761 और 764	*Starred Questions Nos. 751 to 754, 756 to 759, 761 and 764 . .	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	23—74
तारांकित प्रश्न संख्या 755, 760, 762, 763 और 767 से 770	Starred Questions Nos. 755, 760, 762 763 and 767 to 770 . . .	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3698 से 3786	Unstarred Questions Nos. 3698 to 3786	29—73
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	73-74
अनुदानों की मांगें--1976–77	Demands for Grants, 1976-77	74—87
इस्पात और खान मंत्रालय	Ministry of Steel and Mines—	74
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	74-75
श्री दामोदर पाण्डेय	Shri Damodar Pandey	75-76
श्री धन शाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	76
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	76-77
श्री प्रबोध चन्द्र	Shri Prabodh Chandra	77-78
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Shri Govind Das Richariya	78

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

442LSS/76

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	78
श्री सुखदेव प्रसाद	Shri Sukhdev Prasad	78—80
श्री सी० डी० गौतम	Shri C. D. Gautam	80
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	80
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	80-81
श्री गिरधार गोमांगों	Shri Giridhar Gomango	81
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	82
श्री एस० एन० सिंहदेव	Shri S. N. Singh Deo	82-83
श्री एन० पी० यादव	Shri N. P. Yadav	83
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav	83—87
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	Ministry of Law, Justice and Company Affairs—	87—103
श्री सोमानाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	87—90
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	90-91
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	91-92
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	92-93
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	93-94
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	94-95
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	95-96
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	Shri Satyendra Narayan Sinha	96-97
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	97-98
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri Aravinda Bala Pajanor	98
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	98-99
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	99
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	99-100
डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad	100—103
रसायन और उर्वरक, संचार मंत्रालय आदि	Ministries of Chemicals and Fertilizers, Communications etc.	103—105
विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976	Appropriation (No. 4) Bill 1976 .	106
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	106
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam	106
संख्या 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	105
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass . . .	105
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam	106

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनुदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 11 मई, 1976/21 वैशाख, 1898 (शक)

Tuesday, May 11, 1976/Vaisakha 21, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अधिक खपत वाली औषधियों की लागत का निर्धारण

*751. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अधिक खपत वाली कितनी औषधियों का लागत-मूल्य निर्धारित किया गया और इस समय सरकार के पास लागत-मूल्य निर्धारित करने के लिए कितनी औषधियों के मामले अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी सामान्य पूंजी वाली लगभग सभी विदेशी औषध फर्मों ने अपने उपभोग के लिए अपने द्वारा बनाई गई अधिक खपत वाली औषधियों का मूल्य इच्छानुसार निर्धारित किया है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन फर्मों की अधिक खपत वाली औषधियों का मूल्य-निर्धारण समय-बद्ध कार्यक्रम में करने का है ;

(ग) क्या आई०डी० पी० एल० द्वारा निर्मित अधिकखपत वाली औषधियों का लागत मूल्य निर्धारित कर दिया है ; और

(घ) सीमाशुल्क में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप विभिन्न अधिक खपत वाली औषधियों तथा फार्मुलेशनों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान सरकार द्वारा 150 प्रपुंज औषधों के मूल्य संशोधनों के मामले हाथ में लिए गए थे। इन मामलों पर पहले ही निर्णय ले लिया गया है। वर्ष 1973-74 के लिए सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी। निम्नलिखित दो मामलों पर जांच अभी होनी है :—

(i) एल० बेस सेक्लोरमफैनीकोल

(ii) विटामिन बी-12

(ख) औषधियों के मूल्य सांविधिक रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित किए जाते हैं। सभी निर्माताओं को 1970 में उक्त आदेश के लागू होने पर अथवा बाद में जब वे प्रथम बार उत्पादन आरम्भ करें, अपने मूल्यों की घोषणा करने को कहा गया था। प्रथम बार उत्पादन करने पर निर्माताओं को प्रपुंज औषधों के मूल्यों को अधिसूचित करने में समर्थ बनाने के उपरोक्त प्रावधान के बावजूद 1974-75 के दौरान किसी विदेशी कम्पनी द्वारा घोषित मूल्य को केवल अधिसूचित करने का कोई मामला नहीं था। विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित अनेक औषधों की लागत की भी जांच हो गई है और स्वयं की खपत तथा बिक्री दोनों के लिए सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित किए गए हैं। बी०आई०सी०पी० द्वारा लागत-जांच किए हुए प्रपुंज औषधों की एक सूची संलग्न है जिनके लिए सरकार द्वारा 1-1-75 से 30-4-76 तक मूल्य निर्धारण/संशोधन किया गया है जो 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली कम्पनियों के लिए है। चूंकि औषधों के मूल्य पहले ही सांविधिक रूप से नियंत्रित किए जाते हैं। अत : इस समय उत्पादित प्रपुंज औषधों की लागत जांच के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 30-3-76 को आई०डी०पी०एल० के उत्पादन सीमा में 30 प्रपुंज औषधों में से 4 प्रपुंज औषधों की लागत जांच टैरिफ आयोग द्वारा 10 प्रपुंज औषधों की लागत-जांच औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की कार्य-कारी दल द्वारा और 6 की लागत जांच बी०आई०सी०पी० द्वारा की गई थी उपरोक्त के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किए गए हैं।

(घ) हाल ही में प्रवृत्त भारतीय कस्टम टैरिफ अधिनियम 1975 में सम्बन्धित पार्टियों के साथ समझौते के लिए लम्बित करारों के अन्तर्गत किए जाने वाले करारनामों के बारे में सरकार ने गार (जी०ए०टी०टी०) परिषद् से सामान्य अधित्याग प्राप्त कर लिया है प्राप्त अधित्याग को ध्यान में रखते हुए औषधों सहित अनेक मदों को दी जाने वाली छूट 16-3-1976 से वापस ले ली गई हैं। इसके परिणामस्वरूप अनेक आयातित प्रपुंज औषधों के सीमा शुल्क में वृद्धि हो गई है। सी०ए०पी०सी० ओ० द्वारा आयातित प्रपुंज औषधियों के मूल्यों को सरकार ने हाल ही में संशोधित किया है और पहले वाले मूल्यों तथा संशोधित अंतरिम मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 10826/76**] जहां औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत निर्धारित पद्धति के अनुसार सीमा शुल्क में वृद्धि के बारे में पार्टी आवेदन-पत्र देती है/दे दिया है, वहां सूत्रयोगों/प्रपुंज औषधों

के मूल्य में हुई वृद्धि की जांच संबंधित औषधों के लिए औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा की जाएगी। सीमा शुल्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों में वृद्धि का पूरा-पूरा प्रभाव, बी० आई० सी० पी० द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार किए जाने के पश्चात् ही जाना जा सकेगा।

श्री भालजी भाई परमार : क्या यह सच है कि सीबा, गेगी, गलैक्सो, होएस्ट तथा में एण्ड बेकर ने उपान्तय अन्तवर्ती औषधियों (पैनल्टीमेट इन्टमीडिएट्स) से बनने वाली अधिकांशतः सभी 75 औषधियों के मनमाने दाम घोषित किए हैं तथा यह कम्पनियां औषधियों तथा सूत्रयोगों का अधिक मूल्य लेकर काफी लाभ कमा रही हैं तथा गरीब ग्राहकों पर बोझ डाल रही हैं? क्या सरकार का विचार निश्चित अवधि के भीतर इन कम्पनियों द्वारा तैयार की जाने वाली दवाइयों की लागत की जांच करने का है। यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

श्री सी० पी० माझी : औषधियों के मूल्य पर सांविधिक नियंत्रण होता है तथा औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो, कार्यकारी दल, प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर समय-समय पर औषधियों के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं अतः जब भी कोई नई औषधि बाजार में आती है उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है तथा साथ-साथ पुरानी औषधियों के मूल्य भी नियत किए जाते हैं।

श्री भालजी भाई परमार : मैं यह जानना चाहता हूं कि आई०डी०पी०एल० की कितनी दवाइयों की लागत का निर्धारण अभी किया जाना है। क्या यह सच है कि आई० डी० पी० एल० की अधिकांश बल्क औषधियों के मूल्य निर्धारण कार्यकारी दल के प्रतिवेदन के आधार पर किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आई०डी०पी०एल० ने अपने उत्पादन में वृद्धि की है। लेकिन क्या यह सच है कि लागत जांच किए बिना तदर्थ आधार पर दवाइयों के मूल्य निर्धारित किए गए हैं। क्या सरकार आई०डी०पी०एल० द्वारा तैयार की जाने वाली औषधियों की लागत की जांच कराने के लिए सहमत है।

श्री सी० पी० मांझी : मैं प्रश्न समझ नहीं पाया।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई बल्क औषधियों की वास्तविक लागत के आधार पर लागत जांच कराने का है और क्या उत्पादन तथा सीमाशुल्क में हाल में की गई वृद्धि के बाद राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई बल्क औषधियों के मूल्य में परिवर्तन किया गया है तथा क्या सरकार ने औषधियों के मूल्य निर्धारित करते समय राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित किए गए लाभों को ध्यान में रखा है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : जहां तक उत्पादन शुल्क का संबंध है जैसे ही वित्त मंत्री ने इस संबंध में घोषणा की कम्पनियों को उत्पादन शुल्क की वृद्धि के आधार पर मूल्य में परिवर्तन करने के लिए कहा गया। जहां तक सीमा शुल्क के प्रभाव का संबंध है इन कम्पनियों को औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से संपर्क स्थापित करना होगा तथा ब्यूरो द्वारा लागत की जांच करने के बाद मूल्यों में परिवर्तन किया जाएगा अन्यथा नहीं।

पिम्परी औषध एकक

*752. श्री **वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे के निकट पिम्परी औषध एकक अधिष्ठापित क्षमता से कम कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) 1974-75 और 1975-76 के दौरान एच० ए० एल० के उत्पादन क्षेत्र में प्रमुख मदों की स्थापित क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता से संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :--

मद	स्थापित क्षमता	उत्पादन		प्रतिशत उपयोग	
		1974-75	1975-76	1974-75	1975-76
पेंसिलिन (एम० एम० यू०)	84	62.83	64.82	75	77.4
स्ट्रैप्टोमाइसीन (मी टन)	80	63.37	62.1	78.7	77.5
भरे हुए वायल्स (लाख)	600	434	522	72	87

(ख) प्रपुंज औषधों के संबंध में कुछ आवश्यक कच्चे माल की अनुपलब्धता और विद्युत की कटौती और वायल्स के उत्पादन के लिए ग्लास वायल्स की अनुपलब्धता क्षमता के कम उपयोग के मुख्य कारण थे।

(ग) विदेशों से अच्छे स्ट्रेन प्राप्त करके पेंसिलिन और स्ट्रैप्टोमाइसीन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसी प्रकार ग्लास वायल्स की सप्लाई के लिए वैकल्पिक स्रोतों की भी खोज कर ली गई है। यह आशा की जाती है कि कच्चे माल की स्थिति में सुधार होने और प्रौद्योगिकी की स्थिरता से क्षमता का लगभग पूरा उपयोग किया जाएगा।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : विवरण में कहा गया है कि :

"यह आशा की जाती है कि कच्चे माल की स्थिति में सुधार होने और प्रौद्योगिकी की स्थिरता से क्षमता का लगभग पूरा उपयोग किया जाएगा।"

मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ऐसा किया जाएगा चूंकि यह देश में आधारभूत एण्टी-

बायोटिक्स बनाने वाला मुख्य संयंत्र है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पैनिसिलीन और स्ट्रैप्टोमाइसीन दवाइयों के निर्माण के अतिरिक्त इसने क्या उन अन्य दवाईयों का निर्माण भी प्रारंभ किया है जिनका प्रयोग देश में प्रचुर मात्रा में किया जाता है तथा जिनका आजकल हम विदेशों से आयात कर रहे हैं, यदि हां तो उन दवाइयों के नाम क्या हैं और क्या उनका उत्पादन संतोषजनक रूप में हो रहा है।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : इस संयंत्र में पैनिसिलीन, स्टैप्टोमाइसीन वायलस, टैबलैट्स, कैपशूल्स इत्यादि अन्य दवाइयां बनाई जाती हैं। 1975-76 में पैनिसिलीन (बल्क) और स्ट्रैप्टोमाइसीन (बल्क) का उत्पादन हुआ। हाल ही में हमने जापान से प्रौद्योगिकी का आयात करने की कोशिश की है। हमने एक करार किया है। पैनिसिलीन और स्ट्रैप्टोमाइसीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। हम आशा करते हैं कि कुछ समय के भीतर हम उत्पादन बढ़ाने में समर्थ होंगे और यह आधुनिक प्रौद्योगिकी के लगभग समकक्ष होगी।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या इस कम्पनी ने विस्तार और विविधिकरण के लिए कोई योजना पेश की है। यदि हां, तो वह योजना क्या है और उसके लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी और सरकार ने किस हद तक इन योजनाओं के वित्तपोषण और क्रियान्विति के लिए स्वीकृति दी है।

श्री पी० सी० सेठी : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इस कम्पनी के उत्पादन के विस्तार और विविधिकरण के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। उन्हें यह धन दिया जाएगा। और इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों पर किया जाएगा। पैनिसिलीन संयंत्र की क्षमता का विस्तार जिसमें लगभग 2.92 करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय होगा ; स्ट्रैप्टोमाइसीन संयंत्र का विस्तार जिसपर लगभग 2.91 करोड़ लागत आएगी, अर्ध मिश्रित पेनिसिलीन संयंत्र का विस्तार जिस पर लगभग 1.67 करोड़ रुपए लागत आएगी। एरीथ्रोमाइसीन संयंत्र की स्थापना जिस पर 4.15 करोड़ रुपए लागत आएगी; नए फार्मूलेशन्स संयंत्र की स्थापना जिस पर 4.46 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

तकनीकी दल द्वारा ए०बी०पी० के विस्तार के साथ-साथ पैनिसिलीन, स्ट्रैप्टोमाइसीन, एरीथोमाइसीन संयंत्र के संभाव्यता प्रतिवेदनों की जांच की जा रही है।

श्री अनन्तराव पाटिल : विवरण से ज्ञात होता है कि वर्ष 1974-75 के दौरान पैनिसिलीन के मामले में उसकी उपयोग क्षमता 75, स्ट्रैप्टोमाइसीन की 78.7 और वाएलों की 72 प्रतिशत है। वर्ष 1975-76 के क्रमश: आंकड़े 77.4, 77.5, और 87 हैं मैं मंत्री महोदय से जानाना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स जैसे आधुनिक औषध उद्योग द्वारा गत कुछ वर्षों में वाएलों के मामले, में केवल 72 प्रतिशत उपयोग क्षमता संतोषजनक है। औषध उद्योग के क्या सिद्धांत हैं हालांकि उपयोग क्षमता केवल 70 प्रतिशत है फिर भी मंत्री महोदय का कहना है कि वह परियोजना के विस्तार के लिए स्वीकृति दे रहे हैं। यह कार्यक्रम कब शुरू किया जाएगा। क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड की स्थिति वर्ष 1976-77 में न लाभ न घाटे की रही है।

श्री पी० सी० सेठी : वस्तुत: क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा और इस संबंध में स्थिति संतोषजनक नहीं है। हमने मौके पर जांच की है और साथ ही हमें कम्पनी से एक रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। उनका कहना है कि क्षमता का पूर्ण उपयोग एक तो बिजली की कमी दूसरे कच्चे माल जैसे मैथानोल और कास्टिक सोडे की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो पा रहा। अब बहरहाल काटिस्क सोडा प्रचुरमात्रा में उपलब्ध हो रहा है। उनका कहना है कि उनके पास धनाभाव है लेकिन हमारे विचारानुसार उन्हें धनाभाव नहीं है वस्तुत: मेथानोल की अनुपलब्धता, बिजली की कमी तथा कुछ श्रम समस्याओं के कारण वह क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाए।

अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने वाले रेलवे वर्कशाप

*753. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सभी वर्कशाप अपनी अधिष्ठापित क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) 1974-75 और 1975-76 में इन वर्कशापों का उत्पादन कितना था?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) रेलवे के मरम्मत कारखानों में उपलब्ध क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया गया है। जहां तक उत्पादन यूनिटों का संबंध है, चितरंजन रेल इंजन कारखाना और डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में उपलब्ध क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन धन की कमी के कारण, सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर में उपलब्ध क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना संभव नहीं हो पाया है।

(ख) और (ग)

(i) रेलवे के मरम्मत कारखाने :

चल-स्टाक की किस्म	ओवरहाल/मरम्मत की क्षमता	ओवरहाल/मरम्मत किए गए चल स्टाक की कुल संख्या	
		1974-75	1975-76
(1)	(2)	(3)	(4)
बड़ी लाइन के भाप रेल इंजन	1675	1535	1712
मीटर लाइन के भाप रेल इंजन .	1454	1280	1383*
बड़ी लाइन और मीटर लाइन के डीज़ल इंजन	102	103	125

*भारी मरम्मतों के फलस्वरूप काम की मात्रा अधिक होने के कारण, उत्पादन कुछ कम हुआ है लेकिन मरम्मत क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)
बड़ी लाइन का चौपहिया कोचिंग स्टाक	22000	18850	21446**
मीटर लाइन का चौपहिया कोचिंग स्टाक	17254	15026	16637**
बड़ी लाइन के चौपहिया माल डिब्बे .	85613	74134	96649
मीटर लाइन के चौपहिया माल डिब्बे	26063	24104	31364

**बड़ी लाइन और मीटर लाइन के सवारी डिब्बों में बड़े पैमाने पर कटाव सम्बन्धी मरम्मत के कारण, उत्पादन कुछ कम हुआ है लेकिन उपलब्ध क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया गया है।

(ii) रेलवे के उत्पादन कारखानें :

उत्पादन कारखानों की मद (ख) और (ग) के संबन्ध में स्थिति नीचे बतायी गई है :—

उत्पादन कारखाने	प्रति वर्ष संस्थापित क्षमता	के दौरान उत्पादन	
		1974-75	1975-76
चितरंजन रेल इंजन कारखाना .	66 बिजली रेल इंजन + 50 डीजल रेल इंजन	46 बिजली रेल इंजन + 34 डीजल रेल इंजन	54 बिजली रेल इंजन + 28 डीजल रेल इंजन
डीजल रेल इंजन कारखाना	120 रेल इंजन	85 रेल इंजन	110 रेल इंजन
सवारी डिब्बा कारखाना .	750 सवारी डिब्बे	584 खोल 570 साज-सामान युक्त सावरी डिब्बे	535 खोल 517 साज-सामान युक्त सवारी डिब्बे। इसके अलावा, भारी कटाव और आवधिक ओवर-हाल सम्बन्धी मरम्मत के लिए 132 सवारी डिब्बों की मरम्मत की गयी।

चितरंजन रेल इंजन कारखाना :— धन की कमी के कारण, 1975-76 के बाद से रेल इंजनों का उत्पादन सीमित कर दिया गया है। उपलब्ध क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के उद्देश्य से, अतिरिक्त बिजली कर्षण मोटरों और बोगियों का उत्पादन करके भाप रेल इंजन पुर्जों का निर्माण करके डीजल रेल इंजनों का ओवरहाल करके और बिजली रेल इंजनों की मरम्मत करके विभिन्न उपाय किए गए।

डीजल रेल इंजन कारखाना:—धन की कमी के कारण 1975-76 से डीजल रेल इंजन कारखाने में रेल इंजनों का उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। डीजल रेल इंजन कारखाने में क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के उद्देश्य से जोरदार परिवर्तन किए गए और डीजल रेल इंजनों के अनुरक्षण के लिए डीजल रेल इंजन कारखाने क्षेत्रीय रेलों को बड़ी संख्या में फालतू कल-पुर्जे सप्लाई किए। डी०एल०डब्ल्यू० ने निर्यात में भी भाग लिया।

सवारी डिब्बा कारखाना:—सवारी डिब्बा कारखाने में उत्पादन केवल धन की कमी के कारण कम हुआ। फालतू क्षमता का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से परिवर्तन सम्बन्धी उपाय किए गए। रेलों से कटाव मरम्मत और ओवर-हाल के लिए सवारी डिब्बे भेजे गए।

SHRI ISHAQUE SAMBHALI : It has been pointed out at a number of places in the statement that it had not been possible to fully utilise the available capacity due to constraint of funds. Though the railway workers and the Railway Ministry deserves our congratulation for the excellent performance shown after the declaration of emergency. I fail to understand that constraint of funds have stood in the way of full utilisation of production capacity despite the fact that a number of railway items are exported and they are much in demand in foreign market and we are trying for diversification also.

It is evident from the statement furnished by the hon. Minister that production in Chittaranjan Locomotive Works showed an increase in the matter of electric locos as it was 46 in 1974-75 and 54 in 1975-76. But the production of diesel locos has decreased, as it was 34 in 1974-75 and only 28 in 1975-76. I would like to know the reasons for this shortfall in production ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : I want to make it clear that installed capacity is worked out on the basis of plants and machinery. Production is a separate thing. It is quite correct that due to financial stringency we had not been able to allot sufficient funds required for the full utilisation of the capacity. But we have made it clear in the statement where the capacity has not been fully utilised. Diversification has been done.

MR. SPEAKER : The hon. Member wants to know the reasons for the downfall in the production of diesel locos.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : The shortfall in production is attributable to non-allotment of sufficient funds due to financial stringency.

SHRI ISHAQUE SAMBHALI: Mr. Speaker, Sir, whereas we are looking for new items for exports and whereas much work was entrusted to the wagon manufacturing companies in the private sector like the Modern Engineering Works etc. I would like to know as to why the capacity in railway workshops was allowed to remain idle and why the available capacity in public sector in H. E. C. etc. was not utilised ? I would like to know the Government's policy in this regard ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : So far as the question of utilisation of capacity is concerned we are trying to make full utilisation of capacity and that is why we are trying to find out export market. For example DLW has recieved a order for 15 locomotives from Tanzannia and in this way full capacity will be utilised. Likewise the Integral Coach Factory has received order for 9 Coaches from Philippines and 64 Coaches from Taiwan. Same orders have been received from Burma also. So capacity is being utilised by getting export orders.

श्री था किरुतिनन: जबकि डी०एल०डब्ल्यू० वाराणसी तथा चितरंजन लोकोमोटिव जैसे अन्य कारखानों में पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया गया है और उत्पादन नहीं बढा है आई०सी०एफ० मद्रास ने अपने लक्ष्य से भी अधिक उत्पादन किया है और यदि हां तो मैं

जानना चाहता हूं कि लक्ष्य से अधिक उत्पादन कब से हो रहा है और कितना हुआ है। आई०सी०एफ० के दक्षतापूर्ण कार्यकरण को देखते हुए क्या रेलवे मंत्रालय का विचार इस कारखाने को दो भागों में विभाजित करने और देश में किसी अन्य स्थान पर ले जाने का है?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: जहां तक प्रश्न के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है आई० सी० एफ० को मद्रास से कहीं अन्यत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंटेग्रल कोच फैक्ट्री की प्रतिस्थापित क्षमता 750 डिब्बे बनाने की है। हम लगभग 517 सुसज्जित डिब्बे तथा 535 शैल बना पाए हैं। यह एक सराहनीय कार्य है और इसका विदेश बाजार पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा है। यदि अधिक धन उपलब्ध होता तो हम और अच्छा कार्य कर सकते थे।

SHRI BHAGAT ZHA AZAD : While expressing happiness that full capacity has been utilised in Railway workshops except some workshops. I would like to know whether the hon. Railway Minister has tried to find out the reasons for this landable improvement in the working of the workshops, whereas the men and the material remains the same as it was few years ago. I would like to know whether after ascertaining the reasons for this improvement, he would give such directions that this performance is maintained not only in emergency but in normal times also.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : Much credit for this landable performance goes to our hon. Railway Minister. There were numerous difficulties in 1974 like strikes, squattings, non-availability of material etc. etc., but now after the imposition of discipline the position has changed altogether. It has yielded good results.

महाराष्ट्र में बिना चौकीदार वाले फाटकों पर दुर्घटनाएं

*754. **श्री शंकर राव सावंत**: क्या रेल मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर कितनी दुर्घटनाएं घटीं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों की संख्या कम करने का है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष में इसके लिए कितनी धनराशि रखी गई है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) गत तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् 1973-74 से 1975-76 तक महाराष्ट्र में, बिना चौकीदार वाले समपारों पर 11 दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) जी हां।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र में बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार रखने या मौजूदा चौकीदारों वाले समपारों का दर्जा बढ़ाने के लिए कुल 4.19 लाख रुपए धनराशि उपलब्ध हैं जो रेलों द्वारा सीधी खर्च की जाएगी।

श्री शंकर राव सावंत: मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दुर्घटनाओं में से कितनी दुर्घटनाओं में कारें, ट्रक, बैलगाड़ियां आदि दुर्घटनाग्रस्त हुईं।

श्री बूटा सिंह : महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं विस्तृत जानकारी दे सकता हूं। पहल दुर्घटना में .....

अध्यक्ष महोदय : आप संख्या बता दीजिए।

श्री बूटा सिंह : सभी ग्यारह दुर्घटनाओं में ट्रक अथवा कारें दुर्घटनाग्रस्त हुई।

श्री शंकर राव सावंत : मैं जानना चाहता हूं कि चौकीदार रखने, नई फाटक बनाने अथवा उपरि पुल बनाने आदि पर कितना धन खर्च करने का प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : उपरि पुल इस प्रश्न में नहीं आते।

श्री बूटा सिंह : रेलवे राज्य सरकार के सहयोग से इस बारे में लगातार परीक्षण करता रहता है। हम बिना चौकीदार वाले फाटकों को चौकीदार वाले फाटकों में बदलते हैं तथा चौकीदार वाले फाटकों को विशेष श्रेणी के फाटकों में बदला जाता है । राज्य सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर महाराष्ट में 13 बिना चौकीदार वाले फाटकों को चौकीदार वाले फाटकों में बदलने का प्रस्ताव हैं ?

SHRI D. N. TIWARY : Mr. Speaker, Sir, there are many such unmaned gates in the railway, where traffic is very heavy and accidents take place mostly at those places. I would like to know whether Railway Ministry have conducted any survey to find out the number and location of those unmaned level crossings where traffic is heavy and accidents take place and whether there is any proposal to convert such unmaned gates into maned ones ?

SHRI BUTA SINGH : There are about 22,000 unmaned level crossing in the country and the expenditure for converting them into manned............

SHRI D. N. TIWARY : I am talking about those where accidents take place.

SHRI BUTA SINGH : There is a constant review in this regard and conversion is done as per priority accorded to them.

श्री बसन्त साठे : मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ऐसे कितने बिना चौकीदार वाले फाटक हैं, जहां बसों अथवा ट्रकों का भारी यातायात है । यह इसलिए कि बिना चौकीदार वाले फाटकों के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं। जिन में बसें परिवारों की अथवा बरातों को ले जा रहीं थी । क्या उन परिवारों को प्रतिकर दिया जाएगा ? यदि हां, तो उन परिवारों को कितना प्रतिकर दिया गया है तथा कितना दिया जाना है।

श्री बूटा सिंह : आरम्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 31 मार्च, 1975 को श्रेणी ग के बिना चौकीदार वाले फाटकों की संख्या लगभग 1278 थी। ये महाराष्ट्र से गुजरने वाली चारों रेलवे अर्थात् मध्य रेलवे, दक्षिण-मध्य रेलवे, दक्षिण-पूर्व रेलवे तथा पश्चिम रेलवे के बिना चौकीदार वाले फाटकों की संख्या है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न है हम कभी खतरा नहीं लेते तथा जहां राष्ट्रीय राजपथ होता है, वहां हर फाटक चौकीदार वाला फाटक होता ह। महाराष्ट्र में हुई सभी ग्यारह दुर्घटनाओं की जांच की गई थी तथा हर मामले में यह पाया गया कि गलती ट्रक चालक, अथवा बस चालक की थी।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बूटा सिंह : जी हां। यद्यपि इसका कोई उपबन्ध नहीं है, परन्तु मेरे वरिष्ठ सहयोगी राज्य मंत्री ने एक दुर्धटना स्थल का दौरा किया था और उस मामले में अनुग्रह अनुदान के रूप में उन्हें एक लाख रुपए की राशि दी है।

रेलों में सामान के खोने, चोरी होने तथा उठाए जाने के कारण मुआवजे के दावे

*756. **श्री अर्जुन सेठी**
श्री एस० सी० सामन्त } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेलों द्वारा ले जाए जाने वाले सामान के खोनें, चोरी होने तथा उठाए जाने के कारण होने वाले मुआवजे के दावों के मामलों की संख्या कम से कम करने हेतु, रेल कर्मचारियों में अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अभियान चला कर कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या गत छः महीनों में रेलों पर होने वाले मुआवजे के नए दावों में कोई कमी हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें दावों की रोकथाम के लिए किए गए विभिन्न उपाय बताए गए हैं।

(ग) जी हां। गत 6 महीनों में अर्थात् अक्तूबर, 75 से मार्च, 1976 तक दर्ज किए गए नए दावों की संख्या गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 69,239 है।

विवरण

रेलों द्वारा भेजे गए परेषणों की मार्ग में क्षति, चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए गए हैं। उनमें से अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :—

(i) लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, चीनी, तिलहन आदि पण्यों की माल गाड़ियों पर भेद्य खण्डों में मार्गरक्षी चलते हैं और ऐसे पण्यों के लिए ब्लाक लदान की व्यवस्था की गयी है ;

(ii) भेद्यों और बड़े यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा गश्त लगाना ;

(iii) आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन अपराधियों तथा चुराई गई सम्पत्ति को लेने वालों का पता लगाने के उद्देश्य से अपराध आसूचना एकत्र करना तथा आकस्मिक छापे मारना ;

(iv) चीनी, अनाज, दाल, तिलहन आदि के माल डिब्बा भर परेषण की स्थिति में फ्लैप दरवाजों से होने वाली उठाईगीरी को रोकने के लिए निभार बैग की व्यवस्था पर जोर देना ;

(v) परेषण गलत जगह न चले जाएं; इस के लिए ठीक ढंग से मार्का लगाना, पता लिखना तथा लेबिल लगाना ;

(vi) बहुमूल्य मूल्य माल से लदे माल डिब्बों में रिपिट लगाने के लिए नट और बोल्ट का उपयोग करना ;

(vii) माल डिब्बे यार्डों में रुके न रहें इसके लिए विशेष अभियान चलाना और पार्सल कार्यालयों तथा मालगोदामों से पैकेजों को शीघ्र भेजना और हटाना ;

(viii) खराब माल डिब्बों का संचलन कम करने के लिए मरम्मत लाइनों, यार्डों और मालगोदामों में पैनल/ढांचे कटे माल डिब्बों में पैनल पैच लगाने के काम में तेजी लाना ;

(ix) माल डिब्बों के दरवाजों की खराबी दूर करने के लिए अविलम्ब मरम्मत ;

(x) कम लदान का पता लगाने के लिए लदान स्थलों पर आकस्मिक जांच करना और पूर्ण पैकेजों/बोरों की कमियों की घटनाएं कम करने के उद्देश्य से परीक्षाफल तैयार करना ;

(xi) ब्रेक यान और लगेज़ माल डिब्बों में तालों का लगाया जाना सुनिश्चित किया जाना ;

(xii) लादने और उतारने के समय पैकेजों का उचित पर्यवेक्षण और सावधानी से मिलान करना ;

(xiii) आमान-परिवर्तन यानान्तरण स्थलों तथा रिपैकिंग के स्थानों पर पर्यवेक्षण में कड़ाई लाना ;

(xiv) कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का शीघ्र निर्धारण और दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना ;

आपात स्थिति की घोषणा के बाद, भारतीय रेलों पर दावों की घटनाओं की रोक-थाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है और उसे सुदृढ़ किया गया है। सभी स्तर के कर्मचारियों में जागरूकता की भावना जागृत करने और दावा रोकथाम उपायों का पालन करने के उद्देश्य से जुलाई, 75 के बाद प्रायः प्रतिमाह उच्च स्तरीय दावा निवारक बैठकें भी होती रहीं हैं।

श्री अर्जुन सेठी : यह बड़े संतोष की बात है कि रेलों में विशेष अभियान के परिणाम-स्वरूप आकड़े कम हो गए हैं। फिर भी, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन उपायों के फलस्वरूप गत 6 महीने में कुल कितनी राशि की बचत हुई और कितने मामलों में कर्मचारियों को दोषी पाया गया और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : वास्तविक बचत के आँकड़े देना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि इन मामलों का अभी निपटारा नहीं हुआ है। परन्तु दावों की संख्या कम हो गई है। इससे दी जाने वाली राशि में पर्याप्त बचत होगी। रेलों द्वारा की गई कड़ी कार्यवाही के

कारण दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है। मैं आपको 1974 और 1975 के तुलनात्मक आंकड़े दे रहा हूं। मार्च, 1975 से अगस्त, 1976 तक दोषी पाए गए रेल कर्मचारियों की संख्या 373 थी। यह संख्या कम होकर 286 हो गई है। गत वर्ष रेलवे सुरक्षा बल के 114 कर्मचारी दोषी पाए गए। यह संख्या कम होकर 61 रह गई है। संख्या काफी कम हो गई है।

श्री अर्जुन सेठी : विशेष अभियान के रूप में रेलों द्वारा उठाया गया एक कदम यह था कि यार्डों में माल-डिब्बे न रुके रहें और पैकेजों का प्रेषण तथा निकासी हो। मैं जानना चाहता हूं कि कितने मामलों में व्यापारियों ने माल डिब्बों को गोदामों के रूप में इस्तेमाल किया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : अभाव की मनोवृत्ति के कारण जब आवश्यक वस्तुओं की कमी होती है तो कुछ बेईमान व्यापारी इन माल डिब्बों को गोदामों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हर वस्तु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। तब भी रेलवे ने विलम्ब शुल्क और स्थान किराया बढ़ा कर कड़ी कार्यवाही की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माल डिब्बे रुके न रहें। हाल ही में एक कानून पास किया गया है--यदि सात दिनों में कोई माल डिब्बा खाली नहीं किया जाता तो माल की नीलामी कर दी जाएगी और यह माल स्थानीय उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जाएगा।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण में बताया गया है--"आपात स्थिति की घोषणा के बाद भारतीय रेलों पर दावों की घटनाओं की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है और उसे सुदृढ़ किया गया है। जुलाई 75 के बाद उच्चस्तरीय दावा निवारक बैठकें आयोजित की गई हैं।" मैं जानना चाहता हूं कि क्या कर्मचारियों द्वारा अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए ये नियम पर्याप्त हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : नियमों में कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं। नियमों में तथा समूचे कानून में संशोधन किया गया है। हम स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं। तदनुसार नियमों में रूपभेद किया जा रहा है।

SHRI RAMA AVTAR SHASTRI : Whether it is a fact that amount of compensation is not paid in time to those traders whose goods are either lost or stolen and whether in this context claim of Rs. 1 crore 80 lakhs has been decided in favour of traders of Patna City, which is a big Commercial Centre, but amount of compensation has not yet been paid to them ? If so, the reasons therefor ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : Each claim is examined. Compensation is not paid on what the trader says. If the claim is proved, compensation is paid immediately.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डौक्सीसाइक्लीन के निर्माण संबंधी लक्ष्य

*757. **श्री खेम चन्द भाई चावड़ा :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्त किए जाने वाले डौक्सीसाइक्लीन संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और

2—442LSS/76

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कौन-कौन से विभाग जिम्मेदार थे और क्या लक्ष्य निर्धारित करने से पूर्व इस उद्योग के विचार मालूम किए गए थे ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) कच्चे माल के रूप में आक्सीटेट्रासाइक्लीन पर आधारित डौक्सीसाइक्लीन एक अर्ध संश्लिष्ट औषध है। औषध और भेषज के लिए योजना आयोग के कार्यकारी दल ने 1978-79 तक की टेट्रासाइक्लीन की विभिन्न मांगों का मूल्यांकन किया है जो निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	मद	1978-79 की आवश्यकताओं का लक्ष्य मीटरी टनों में
1.	टेट्रासाइक्लीन एच०सी०एल० जिसमें क्लोरेटेट्रसाइक्लीन और डिमेथाइल क्लोरेटेट्रासाइक्लीन शामिल है। . . .	200
2.	औक्सीटैट्रासाइक्लीन . . .	88
3.	डिमेथाइल क्लोरटैट्रासाइक्लीन	23

तथापि डौक्सीसाइक्लीन की आवश्यकताओं का कोई अलग से मूल्यांकन नहीं किया गया था।

श्री खेमचन्द भाई चावड़ा : डौक्सीसाइक्लीन के उत्पादन के लिए कितनी कम्पनियों को अनुमति दी गई है ? कितने प्रस्तावों को रद्द किया गया है ? रद्द करने के कारण क्या हैं ? विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस डौक्सीसाइक्लीन को राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए आरक्षित रखने का विचार रखती है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : डौक्सीसाइक्लीन के बारे में हमारे पास 4 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इटालियन टैक्नोलाजी पर आधारित आई०डी०पी०एल० को 5 टन क्षमता का लाइसेंस दिया गया है। मैसर्स रैनबैक्सी को $2\frac{1}{2}$ टन क्षमता का लाईसेंस दिया गया। हमें हाल में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है $2\frac{1}{2}$ टन के प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से उनके लिए ठीक नहीं है। अतः उन्होंने क्षमता को $2\frac{1}{2}$ टन से बढ़ाकर 5 टन करने के लिए हमें प्रार्थनापत्र भेजा है। 5 टन के उत्पादन के लिए तीसरा प्रार्थनापत्र फिज़र से प्राप्त हुआ है और अभी उस पर निर्णय लिया जाना शेष है। चौथा प्रार्थनापत्र मैसर्स साराभाई का है। उनकी तकनीकी जानकारी की फीस काफी अधिक है। अतः उसे रद्द कर दिया गया है।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या यह सच है कि अन्तर्विभागीय समिति सदैव औषधियों के लक्ष्यों में परिवर्तन करती रही है और वे केवल बहुराष्ट्रीय निगमों को चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय क्षेत्र के उचित विकास के लिए इस गलत प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक कार्यकारी दल का सम्बन्ध है, वे खपत और उत्पादन क्षमता के पहलुओं को देखते हैं। कार्यकारी दल हम योजनावार उन औषधियों की आवश्यकता बताते हैं जो हम बना रहे हैं या आयात कर रहे हैं। डौक्सीसाइक्लीन के मामले में कार्य-कारी दल ने विचार नहीं किया है क्योंकि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय डौक्सीसाइक्लीन मार्किट में उपलब्ध नहीं थी। डौक्सीसाइक्लीन कच्चे माल के रूप में औक्सीटैट्रासाइक्लीन पर आधारित एक अर्धसंशिष्ट औषध है। 1978-79 तक औक्सीटेट्रासाइक्लीन की माँग का लक्ष्य 88 मीटरी टन होगा। डौक्सीसाइक्लीन एक सुधरी हुई टैक्नोलाजी है। जहां आप प्रति दिन 1 से 3 ग्राम औक्सी-साइक्लीन खाते हैं वहां आपको पहले दिन 0.2 ग्राम और अगले 2 से 4 दिनों तक 0.1 ग्राम डौक्सीसाइक्लीन खानी पड़ेगी। यह इन दवाओं में टैक्नालोजी में सुधार के कारण है। कार्य-कारी दल ने उस समय इसकी जांच नहीं की थी क्योंकि यह बाद में आई।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा 'पेनलटीमेट' मध्यवर्ती औषधियों का आयात

*758. **श्री नानुभाई एन० पटेल :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी औषध फर्में किसी एक या दूसरे नाम से केवल 'पेनलटीमेट' मध्यवर्ती औषधियों का आयात कर रही है जिस के लिए उन्हें अन्यथा अनुमति नहीं है;

(ख) क्या सरकार के नोटिस में यह बात आने के बाद इन फर्मों के विरुद्ध कोई कार्य-वाही नहीं की गई थी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार नियमों का उल्लंघन करने की प्रवृति को रोकने के लिये समयबद्ध कार्यवाही करने की घोषणा करने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) समय-समय से लागू आयात व्यापार नियन्त्रण नीति के अनुसार विदेशी औषध फर्मों सहित सभी फर्मों को पेन्यूलटीपेट/मध्यवर्ती रसायनों के आयात की अनुमति दी जाती है 16 फरवरी, 1976 को एक संयत्र अर्थात् मैसर्स कैमिकल इन्डस्ट्रीयल एण्ड फार्मासियूटी-कल लाइवोरेटरीज लि० ने सरकार को शिकायत की है कि उन्होंने इथीनियल इस्ट्रेडियल अथवा इस्ट्रेडियल का आयात नहीं किया है परन्तु आयातों की अनुमति अन्य को दी गई थी और उन्हें अभी भी अनुमति दी जाती है। 1975-76 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियन्त्रण नीति में इथीनियल इस्ट्रेडियल का आयात पर प्रतिबन्ध है जब इस्ट्रेडियल और इस्टरोन किसी सूची में नहीं है। संबंधित फर्मों के साथ परामर्श से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और वास्तविक स्थिति का पता लगने पर उचित कदम उठाए जाएंगे।

श्री नानू भाई एन० पटेल : मैं विदेशी फर्मों विशेषकर मैसर्स सनडोज और ओरगेनन द्वारा बल्क औषधियों के लिए मध्यवर्ती/पेनलटीमेट रसायनों के आयात के बारे में जानना चाहता हूं।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मेरी सूचना के अनुसार यह मैसर्स ओरगेनन और मैसर्स वेयथ के बारे में है न कि अन्य कम्पनी के बारे में जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है।

श्री नानू भाई एन० पटेल : क्या यह सच है कि इस देश के कुछ बड़े तस्कर इन औषधियों की देश में तस्करी कर रहे हैं और आपात स्थिति में दोषी पाये गये व्यक्तियों को सरकार द्वारा जेलों में बन्दी बनाया गया है? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश में कोई छोटी या बड़ी फर्म दोषी पाई गई है और इन फर्मों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री पी० सी० सेठी : यह सच नहीं है। जहां तक वेयथ का सम्बन्ध है, उन्हें लाइसेंस नं० एल० बी० 2 के अधीन प्रतिमाह .625 ग्राम इथीनियल इस्ट्रेडियल उत्पादन करने का लाइसेंस दिया गया था। परन्तु आंकड़ों से पता चलता है कि उन्हें सरकारी तौर पर आयात करने की अनुमति दी गई थी और डी० जी० टी० डी० और सी० सी० आई० द्वारा अनुमति दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या ये फर्में दोषी पाई गईं ?

श्री पी० सी० सेठी : मैं यह नहीं कह सकता।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सनडोज ने रंगों के रूप में क्यूनोलाइन्स और अन्य मध्यवर्ती रसायनों का आयात किया है और उन्हें इन्टेस्टोपान के उत्पादन में इस्तेमाल किया है, यदि हां, तो तथ्य क्या है और फर्मों के विरुद्ध की गई कार्यवाही तथा ब्यौरा क्या है?

श्री पी० सी० सेठी : इस समय मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस को देखें और सूचना सभा पटल पर रखें।

विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल की खोज के लिए संविदा

*759. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भारत में तेल के तट दूर और तट स्थित संसाधनों की खोज के लिए विदेशी तेल कम्पनियों के साथ कुल कितने संविदा किए हैं तथा उन कम्पनियों के क्या नाम हैं और प्रत्येक कम्पनी को कौन सा क्षेत्र दिया गया है;

(ख) प्रत्येक मामले में खोज कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) कितने मामलों में संविदों का नवीकरण किया जायेगा?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क), (ख) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) कच्छ, बंगाल, उड़ीसा और कावेरी अपतटीय क्षेत्र के बारे में संविदात्मक कार्य चालू है। इस समय किसी संविदा के नवीनीकरण का प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

असम आयल कंपनी को छोड़कर जो असम के सीमित क्षेत्र कार्य कर रही है और आयल इण्डिया लि० (सरकार और बर्मा आयल कंपनी का 50:50 वाले एक संयुक्त उद्यम है) जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के लघु क्षेत्र में फिर से काम कर रहे हैं हमारे देश में कई गैर सरकारी एजेन्सी तटीय तेल अन्वेषण काम नहीं कर रही है। शेष क्षेत्रों में से विदेशी ठेकेदारों द्वारा बोली के लिए खुले हैं, बंगाल उड़ीसा बेसीन के लिए कार्ल्स वर्ग इण्डियाग्रुप के साथ संविदा पर हस्ताक्षर हुए हैं और अपतटीय अन्वेषण और उत्पादन के लिए कच्छ बेसीन के वास्ते रीडिंग और वेट्स ग्रुप के साथ हुए हैं। परिष्कृत शर्तों के साथ उसी प्रकार की संविदा पर काबेरी अपतटीय बेसीन के लिए असमेरा ग्रुप के साथ हस्ताक्षर किए हैं।

बंगाल उड़ीसा अपतटीय बेसीन में, भूभौतिकीय कार्य अक्तूबर, 1974 में शुरू किए गए थे और अन्वेषी व्यधन कार्य सितम्बर, 1975 में/दो अन्वेषी कुओं का व्यधन हो चुका है किन्तु उनसे कोई निष्कर्णात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। कच्छ बेसीन में भूभौतिकीय कार्य अक्तूबर 1974 में शुरु किया गया और अक्तूबर, 1975 में अन्वेषी व्यधन किया गया। उस क्षेत्र में एक अन्वेषी कूप खोदा गया है किन्तु इससे अभी तक कोई निष्कर्षात्मक परिणाम नहीं निकला। कावेरी अपतटीय बेसीन में भूभौतिकीय कार्य जनवरी, 1976 में शुरु किया गया था और अन्वेषी व्यधन की सम्भावनाए इन सर्वेक्षणों से उपलब्ध सामग्री पर निर्भर करेगा उसके बाद उस सामग्री को तैयार किया जाएगा और उसका आशय निकाला जाएगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी: भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी भूमि में तेल की खोज का काम केवल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आसाम तेल कम्पनी द्वारा ही किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भूमि में तेल की खोज का काम राजस्थान जैसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तृत करने पर विचार कर रही है, जहां तेल मिलने की काफी सम्भावनाएं हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: जहां तक भूमि में तेल की खोज के काम का सम्बन्ध है, मोटे तौर पर क्षेत्र निश्चित कर दिए गए हैं जहां तेल की सम्भावनाएं हैं और इसके लिए हमने व्यापक कार्यक्रम बना रखा है जिसके अनुसार काम चल रहा है। जब भी हम देखेंगे कि यह काम आयल इण्डिया लिमिटेड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की क्षमता से बाहर है और हमें दूसरों के सहयोग की आवश्यकता है और वह हमारी नीति अनुसार ही है तब हम स्थिति के अनुसार वैसी कार्यवाही करेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी: दिए गए उत्तर में बताया गया है कि कार्लसबर्ग इण्डिया ग्रुप बंगाल उड़ीसा बेसिन में तेल की खोज का काम कर रहा है और रीडिंग एण्ड बेट्स ग्रुप कच्छ बेसिन में तेल की खोज का काम कर रहा है। यह भी बताया गया है कि बंगाल उड़ीसा बेसिन में सितम्बर, 1975 में कुएं खोदे गए थे और वहां तेल भी मिला था। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है और क्या सरकार अब तक उक्त खोज के बारे में अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है?

श्री के० डी० मालवीय: जहां तक कच्छ और बंगाल के क्षेत्रों का सम्बध है उक्त दोनो ग्रुप अपने अपने क्षेत्रों में खुदाई का काम करते रहे हैं नोटोमस ग्रुप ने बंगाल में दो कुएं खोदे थे। हो सकता है कि वहां कुछ तेल मिला हो परन्तु परिणाम निर्णायक सिद्ध नहीं हुआ

है। वे अब सभी उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं जो खुदाई के परिणामस्वरूप उन्हें प्राप्त हुए हैं। इसके तुरन्त बाद वे निश्चय करेंगे कि वहां और खुदाई की जाये या कुछ और कदम उठाये जाएं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के गाल्सी क्षेत्र में, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, तेल की खोज सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गाल्सी सहित बर्दवान जिले की मिट्टी में तेल की सम्भावना का मूल्यांकन किया है और परिणाम उत्साहवर्धक ही निकले हैं। हम समस्त जानकारी की निरूपण तथा पुनर्निरूपण करके यह जानने का प्रसास कर रहे हैं कि आगे क्या कार्यवाही की जाये ? साथ ही हम नए रिग की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो आगामी कुछ सप्ताह में आ जाने की आशा है। हम वहां तुरन्त छिद्र करके अपने निष्कर्षों की पुष्टि कर लेना चाहते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : नोटोमस ग्रुप उड़ीसा में पाराद्वीप तट से दूर प्रारम्भिक खुदाई कर रहा है, जहां भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के आधार पर तेल के भारी निक्षेप होने चाहिएं। मैं जानना चाहता हूं कि दो कुएं खोदने के बाद क्या वे और खुदाई करेंगे या सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट भेजेंगे जिससे लगे कि वहां तेल मिलने की कोई सम्भावना नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह कार्य विदेशी सहयोग से हो रहा है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जी हां।

श्री के० डी० मालवीय : बंगाल के तट-बंदूर क्षेत्र, पाराद्वीप और सुन्दरबन क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के आधार पर तेल मिलने की काफी सम्भावनाएं हैं। तेल की खोज का काम काफी जटिल और कठिन है। तथ्यों और आंकड़ों का निरूपण करने के साथ-साथ हमें भूगर्भीय खोज के परिणाम भी ध्यान में रखने पड़ते हैं फिर भी कभी लगता है कि तेल है और कभी लगता है कि नहीं। तथापि भूगर्भीय खोज के आधार पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और नोटोमस ग्रुप दोनों ने छिद्रण करना ही उचित समझा दुर्भाग्यवश, निर्णायक परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। हम तथ्यों का पुनर्निरूपण करेंगे। मौनसून समाप्त होते ही हम परामर्श पुनः आरम्भ करेंगे क्योंकि अब हम भी उनके भागीदार हैं, और हम तभी यह निश्चय कर पायेंगे कि आगे क्या कदम उठाये जायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि रीडिंग एण्ड बैट्स और कार्ल्सबर्ग ग्रुप द्वारा तटदूर खुदाई कार्य में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी, तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी, भी इन विदेशी कम्पनियों के साथ प्रत्यक्ष रूप में शामिल थे और क्या उनके जहाजों आदि में खुदाई के समय वे वहां निरन्तर उपस्थित रहे या क्या इस प्रकार का काम इन दो अमरीकी कम्पनियों और उनके अपने कर्मचारियों पर ही छोड़ दिया गया ? दूसरे, यह निर्णय हठात ही क्यों लिया गया कि बकलटुला क्षेत्र में खुदाई का कार्य आरम्भ होते ही बंद कर दिया जाये ?

श्री के० डी० मालवीय : पहले प्रश्न के उत्तर में बंगाल की खाड़ी और कच्छ क्षेत्रों दोनों

में ही तेल तथा प्राकृतिक गैस का एक भारतीय भूवैज्ञानिक आरम्भ से ही इस कार्य में शामिल था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह तो भूवज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए था।

श्री के० डी० मालवीय : उक्त सर्वेक्षण इससे पहले ही पूरा किया जा चुका था। प्राप्त हुए निष्कर्ष हमें दे दिए गए थे। स्वाभाविक है कि हम यह सोचें कि किसी विदेशी कम्पनी द्वारा एक बार धन व्यय किए जाने के बाद वह कोई जानकारी गुप्त रख कर किसी और स्थान पर खुदाई आरम्भ नहीं करेंगे। भूगर्भीय जांच से प्राप्त हुए परिणामों और खुदाई के लिए स्थान के चयन के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। परन्तु ऐसा होता है कि खोदे गए किसी भी कुएं में से तेल न निकले।

बकलटुला तट-दूर क्षेत्र है जहां तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग खुदाई कर रहा है। उन्होंने आशा से भी अधिक खुदाई की है। उनके द्वारा परिणामों का किया गया निरूपण हमें प्राप्त नहीं हुआ है और वह भी अभी तक·········

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने खुदाई करना छोड़ क्योंकर दिया है?

श्री के० डी० मालवीय : ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम सम्भावना से अधिक आगे चले गए थे फिर भी वहां कुछ नहीं मिला। हम इस बात का पता लगा रहे हैं कि वहां आखिर है क्या? क्योंकि जब हमें खुदाई के बाद जो कुछ प्राप्त होता है हम उसका पुनः विश्लेषण करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या तेल पास में ही अन्यत्र तो नहीं है। बकलटुला में अब खुदाई बन्द कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 760 श्री रघुनन्दन लाल भाटिया।

श्री वसन्त साठे : वह उपस्थित नहीं हैं। लगता है उन्हें धतूरा खिला दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

कुनैन का आयात

*761. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुनैन का आयात किन-किन देशों से किया जाता है;

(ख) गत दो वर्षों में कुनैन के आयात पर, वर्षवार, व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हमारे देश में कुनैन का उत्पादन किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क), (ख) : गत दो वर्षों के दौरान क्वीनीन का कोई आयात नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) : देश में क्वीनीन का उत्पादन पहले से ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार की विभागीय फैक्ट्रियों में और गैर-सरकारी क्षेत्र में थोड़ी मात्रा का उत्पादन किया जाता है। देश में गत तीन सालों के दौरान क्विनीन क्षार का कुल उत्पाद यथा निम्न प्रकार था :—

1973-74	28.078 मी० टन
1974-75	26.116 ,,
1975-76	18.421 ,, (अनुमानित)

क्विनीन क्षार का उत्पादन करने के लिए दोनों सरकारों के पास पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। वाणिज्य और उद्योग विभाग पश्चिम बंगाल ने राज्य की पांचवीं योजना के अधीन और पर्वतीय क्षेत्र की विकास योजना दोनों के अधीन सिन्कोना कृषि का विस्तार करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। कथित कार्यक्रम के लिए 130 लाख रुपये का कुल अनुमानित परिव्यय का प्रस्ताव है और इसमें से 27.5 लाख रुपये पहले से ही काम ले लिए गए हैं।

उसी प्रकार वन और मत्स्य विभाग तमिलनाडु क्वीनीन का उत्पादन करने के लिए 1975-1980 के लिए अपनी-अपनी योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अधीन सिन्कोना कृषि के अन्तर्गत इस विद्यमान क्षेत्र जोकि 2429 हैक्टायर के अनुसार है, का प्रतिवर्ष 180 हैक्टायर तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विभाग के पास कोष उपलब्ध है।

SHRI RAM PRAKASH : Sir, according to the statement quinine is manufactured in Tamil Nadu and West Bengal. I want to know whether there is any scope of its being manufactured in any other State also ?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI) : Sir, quinine is not produced in every State. In Tamil Nadu, it is being manufactured at present between six and eight thousand kgs. and in West Bengal 10,000 kgs. Though it is produced in sufficient quantity in West Bengal, its plants are old and rickety and therefore their replenishment is necessary.

SHRI RAM PRAKASH : What are the diseases which are cured by quinine ?

SHRI P.C. SETHI : Perhaps, the hon. Member never fell a victim of malaria.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Sir, according to his statement, it appears that the production is constantly coming down as shown by 1974-75 figures which is 26 points as against 28 in 1973.

MR. SPEAKER : He has said that the plants have become old.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I want to know whether that is the only reason ? If not, what steps are being taken in this regard ?

SHRI P. C. SETHI : At one time malaria had been eradicated in the country and it had to be exported then. Hence the fall in production. But it is also a fact that the production of Cincona is not going up for its manufacture. Tamil Nadu and West Bengal are trying further

expansion. They have provided funds and are increasing the acreage in West Bengal from 6,000 to 10,000 and in Tamil Nadu another 180 Hectares. It is therefore, expected that production will go up considerably.

रामनगर और काठगोदाम (उत्तर प्रदेश) तथा नांगल-तलवाड़ा (हिमाचल प्रदेश) के बीच नई रेल लाइनों पर प्रगति

*764. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राम नगर–काठगोदाम और हिमाचल प्रदेश में नांगल–तलवाड़ा रेल लाइनों के निर्माण कार्य में जो 1974 में प्रारम्भ हुआ था, अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इन परियोजनाओं के ऐसे अल्प विकसित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में होने के कारण, जहां स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् किसी भी नई लाइन का निर्माण नहीं किया गया है, इन्हें कोई प्राथमिकता दी जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

इस पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए मुरादाबाद और रामपुर से रामनगर और काठगोदाम तक बड़ी लाइनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव 1974-75 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था । अब इस परियोजना का काम कई चरणों में करने का विनिश्चय किया गया है। पहले चरण में मुरादाबाद से रामनगर तक, जहां सीधे मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है, मिट्टी के काम के प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गयी है।

नांगल-तलवाड़ा के निर्माण के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो रहा है और आशा है कि रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी और अधिक नई लाइनों का काम प्रारम्भ करने के लिए निधि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण इस परियोजना को 1976-77 के बजट में शामिल नहीं किया जा सका । ज्यों ही नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए निधि की उपलब्धता में सुधार होगा, निर्माण के लिए इस परियोजना को हाथ में लेने के प्रश्न पर यथोचित विचार किया जायेगा ।

SHRI NARAIN CHAND PARASHAR: The statement has disappointed us. In reply to the Railway Budget, the hon. Minister had promised the construction work will soon be taken in hand. Our Chief Minister had also committed in reply to late Shri L. N. Mishra's letter that they will bear the entire cost of land. Shri Mishra had also laid the foundation stone there. Recently, in the Consultative Committee it was decided that the Nangal Ambh portion of the line which is level ground should be commenced as survey etc. has already been completed. I want to know whether work on this Section will start on priority basis ?

SHRI BUTA SINGH : The background has been correctly started by the hon. Member but the present position in this regard is that we have asked the Northern Railway to complete its survey and final location etc. The survey Report is expected in June next and we expect to take up the first phase of 44-27 kms from Nangal to Ambh if finances are available.

SHRI NARAIN CHAND PARASHAR : I welcome his statement but earlier also the late Shri Mishra had announced its commencement while inaugurating it. Assurance has been

given in the House twice already that it will be taken up this year. I, therefore, want a specific assurance in this regard.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KAMLAPATI TRIPATHI) : The hon. Member is well aware of the efforts being made by the Ministry in this regard. We are in touch with the Planning Commission and he knows that we are trying to get it cleared. We hope that we will get clearance and work will start this year but all this depends on their clearance and availability of funds therefor.

Manufacture of Insecticides

*765. SHRI CHIRANJIB JHA : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to accord priority to the insecticide manufacturing industry keeping in view the availability of imported raw material;

(b) whether a study is being conducted to assess the demand for various kinds of insecticides in different regions during different seasons; and

(c) if so, the salient features thereof ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) कीटनाशी उद्योग, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति फरवरी, 1973 के अनुबन्ध-I में उद्योग की सूची में शामिल है।

(ख) और (ग) : विभिन्न राज्यों में विभिन्न कीटनाशी औषधियों के लिए मांग का मूल्यांकन करने में प्रत्येक वर्ष जनवरी, अथवा फरवरी में कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में अखिल भारतीय संयंत्र सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में कीटनाशी उद्योग सहित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक समय पर कीटनाशी की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है कि अपनी चरण-बद्ध मांग बहुत समय पहले सूचित करें।

SHRI CHIRANJIB JHA : I would like to know the decision and recommendations of the All India Conference held in January-February in this year.

सी० पी० माझी : इस समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

SHRI BIBHUTI MISHRA : May I know what is the total demand received from various States for these pesticides *vis-a-vis* the position of the Government in regard to supply of these pesticides ? I would also like to know whether Government will try to import such pesticides which are short of supply or whether they will make such arrangements so that these pesticides are available to farmers at cheaper rates ?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI) : So far as production is concerned, it is continuously increasing since 1972. In the year 1972 it was 26716 tonnes which increased to 41500 tonnes in 1976. There are various products becauce of advanced technology. But there are certain products which are being imported. In 1972-73, 1973-74, 1974-75 we imported 9132, 12654 and 16583 tonnes respectively. The latest import we made was worth Rs. 17 crores and 69 lakhs. It is a fact that we have to spend much foreign exchange for such imports. But this item has been placed in Appendix I and accorded high priority. There is a scope for alloting licences to all the parties and for expanding the public sector. That is being done. A provision of Rs. 590·40 lakhs and 825 lakhs has been provided for further expansion of Hindustan Insecticides limited during five year Plan.

श्री बी० वी० नायक : क्या यह सच है कि, जहां तक कीटनाशी दवाओं के उत्पादन का सम्बन्ध है, जिसका उत्पादन तकनीकी दृष्टि से उर्वरकों की तुलना में कम अत्याधुनिक नहीं है हमारी प्रगति अच्छी रही है और हम सराहनीय कार्य करते रहे हैं? क्या यह सच है कि और सूत्रयोग बनाने के लिए कीटनाशी दवाओं के आयात हेतु बहुराष्ट्रीय निगम "शैल कैमिकल्स" के पास शेयर का अधिकांश भाग है, यदि हां, तो कितना ? इस कम्पनी ने कितनी और कितने मूल्य की दवाएं आयात कीं ?

श्री पी० सी० सेठी : इस समय मेरे पास इस कम्पनी के सम्बन्ध में ब्यौरा नहीं है। लेकिन मैंने यह कहा था कि कुछ क्षेत्रों में कीटनाशी तथा कीटाणुनाशक औषधियों का आयात किया गया। हम उच्च श्रेणी की विभिन्न किस्मों का आयात नहीं कर रहे क्योंकि प्रौद्योगिकी की दृष्टि से यह जटिल एवं विकसित विषय है। लेकिन केन्द्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद् कीटनाशी दवाओं की विभिन्न किस्मों की तकनीक पर अनुसंधान कर रही है और उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि यथाशीघ्र हम आयात को कम कर सकें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन "शैल कैमिकल्स" के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बता चुके हैं कि इस सम्बन्ध में उनको जानकारी प्राप्त नहीं हुई ।

श्री सैयद अहमद आगा : मलेरिया कीटाणुओं पर कीटनाशी दवाईयों का असर नहीं होता मैं जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कीटनाशी दवाईयों का मलेरिया के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । इसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : समिति ने बताया है कि घटिया सप्लाई में 128 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

He has not replied that who are the members of the appointed Committee and the time by which it will submit its report ?

SHRI BUTA SINGH : The Committee has been appointed by the Ministry of Energy. From Railways, Director, Mechanical Engineering is a member of this Committee on behalf of Railways.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा 'इंडिया आक्सीजन' की जांच

*755. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने 'इंडियन आक्सीजन' की कोई जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्वन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने, इस कम्पनी द्वारा निर्मित गैसों की बिक्री में, इसके द्वारा मूल्य विभेद में निरत रहने के आरोपों के लिए, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 37 के साथ पठित, धारा 10 (क) (4) के अन्तर्गत इसके विरुद्ध जांच संस्थापित की है। आयोग द्वारा कम्पनी की जांच का नोटिस 10 फरवरी, 1976 को प्रेषित किया गया था एवं जांच अभी तक प्रवर्तमान है।

Inferior Quality of Coal Supplied to Railways

*766. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the percentage of further deterioration in quality of coal supplied to Railways in 1973, 1974 and 1975; and

(b) the remedial action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) चूंकि रेलें केवल नमूने के तौर पर जांच ही करती हैं इसलिए घटिया सप्लाई की सही-सही प्रतिशतता नहीं निकाली जा सकती। किन्तु इंजन के कोयले की किस्म को देखकर जांच करने पर मालूम होता था कि 1973-74 और 1974-75 में इसकी किस्म में गिरावट आयी थी लेकिन 1975-76 की पिछली छ:माही में सुधार दिखायी दिया था।

(ख) सही किस्म के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रेलों ने निरीक्षण में कड़ाई लाने के लिए कदम उठाए हैं। राष्ट्रीयकृत कोयला खानों ने सप्लाई की किस्म में सुधार लाने के उद्देश्य से क्वालिटी कंट्रोल सेल स्थापित किए हैं। कोयले के उत्पादन और उपभोक्ताओं को जिसमें रेलें भी शामिल हैं उपयुक्त किस्म के कोयले की सप्लाई करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है।

यात्रियों का लूटा जाना

*760. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हाल ही में समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि डाकुओं का एक ऐसा गिरोह यात्रियों को लूटता था जो "धतूरा" मिली हुई चाय रेल यात्रियों को पिलाकर उनका समान ले लेते थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली की रेलवे पुलिस ने अपराधियों के एक ऐसे गिरोह का पता लगाया है जो यात्रियों से जान-पहचान बढ़ाकर, उन्हें 'धतूरा' मिली चाय पिलाया करता था और तब उनका सामान लेकर चम्पत हो जाया करता था। 25-3-1976 को गिरोह के सदस्यों ने श्री शेख मोहम्मद रफीक नामक व्यक्ति को चाय में धतूरा पिला दिया और वे उसका सामान तथा 650

रुपये नकदी लेकर चम्पत हो गये । 28-3-76 को श्री रफीक ने विजय कुमार और दीपक नामक दो अभियुक्तों को पहचान लिया और दिल्ली मेन की रेलवे पुलिस ने उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 328/379/411/401 के अन्तर्गत 28-3-76 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 120 के मामले में गिरफ्तार कर लिया । गिरफ्तार किये गये दो अभियुक्तों से पूछताछ किये जाने के फल-स्वरूप इस गिरोह के प्रेम सिंह, मदन लाल और बाबू लाल नामक तीन और सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कहने पर पुलिस द्वारा 'धतूरा' और चुराई गयी सम्पत्ति की अन्य मदें जैसे शाल, घड़ियां, साड़ियां और वस्त्र आदि अन्य वस्तुएं बरामद कर ली गयीं जिनके बारे में चुराये जाने का सन्देह था । पुलिस द्वारा अभी मामले की छान बीन की जा रही है ।

होस्टेलन का उत्पादन

*762. **श्री वयालार रवि** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में होस्टेलन नामक अधिक घनत्व वाली पेलीथाईलीन की निर्माता फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, कम्पनी-वार, उनका कुल उत्पादन कितना हुआ है; और

(ग) प्रति टन होस्टेलन का क्या मूल्य नियत किया गया है तथा इसके वितरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) मैसर्स पोलिमोलिफिन्स इण्डस्ट्रीज लि० होस्टैल और हाई-डैंसिटि पोलिथिलीन के एकमात्र निर्माता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	(मी० टन में आंकड़े)
1973	23,000
1974	24,650
1975	23,000

(ग) हाई डेंसिटि पोलिथिलीन का प्रतिटन विद्यमान मूल्य 11,498 रुपये है (इसमें उत्पादन शुल्क है) और मैसर्स पोलिमोलिफिन्स इण्डस्ट्रीज लि० के एकमात्र वितरक मैसर्स होचेस्ट डाइस एण्ड कैमिकल्स द्वारा वितरण किया जाता है । इस मद पर कोई मूल्य अथवा वितरण नियन्त्रण नहीं है ।

केरल के तटवर्ती क्षेत्र में तेल की खोज

*763. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तटवर्ती क्षेत्र में भू-भौतिकीय अध्ययन से समुद्री तलछट श्रृंखला की उपस्थिति का पता चला है और इस क्षेत्र में आगे तेल अनुसंधान करने की गुंजाइश है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में छिद्रण कार्य प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (घ) भूगर्भीय तथा भूभौतिकीय अध्ययनों से यह संकेत मिले हैं कि सीधे तल के ऊपर पड़े हुए लगभग 200 मीटर की मोटाई की नियोकेन पत्थर सहित केरल के तटवर्ती क्षेत्र के भूभाग पर तलछट शृंखला है। तुलनात्मक रूप में तलछट की छोटी मोटाई केरल के तटवर्ती क्षेत्र के भूभाग में तेल की संभावनाओं को कम करता है।

जहां तक केरल के तट के महाद्वीपीय मग्नतट का सम्बन्ध है महाद्वीपीय मग्नतट के गहन भाग के अतिरिक्त अब तक किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप अच्छे तलछटी भण्डारों के संकेत नहीं मिले हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इस क्षेत्र में और भूकम्पीय सर्वेक्षण करने की योजना है तथा वहां व्यधन की सम्भावनाएं इन भूकम्पीय सर्वेक्षणों के परिणामों पर निर्भर होंगी।

सीमेंट कारखानों की जांच

*767. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में स्थित टाटा के सिमेंट कारखानों, बिड़ला के सीमेन्ट कारखानों और डालमिया जैन के सीमेन्ट कारखानों में सरकार का कितना हिस्सा है, और

(ख) उपर्युक्त उद्योग-गृहों के कितने सीमेंट कारखानों की एकाधिकार तथा निबन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत जांच हो रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार निर्दिष्ट औद्योगिक घरानों के सीमेंट कारखानों में केन्द्रीय सरकार का कोई हिस्सा नहीं है।

(ख) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक ऐसी किसी सीमेन्ट कम्पनी के विरुद्ध कोई जांच नहीं की गई है। जहां तक कम्पनी अधिनियम का सम्बन्ध है, मै० बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता तथा मै० अशोक सीमेंट लिमिटेड, डालमिया नगर (बिहार) नामक, केवल दो मामलों में, क्रमश: इस अधिनियम की धारा 235 (ग) तथा धारा 237 (ख) के अन्तर्गत जांच के आदेश दिए गए हैं।

रेलों के लिए डीजल इंजन

*768. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी गाड़ियों के लिए डीजल इंजन प्राप्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हाथी समिति की सिफारिशों पर किया गया निर्णय

*769. **श्री वसन्त साठे**
श्री रानेन सेन : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथी समिति द्वारा औषधियों एवं रसायनों के बारे में की गई विभिन्न सिफारिशों पर किये गये निर्णयों और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में इस समय की स्थिति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : हाथी समिति की सिफारिशें विभिन्न और जटिल किस्म की है जिनमें देश में औषध उद्योग के कार्य संचालन का समस्त क्षेत्र शामिल है। इन सिफारिशों पर कोई निर्णय लेने से पूर्व भारत सरकार के सभी सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों के परामर्श से इनकी सभी प्रकार की कठिनाईयों की विस्तृत जांच करनी होगी। समिति की सिफारिशों पर विभिन्न स्तरों पर जांच हो रही है और आशा की जाती है कि औषध के उत्पादन में वृद्धि और उचित मूल्यों पर उनकी सप्लाई के सम्पूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा तथापि उत्पादन कार्यक्रम से सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :—

(1) अधिक खपत के लिए हाथी समिति द्वारा पता लगाये गये 117 आवश्यक सूत्र-यागों के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रपंज औषधों के उत्पादन में वृद्धि;

(2) सरकारी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र तथा विदेशी क्षेत्र के उत्पादन के सम्बन्धित स्थानों के कार्य।

सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार एक औषध-अध्ययन किया गया है। विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित औषधों की तीन सूचियां जिनमें उन मदों का उल्लेख है जिन्हें सरकारी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र तथा समस्त क्षेत्रों में उत्पादित किया जाना है सामान्य निम्न प्रकार तैयार की गयी।

(i) उपलब्ध वित्तीय स्रोतों के बाधाओं के अन्तर्गत आवश्यक औषधों विशेषकर एन्टिबायोटिक्स जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है, को यथा समस्त सरकारी क्षेत्र को सौंपा जायेगा।

(ii) अन्य क्षेत्रों को, जहां प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा भारतीय क्षेत्र अपेक्षित प्रौद्योगिकीय प्रबन्ध तथा वित्तीय स्त्रोतों की व्यवस्था करने में समर्थ है, केवल भारतीय क्षेत्र को सौंप दिया।

(iii) उच्च प्रौद्योगिकी उन्मुख क्षेत्रों, जिसमें अपेक्षित पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है तथा जहां सरकारी एवं भारतीय क्षेत्र द्वारा मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने की क्षमता नहीं है, को विदेशी क्षेत्र सहित तीनों क्षेत्रों के लिए खुला रखा जाय ।

सरकार ने हाथी कमेटी की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि प्रपुंज औषधों/सूत्रयोगों के उत्पादन में अपना योगदान देने के लिए भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में एक उदार नीति अपनाई जाय।

सरकार ने इस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया है कि औषध एवं भेषज उद्योग में सरकारी क्षेत्र को मुख्य भूमिका अदा करने का अवसर दिया। औषध उद्योग के सरकारी क्षेत्र सहित भारतीय क्षेत्र को सुदृढ करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के ब्यौरे दिनांक 6-4-76 को लोक सभा ता० प्र० 402 संख्या के भाग (क) के उत्तर में बताये गये थे।

हाथी समिति ने औषधों के गुण नियंत्रण से सम्बन्धित पहलुओं के लिये विस्तृत सिफारिश इस सम्बन्ध में सिफारिशों को विस्तृत रूप में 3 श्रेणियों में बांटा गया है।

(1) औषध एवं सौदर्य प्रसाधन अधिनियम में संशोधन तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम से सम्बन्धित सिफारिश (2) केन्द्रीय सरकार के औषध नियंत्रण प्रशासन को सुदृढ़ करने से सम्बन्धित सिफारिशें (3) राज्यों में औषध नियंत्रण मशीनरी के लिए सिफारिशें जहां तक (1) का सम्बन्ध है औषध एवं सौदर्य प्रसाधन अधिनियम जिसमें हाथी समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का उल्लेख है, ये संशोधन करने के लिए एक विधेयक विचाराधीन है।

केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन के पुर्नगठन तथा उपरोक्त (2) में बताये गये वर्तमान सुविधाओं के विस्तार से सम्बन्धित सिफारिशों को सरकार ने सिधान्त रूप में स्वीकार कर लिया है तथा जब कभी वित्त व्यवस्था उपलब्ध हो उन्हें कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे। जहां तक (3) का सम्बन्ध है राज्य सरकार को इन सिफारिशों को कार्यान्वियन करना है तथा उन्हें सलाह दी गई है कि औषध नियंत्रण मशीनरी उचित सिद्धान्तों पर पुर्नगठन करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों को लिखा है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान खाद्य एवं औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने एवं सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए एक योजना स्वीकृत कर दी है तथा इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक अनुदेश दिये गये हैं।

बहु-राष्ट्रीय निगमों के सहयोग से उर्वरकों का उत्पादन

*770. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम से कम 6 देशों में कार्यरत एवं 10 करोड़ डालरों से अधिक मूल्य के सामान विक्रय करने वाले किसी बहुराष्ट्रीय निगम ने भारत में उर्वरक कारखाना स्थापित करने अथवा उसके उत्पादन क्षेत्र में सहयोग करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे किन देशों में निगमित हैं ;

(ग) क्या इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने जिन शर्तों का प्रस्ताव किया है वे शर्तें स्वदेशी अथवा विदेशी गैर-बहुराष्ट्रीय निगमों की शर्तों के तुलनीय है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार और वे प्रस्ताव कहां तक अधिक अनुकूल हैं और वे किन के हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) मैसर्स इण्डिया एक्स्लोसिव लि०, भारत में निगमित कंपनी और इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज (आई०सी०आई), यू० के० द्वारा अधिकांश इक्विटी भागीदारी वाली ने पंकी कानपुर में उनके विद्यमान उर्वरक संयंत्र के विस्तार में हित प्रकट किया है तथापि वांछित प्रौद्योगिकी आर्थिक ब्यौरों के साथ संलग्न कोई औपचारिक प्रस्ताव इस सम्बन्ध में नहीं मिला है।

(ग) और (घ) प्रौद्योगिकी आर्थिक ब्यौरों के अभाव में कोई मूल्यांक/प्रस्ताव नहीं मिला है।

वर्ष 1976-77 के लिए ढलवां लोहे के स्लीपरों के क्रयादेशों में कटौती

3698. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 1976-77 के लिए ढलवां लोहे के स्लीपरों के क्रयादेशों में कटौती की है और क्रयादेशों से ढलाई कारखाने केवल दो माह से अधिक समय तक व्यस्त नहीं रहेंगे; और

(ख) क्रयादेश में इस कटौती के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। रेलों की ढालवां स्लीपरों की जरूरतें कम हो गयी हैं। शीघ्र ही लोह के ढलाई कारखानो को ऐसे आर्डर दिये जायेंगे जिनकी ठेके की शर्तों के अनुसार सप्लाई पूरी करने के लिए उन्हें 9 महीने का समय दिया जायेगा। आशा है कि ढलाई कारखाने अपने काम तदनुसार नियमित करेंगे।

(ख) ढलवां लोहे के स्लीपरों की जरूरतें कम हो जायेंगी क्योंकि अनुरक्षण, रफ्तार और आधुनिकीकरण के अनुकूलन के दृष्टिकोण से इस स्लीपर को अंतिम तरजीह दी जाया करेगी। इसके आलावा कंक्रीट, लकड़ी और इस्पात के स्लीपरों की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है साथ ही 1976-77 में आर्डर देने के लिए कुल मिलाकर धन भी कम मात्रा में उपलब्ध होगा।

Tea Stalls, Trolleys and Book Stalls in Bombay Division

3699. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the number of tea-stalls, trolleys and book-stalls at local and main lines platforms in Bombay Division on Western Railway at present ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) The number of tea-stalls, trolleys and book-stalls in Bombay Division on Western Railways is as under :—

	Number of		
	Tea-stalls	Trolleys	Book-stalls
Suburban Lines	95	2	32
Main Lines	84	93	15

तिनसुकिया और लुमडिंग के बीच स्टेशनों की स्थिति

3700. **श्री नूरुल हुडा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि तिनसुकिया, फरकाटिंग, मेरियेनी तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों से गुजरने वाले अथवा उपयोग करने वाले हजारों यात्रियों को स्थान, प्रतीक्षालय सुविधाओं, सफाई तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में भारी कठिइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे ने तिनसुकिया और लुमडिंग के बीच रेलवे स्टेशनों की आम स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) सफाई और अन्य सुविधाओं का मानक अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बार-बार छापे मारे जाते हैं तथा इसके लिए एक संयुक्त समिति बनाई गयी है। यथा आवश्यक वर्तमान सुविधाओं में वृद्धि निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर की जाती है बशर्ते रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति अनुमोदित करे और धन उपलब्ध हो।

मुअत्तिली और बर्खास्तगी के आदेशों का वापस लिया जाना

3701. **श्री मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत रेलवे हड़ताल के परिणामस्वरूप पास किए गए मुअत्तली और बर्खास्तगी के कितने आदेश वापिस लिए गए हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बुटा सिंह) :

(i) वापस लिए गए मुअत्तिली आदेशों की संख्या	10,138
(ii) उन कर्मचारियों की संख्या जो बर्खास्त किए गए या हटाए गए या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी और जिनको ड्यूटी पर वापस लिया गया	16,086

Utilisation of Rock Phosphate

3702. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the extent to which the per ton price of rock phosphate found in Udaipur, Rajasthan is less as compared to the price of rock phosphate imported from Jordan;

(b) whether any difficulty is being experienced in utilising indigenous rock phosphate for manufacturing fertilizers; and

(c) whether Fertilizer Corporation of India is utilising rock phosphate available in Jhabua district in Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI) : (a) The current price of Rajasthan rock phosphate is Rs. 300 per tonne F. O. R. Udaipur city exclusive of royalty and sales tax. As against this, the present ex-jetty price of Jordan rock is Rs. 500 per tonne. In comparing the two prices, however, due allowance would have to be made for the differences in quality and characteristics of the two rocks.

(b) Indigenous manufacturers have difficulties in optimising production with the use of only Rajasthan rock due to its higher silica content which leads to erosion in various equipments, lower P 205 content as compared to Jordanian and other imported rock phosphate, and hardness resulting in difficulties in grinding.

(c) No, Sir.

Conversion of Railway Line from Ratlam to Indore and Indore to Khandwa into Broad-Gauge Lines

3703. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether a scheme has been formulated to convert the railway line from Ratlam to Indore and from Indore to Khandwa into broad gauge ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): No decision has yet been taken to convert the Ratlam-Indore-Khandwa rail link from Metre Gauge to Broad Gauge.

Broad Gauge Lines on Gaya-Ranchi and Gaya-Rajgarh Tracks

3704. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the survey work for laying broad gauge railway lines on the Gaya-Ranchi *via* Sherghati was completed years ago and on the Gaya-Rajgarh *via* Bodh Gaya is in progress now; and

(b) whether Government have decided to construct both the railway lines with a view to develop the backward areas of Gaya, Hazaribagh and Ranchi districts and to facilitate the journey of the tourists from the friendly countries to the places ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b) Surveys for the construction of a new rail from Gaya to Ranchi *via* Sherghati were carried out in 1946-47 but the project was shelved due to inadequate traffic justification. A survey has now been included in Railway Budget 1976-77 for the construction of a rail link from Gaya to Rajgir.

उर्वरक एकक स्थापित करने के लिए तकनीकी जानकारी

3705. श्री एस० आर० दामानी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नए उर्वरक एकक स्थापित करने के लिए अब सम्पूर्ण तकनीकी जानकारी उपलब्ध है ;

(ख) यदि नहीं तो संयंत्र और मशीनरी की किन-किन मदों का अब भी निर्यात करने की आवश्यकता है; और

(ग) क्या इन मदों को देश में बनाने में कठिनाइयां हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के योजना और विकास प्रभाग, एफ०ए०सी०टी० इंजीनियरिंग और डिजाइन संगठन और इंजीनियर्स इंडिया लि० जैसी इंजीनियरिंग कम्पनियों ने भारत में सम्पूर्ण स्थल-दूर सुविधाओं सहित उर्वरक संयंत्रों के कुछ खण्डों के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी का विकास किया है। तथापि सम्पूर्ण प्रक्रिया और मूल डिजाइन तथा इंजीनियरिंग के सम्बन्ध में जानकरी का अभी आयात करना पड़ता है। इसी प्रकार यद्यपि भारत उर्वरक उद्योग में अपेक्षित प्लांट और मशीनरी से एक अधिकांश भाग का निर्माण/उत्पादन करने की स्थिति में है और फिर भी कुछ दुर्लभ और स्वामित्व वाली मदों का आयात भी करना पड़ता है। आयातित उपकरणों को प्राप्त करने में विस्तृत इंजीनियरिंग सहायता की देख-रेख और उर्वरक संयंत्रों को चालू करने और उनकी स्थापना करने में पर्यवेक्षी सहायता के सम्बन्ध में भी विदेशी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है।

(ख) अभी प्लांट और मशीनरी की जिन मदों का आयात करने की आवश्यकता है, उनमें बेकार हीट बायलर, विशेष प्रकार के हीट एक्सचेंजर रिएक्टर और अधिक दाब वाले बर्तन, कुछ विशेष प्रकार परस्पर दबाव वाले उपकरण, विशेष प्रकार के पम्प आदि जैसी मदें शामिल हैं।

(ग) सरकार आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से देश में प्रौद्योगिकी और औद्योगिक आधार का विकास करने के लिए उत्सुक है। उर्वरक उद्योग में सरकारी क्षेत्र की इंजीनियरिंग फर्मों की विस्तृत भूमिका की व्याख्या करने और संगठन में उनकी विशेषता को मजबूत करने की दृष्टि से उनकी प्रौद्योगिकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने डा० सेठना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। उपकरण और मशीनरी का स्थानीय रूप से निर्माण करने में उत्तरोत्तर वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार सक्रिय रूप से भारत में इंजीनियरिंग सुविधाओं का विकास और विस्तार कर रही है।

जयपुर डिवीजन में पुलों पर रंग-रोगन का काम

3706. **श्री एस० एन० सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर डिवीजन के कुल कितने पुलों पर रंग-रोगन का काम निर्धारित समय में नहीं हो सका और इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) जयपुर डिवीजन में (1) बी०आर०आई०, (2) पी०डब्ल्यू०आई०एस०, (3) टी०ओ०डब्ल्यू०एस० श्रेणियों के अन्तर्गत इस कार्य के लिए इस समय कितने कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं और यदि कोई रिक्त पद हैं, तो वे कितने हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय रेलों पर पुलों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं पुलों पर रंग रोगन करने की आवश्यकता होती है, रेलवे द्वारा यह कार्य निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है।

जयपुर मंडल में, 72 छोटे और 27 बड़े पुलों पर रंग-रोगन करने की आवश्यकता है। रेलवे ने इस कार्य को 1976 तक पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। किन्तु गर्डर पुलों के रंग-रोगन करने में कोई विलम्व नहीं है।

(ख) स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

(क) पुल निरीक्षक के अधीन

(i) पुल खलासी--6

(ii) सामान्य खलासी--5

(ख) रेलपथ निरीक्षक के अधीन

कोई स्थायी विशेष कर्मचारी नहीं है परन्तु आवश्यकता पड़ने पर रंग रोगन करने के लिए गैंग मैन तथा नैमित्तिक श्रमिकों को लगा लिया जाता है।

(ग) निर्माण निरीक्षक के अधीन

इस कार्य के लिए कमचारियों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है क्योंकि निर्माण निरीक्षक पुलों पर रंग रोगन करने के काम का प्रभारी नहीं है। अतः, रिक्तियों का प्रश्न ही नहीं उठता।

Upgradation of Ministerial Staff

3707. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the case of the upgradation of railway Ministerial employees has been pending with Government for years together, whereas the case in respect of class I and class II Railway Officers was disposed of long ago; and

(b) if so, the reasons for inordinate delay in the upgradation of Class III employees ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) : (a) and (b) The finalisation of the scheme of restructuring non-gazetted cadres on Railways including ministerial staff has taken comparatively longer time, in view of the large number of categories and the considerable financial commitment involved. The scheme has since been approved by Government and is likely to be implemented shortly.

महाराष्ट्र एक्सप्रेस में अतिरिक्त डिब्बे लगाने का प्रस्ताव

3708. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई को जाने वाले यात्रियों विशेषकर दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तर कर्नाटक क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को सीधी यात्रा की सुविधा देने की दृष्टि से महाराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) कोल्हापुर और बम्बई के बीच 83/84 महाराष्ट्र एक्सप्रैस और 323/324 शोलापुर-बम्बई एक्सप्रैस गाड़ियों के साथ 8-4-76 से दो डिब्बे एक पहला दर्जा सावारी डिब्बा और एक दूसरा दर्जा सहित सामान यान लगा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 83/84 एक्सप्रैस तथा मेल लेने वाली गाड़ियों के साथ बम्बई और मिरज के बीच चलने वाले आंशिक 3 टियर शयनयान का चालन क्षेत्र भी कोल्हापुर तक बढ़ा दिया गया है।

औषधियों की लागत में कमी

3709. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालीस औषधियों की लागत में अभी हाल में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात की जाने वाली मूल औषधियों पर आधारित फार्मूलेशनों की कीमतों पर इस कमी का प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) औषधों के मूल्य सांविधिक रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं।

बी० आई० सी० पी० द्वारा मूल्यों की जांच के परिणामस्वरूप निम्नलिखित औषधों के मूल्यों में कटौती की गई है :—

क्रम सं०	औषध का नाम	यूनिट	संशोधन से पूर्व मूल्य (रुपये में)	अब सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य (रुपये में)
1.	विटामिन बी-12 .	ग्राम	100.00	95.00
2.	रिबोफ्लिविन 5-फोस्फेट सोडियम।	कि० ग्राम	2500.00 (फ्रांस-भारत) 2800.00 (निवेदिता) 3000.00 (आई० डी०पी० एल०)	2350.00 (सबके लिये)
3.	वेन्जाथिन पैंसिलिन .	कि० ग्राम	1263.00 (एच०ए०एल०) 2000.00 (ज्योफ्रीमैनर्स)	1375.00(सब के लिए)

वर्ष 1975-76 के दौरान एस० टी० सी० ने भी निम्नलिखित प्रपुंज औषधों के मूल्यों में कटौती की है :—

क्रम सं०	औषध का नाम	संशोधन से पूर्व मूल्य (रुपये/किलो ग्रा०)	संशोधन के बाद मूल्य (रुपये/किलो ग्राम)
1.	एम्पीसिलीन	2030.00	1540.00
2.	एम्पीसिलीन सोडियम	1670.00	1300.00
3.	एम्पीसिलीन ड्राईहाईड्रेट	1425.00	1105.00
4.	क्लोरमफैनीकोल पाल्मीटेट .	670.00	522.00
5.	क्लोरमफैनीकोल पाउडर (पूल मूल्य)	646.00	524.60
6.	क्लोरमफैनीकोल सोडियम सक्सीनेट	1060.00	748.00
7.	इन्डोमेथासिन	1316.00	816.58

परिणामस्वरूप इन प्रपुंज औषधों पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्यों में भी कटौती हुई है। एस० टी० सी०/सी० ए० पी० सी० ओ० ने भी अपने व्यापार लाभांश में 5% से 4% तक कटौती की है और लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।

Management of Temples and Shrines

3710. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the management of several temples and shrines in various States of the country is under the control of Central Government; and

(b) if so, the State-wise number of such temples and shrines ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DR. V. A. SEYID MUHAMMAD) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

नई रेलगाड़ियां चलाया जाना

3711. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 मई 1976 से चलाई गई नई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारतीय रेलवे में नए मार्गों तथा सैक्शनों पर ऐसी रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिन के मार्ग में परिवर्तन किये गए हैं।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख)

1. नयी रेल गाड़ियों का चलाया जाना

(1) इलाहाबाद और मेरठ सिटी के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां।

(2) मुरी और हटिया के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां।

(3) तुमसर रोड और थरसा के बीच एक जोड़ी लोकल गाड़ियां।

(4) सियालदह और मध्यमग्राम के बीच एक जोड़ी उपनगरीय लोकल गाड़ियां।

(5) गोंदिया और जबलपुर (छोटी लाइन) के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां।

2. वर्तमान गाड़ियों का विस्तार

(1) 15 अप/16 डाउन हावड़ा-लखनऊ एक्सप्रेस अमृतसर तक।

(2) 84 डाउन/83 अप दल्ली-लखनऊ एक्सप्रेस वाराणसी तक।

(3) 35 अप/36 डाउन कालका-अमृतसर मेल पठानकोट तक।

(4) 444 डाउन/443 अप नागपुर-कांहन लोकल थरसा तक।

(5) 359 अप/360 डाउन वर्दवान-अंडाल सवारी गाड़ी आसनसोल तक।

(6) 64 डाउन/63 अप हटिया आद्रा-आसनसोल सवारी गाड़ियों का मार्ग बदल कर उन्हें हटिया और खड़गपुर के बीच चलाया गया है और आद्रा और आसनसोल के बीच एक शटल गाड़ी चलायी गयी है।

(7) एम/8 माचेदा-हावड़ा उपनगरीय लोकल को पांशकुड़ा से हावड़ा तक चलाया गया है।

(8) 1153/1154 पाकाला-काटपडी सवारी गाड़ियों को रेणिगुन्टा तक।

(9) 1 बी० एन० 2 बी० एन० नैनपुर-बालाघाट सवारी गाड़ियों को गोंदिया तक।

गुजरात में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक

3712. श्री एन० आर० बेकारिया
श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक कितने हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन रेलवे फाटकों पर कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ग) उनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गए; और

(घ) उन्हें चौकीदार वाले फाटकों में बदलने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गुजरात राज्य में 31 मार्च 1975 को 'सी' श्रेणी के 3787 बिना चौकीदार वाले समपार थे।

(ख) छब्बीस।

(ग) पन्द्रह।

(घ) समपारों पर चौकीदार तैनात करने की आवश्यकता है इस बात की समीक्षा करने के लिए इन समपारों से होकर जाने वाले यातायात की रेलें आवधिक गणना करती हैं और इसके लिए ऐसे समपारों को प्राथमिकता दी जाती है जहां दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। चौकीदार तैनात करने सम्बन्धी प्रस्तावों को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाता है और यह काम योजनाबद्ध आधार पर किया जाता है, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो। इन समीक्षाओं के फलस्वरूप, राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, गुजरात राज्य में बिना चौकीदार वाले 85 समपारों को चुना गया था जिन पर चौकीदारों की व्यवस्था की जानी है। इनमें से, अब तक 77 समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था की जा चुकी है।

कोट्टूर तथा हरिहर के बीच रेल लाइन

3713. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बेल्लारी हॉस्पेट क्षेत्र से राज्य के नये बन्दरगाह, मंगलौर तक लौह अयस्क के सुगम परिवहन के लिए कोट्टूर और हरिहर को रेल लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इस छोटी सी रेल लाइन की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) कोट्टूर से हरिहर (67 कि० मी०) तक के प्रस्तावित रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए कुछ समय पहले तक सर्वेक्षण किया गया था उससे यह पता चला कि इस परियोजना पर 4 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और

डी०सी० एफ० उपाय द्वारा 7.6 प्रतिशत आय होगी। इस समय निर्माण की लागत, सर्वेक्षण रिपोर्टों में बतायी गयी लागत से अधिक होगी। परियोजित लाइन पर होने वाले यातायात की परिसीमित संभावनाओं और नये रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए धन की अति सीमित उपलब्धता को देखते हुए इस परियोजना को निकट भविष्य में हाथ में लेने की संभावना नहीं है।

भारतीय तेल निगम द्वारा नियुक्त नए वितरक

3714. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने अक्तूबर, 1975 के पश्चात् देश में कोई नये वितरक नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में कितने वितरक काम कर रहे हैं;

(ग) तेल की बिक्री में उनका कितने प्रतिशत हिस्सा है; और

(घ) वहां पर अन्य कौन-कौन सी कम्पनियां तेल का काम कर रही हैं और उनके कार्य-संचालन की मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) जी हां। इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा 1-11-75 से 31-3-76 तक 93 डिस्ट्रिबयूटरशिप के लिए नियुक्ति पत्र जारी किये गये थे जिसमें से एक उड़ीसा सरकार से सम्बन्धित है जोकि अभी चालू किया जाना है।

तथापि, पहले जारी किये गये नियुक्ति पत्रों की अपेक्षा इस अवधि के दौरान तीन एजेंसियां एक एल० पी० जी०, एक फुटकर पम्प तथा एक मिट्टी के तेल की चालू की गई थी। ये एजेंसियां अभी हाल ही में चालू की गई हैं उनका विक्रय अभी स्थिर नहीं हुआ है।

(घ) भारत रिफाइनरीज लि०, हिन्दुस्तान पैटोलियम कारपोरेशन, कालटेक्स (इंडिया) लि० तथा इण्डो बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लि० भी उड़ीसा में पैट्रोलियम उत्पादों को अपने वितरण कार्य द्वारा वितरण कर रहे हैं।

मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की प्रतिशतता में कमी

3715. **चौधरी नीति राज सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में 31 मार्च, 1976 की श्रेणीवार कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी थी और प्रत्येक जोन तथा डिवीजन के लिये, अलग-अलग श्रेणीवार भर्ती तथा पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये निर्धारित प्रतिशतता में कितनी कमी थी; और

(ख) क्या इस कमी को पूरा करने के लिय सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) इस कमी को यथा सम्भव पूरा करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

निर्यात के लिए रेल उपकरणों का निर्माण करने हेतु कम्पनी

3716. **श्री के० मालन्ना**
श्री के० लकप्पा } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात के लिय रेल उपकरणों का निर्माण करने हेतु एक कम्पनी स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं जठता।

बम्बई हाई से अशोधित तेल का उत्पादन

3717. **श्री भान सिंह भौरा**
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे } : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से अशोधित तेल का वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन आरम्भ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उत्पादन आरम्भ होने में विलम्ब हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ख) बम्बई हाई से तेल का उत्पादन, लगभग कार्यक्रम के अनुसार मानसून चलने से पूर्व आरम्भ होने की आशा है।

रंगों/कीटनाशक दवाओं में उपभोग के लिए कच्ची सामग्री का आयात

3718. **श्री सोमचन्द सोलन्की** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ फर्में रंगों तथा कीटनाशक दवाओं में उपयोग हेतु कच्ची सामग्री का आयात करती हैं परन्तु उसका उपयोग अतिसार निवारक उद्देश्यों के लिये 'बल्क' औषधियों के निर्माणार्थ करती हैं;

(ख) क्या किसी कम्पनी ने रगों के निर्माणार्थ आयातित कच्ची साम्रगी का उपयोग 'बल्क' औषधियों के निर्माण के लिये किया जिसकी उसको अनुमति प्राप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें गैर-औषध मदों, जैसे रंजक पदार्थ/कीटनाशी के लिये आयातित कच्चे माल का प्रयोग औषधों के निर्माण के लिये किया गया हो।

समस्तीपुर-दरभंगा लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3719. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रेल** मंत्री समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये सर्वेक्षण के बारे में 9 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 211 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये अन्तिम स्थल इंजीनियरिंग सर्वेक्षण इस बीच पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) पुनरीक्षित अनुमान सहित तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और बदलने का कार्य पूरा करने का निधारित समय क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सर्वेक्षणों का क्षेत्र कार्य पूरा हो चुका है और रिसेस कार्य हो रहा है। रिसेस कार्य के पूरा हो चुकने के बाद आशा है शीघ्र ही सर्वेक्षण रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया जायेगा। सर्वेक्षण रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद ही संशोधित अनुमान और समय अनुसूची मालूम हो सकेगी।

गुजरात पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

3720. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पैट्रो-रसायन निगम लिमिटेड के गुजरात पैट्रो-रसायन उद्योग समूह पर कार्य इस बीच प्रारम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) इण्डियन पट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड इस समय निम्नलिखित प्रायोजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं :—

(क) एरोमैटिक प्रोजेक्ट

(ख) आलीफिन्स प्रोजैक्ट

(ग) आलीफिन्स प्रायोजना के डाउनस्ट्रीम यूनिट

- (i) कम घनत्व वाली पोलिथिलिन
- (ii) पोलीप्रापाइलीन
- (iii) एथिलीन ग्लाइकोल
- (iv) पोलीबुटाडाइन रबड़
- (v) एक्रीलोनीट्राइल
- (vi) एक्रीलिक फाइवर
- (vii) डिटरजैंट एलकाइलेट

एरोमेटिक प्रोजैक्ट 1973-74 के दौरान पूर्ण एवं प्रारम्भ हुआ। आलीफिन्स प्रोजैक्ट एवं इसके डाउन स्ट्रीम एकक कार्यान्वियन के अन्तिम चरण पर हैं।

उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान बिछाई गई नई रेल लाइनें

3721. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान बिछाई गई नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : उड़ीसा में विगत तीन वर्षों के दौरान कटक से पारादीप तक की 84.31 कि० मी० लम्बी रेलवे लाइन 10.59 करोड़ रुपये की लागत से बन चुकी है और 9-7-1973 से माल यातायात के लिए खोल दी गयी है।

कश्मीर में छिद्रण कार्य

3722. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे :** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञ कश्मीर में चुने गये नये स्थल में नये सिरे से और अंतिम छिद्रण कार्य आरम्भ करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) तेल तथा प्राकृति गैस आयोग ने मार्च, 1975 से अप्रैल, 1976 तक तट पर किन स्थानों पर छिद्रण कार्य किया था; और

(घ) इन छिद्रण कार्यों के राज्य-वार क्या निष्कर्ष निकले ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) ओ० एन० जी० सी० की श्रीनगर घाटी नरावल में, जहां इस समय रिग भवन का कार्य चल रहा है, शीघ्र व्यधन कार्य आरम्भ करने की संभावना है।

(ग) मार्च 1975 और अप्रैल 1976 के बीच में ओ० एन० जी० सी० ने 27 स्थानों पर खुदाई जारी रखी है और गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिल नाडु पांडिचेरी, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में भूमि पर 13 नए स्थानों पर खुदाई का कार्य आरम्भ किया है।

(घ) 27 स्थान जहां खुदाई जारी रखी गई है में से 21 स्थानों पर 15 गुजरात में 5 असम में और एक त्रिपुरा में, पहले ही तेल/गैस का पता लगा है।

शेष 6 स्थानों जहां वर्ष के दौरान खुदाई जारी रखी गई थी में से एक स्थान अर्थात् गुजरात में ननदासन में तेल पाया गया था। अन्य पांच स्थानों पर, गुंजरात में दो राजस्थान में एक और तमिल नाडु और पांडीचेरी में दो, खोदे गए कुएं सूखे निकले हैं।

इस अवधि के दौरान खुदाई के लिये लिये गये 13 नये स्थानों में से एक स्थान अर्थात् गुजरात में 'भानदत्त' में तेल पाया गया था। शेष 12 स्थानों में से राजस्थान असम, गुजरात और पश्चिम बंगाल में 5 स्थानों पर खुदाई चल रही है, गुजरात में चार स्थानों पर जांच चल रही है और असम और जम्मू व काश्मीर में 3 स्थानों पर सूखा पाया गया है।

रेलवे के नैमित्तिक श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि

3723. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने रेलवे के नैमित्तिक श्रमकों की मजूरी में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : 1969 में नियुक्त किए गये मियाभाय अधिकरण की सिफारिशों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :—

(i) चालू लाइनों पर नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों को छः महीने की निरंतर सेवा पूरी हो जाने तक स्थानीय बाजार दरों पर मंजूरी दी जाती थी। इसके बाद वे अस्थायी दर्जा और नियमित वेतनमान पाने के हकदार हो जाते थे। अब ऐसे श्रमिकों को 4 महीने की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर अस्थायी दर्जा और नियमित वेतनमान पाने का हकदार बना दिया गया है।

(ii) इससे पहले परियोजनाओं पर नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों को उस परियोजना पर उनके सेवा की पूरी अवधि के दौरान स्थानीय बाजार दरों पर दैनिक मजूरी दी जाती थी। अब परियोजनाओं पर निरंतर 6 महीने के लिए नियुक्त किये जाने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को उपयुक्त वेतनमान के न्यूनतम जमा महंगाई भत्तों के 1/30 की दर से दैनिक मजूरी दी जाती है।

(iii) पहले ऊपर बताये गये ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों को जो न्यूनतम मजूरी अधिनियम द्वारा शासित होते हैं, तब तक न्यूनतम अधिसूचित दरों के हिसाब से मजूरी दी जाती थी जब तक कि वे नियमित वेतनमानों या नियमित वेतनमानों के न्यूनतम के 1/30 की दर से मजूरी पाने के पात्र नहीं हो जाते थे। अब इन श्रमिकों को इस अवधि के दौरान स्थानीय बाजार दरों या न्यूनतम अधिसूचित दरों, जो भी अधिक हों, के हिसाब से मजूरी दी जाती है।

समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

3724. श्री राजदेव सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के चौथे सत्र में भाग लेने के लिए अप्रैल, 1976 के दूसरे सप्ताह में उनके नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल न्यूयार्क गया था;

(ख) क्या इस चौथे सत्र में चर्चा किए जाने वाले विषय के प्रत्येक पहलू पर विचार प्रस्तुत करने के लिए उस प्रतिनिधिमण्डल में सात वैकल्पिक प्रतिनिधि थे;

(ग) क्या भारत ने पूर्ववर्ती तीन सत्रों में भी भाग लिया था; और

(घ) यदि हां, तो उन पूर्ववर्ती सत्रों का क्या परिणाम निकला?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मुहम्मद) : (क) समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का चौथा सत्र तारीख 15 मार्च, 1976 से 7

मई, 1976 तक न्यूयार्क में हुआ था। समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के चौथे सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सभी सदस्य एक ही समय पर न्यूयार्क के लिए रवाना नहीं हुए थे। कुछ सदस्य मार्च के दूसरे सप्ताह में न्यूयार्क के लिए रवाना हुए और कुछ अन्य सदस्य बाद में प्रतिनिधिमण्डल से जा मिले। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता अर्थात् विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 12 अप्रैल, 1976 को न्यूयार्क के लिये रवाना हुए।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) सम्मेलन का पहला सत्र दिसम्बर, 1973 में न्यूयार्क में हुआ था। उसमें संगठन और प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों पर विचार किया गया था। सम्मेलन का दूसरा सत्र जून, 1974 से अगस्त, 1974 तक काराकास, वेनेज्युला में हुआ था। इसमें प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा सम्मेलन की तीन मुख्य समितियों में और सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में तथा सम्मेलन के प्रारम्भिक कार्य के दौरान पेश किए गए ठोस प्रस्तावों पर विचार किया गया था। सम्मेलन का तीसरा सत्र मार्च, 1975 से मई, 1975 तक जेनेवा में हुआ था। दूसरे और तीसरे सत्रों में इस सम्मेलन ने विस्तार के साथ विचार-विमर्श किया था। मई, 1975 में तीसरे सत्र के अन्त में सम्मेलन की तीन मुख्य समितियों के अध्यक्ष ने इन प्रस्तावों और विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए अपनी-अपनी समिति के मेन्डेट के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर आगे वार्ता के लिए और समुद्री विधि पर एक व्यापक कन्वेंशन को अन्तिम रूप देने की दृष्टि से अनौपचारिक एकल वार्ता विषय के प्रारूप (इन्फार्मल सिंगल नैगोशिएटिंग टैक्सट्स) तैयार किए। इन प्रारूपों पर मार्च और मई, 1976 के बीच न्यूयार्क में हुए सम्मेलन के चौथे सत्र में विचार किया गया।

बिना टिकट यात्रा

3725. **श्री रामसहाय पाण्डे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

वर्ष 1975 में बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने व्यक्तियों को जेल भेजा गया और जुर्माने की कितनी राशि वसूल की गई?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): 1975 के दौरान 1,61,908 बिना टिकट यात्री जेल भेज दिये गये थे और 27,63,871/– रुपये की रकम अदालती जुर्माने के रूप में वसूल की गयी थी। इसके अलावा बिना टिकट यात्रियों से जुर्माने के रूप में 1,86,92,690 रुपये भी रेलवे द्वारा वसूल किये गये गए थे।

अम्बाला-दिल्ली यात्री गाड़ी का लूटा जाना

3726. **श्री प्रबोध चन्द्र:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 4 मार्च, 1976 की रात्रि को कुछ सशस्त्र व्यक्तियों ने अम्बाला-दिल्ली यात्री गाड़ी को जदूदा के समीप लूट लिया था; और

(ख) क्या सरकार ने मामले की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, 4-3-1976 की रात्रि को उत्तर रेलवे के सहारनपुर, दिल्ली खंड पर जरौदा नारा और मंसूरपुर स्टेशनों के बीच 4 डी० एस० यू० यात्री गाड़ी में एक डकैती पड़ी थी।

(ख) लूटी गयी 150/– रुपये मूल्य की सम्पत्ति बरामद कर ली गयी है। मेरठ की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

कम्पनी अधिनियम में संशोधन

3727. **श्री पी० गंगा रेड्डी**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने सरकार से कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का निर्देश सरकारी उपक्रमों के ब्यूरो द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों को इस अधिनियम के कुछ विशिष्ट उपबंधों से मुक्ति प्रदान कराने के लिए, दिये गये सुझावों की ओर है।

(ख) सरकारी कम्पनियों को, धारा 372 के लागूकरण से मुक्ति प्रदान करते हुए एक अधिसूचना 9 अगस्त 1975 को प्रकाशित हुई थी। कम्पनी अधिनियम के कुछ अन्य विशिष्ट उपबन्धों के लागूकरण से इन कम्पनियों को मुक्ति प्रदान करते हुए प्रारूप अधिसूचनायें, वर्तमान में इस अधिनियम की धारा 620 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रारूप के रूप में प्रस्तुत की गई है।

बिहार में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक

3728. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने रेलवे फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त नहीं हैं; और

(ख) 1975 में वहां कितनी दुर्घटनायें हुईं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बिहार राज्य में 'सी' श्रेणी के बिना चौकीदार वाले लगभग 1,500 समपार हैं।

(ख) सात।

उत्तरी राज्यों में उर्वरकों का जमा हो जाना

3729. **श्री के० लकप्पा :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में बड़ी मात्रा में उर्वरक जमा हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) सरकार को समस्त राज्यों, जिसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, में उर्वरक भण्डारों के संचयन की जानकारी है। 1-4-76 को उर्वरक निर्माताओं द्वारा धारित कुल भण्डार 2.02 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 1.10 लाख मी० टन पी०$_2$ओ०$_5$ था जबकि 1-4-75 को 1.02 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 0.60 लाख मी० टन पी०$_2$ ओ०$_5$ था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा धारित आयातित उर्वरकों के भण्डार दिनांक 1-4-76 को 3.38 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 2.06 लाख मी० टन पी०$_2$ ओ०$_5$ था। उर्वरक मूल्यों में हाल की कटौती के साथ यह आशा की जाती है कि उठान में सुधार होगा जब खरीफ मौसम शुरू होता है।

'इण्डियन एक्सप्रैस' द्वारा वित्तीय अधिनियमितताएं

3730. **श्री शशि भूषण : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'इण्डियन एक्सप्रैस' और उसके भूत पूर्व मालिकों गोयन्का बन्धुओं द्वारा की गई भारी वित्तीय गड़बड़ी और अनियमितताओं के बारे में सरकार के पास अनिर्णीत पड़े मामले की क्या प्रगति हुई है ;

(ख) 'इण्डियन एक्सप्रैस' से कितनी सरकारी धनराशि वसूल की जानी है और अब, जबकि 'इण्डियन एक्सप्रैस' का नया प्रबन्ध विड़ला ग्रुप के साथ सम्बद्ध है, वित्तीय देनदारियों को कौन वहन करेगा ; और

(ग) सम्बद्ध होने के लिए नए प्रबंधकों की क्या शर्तें हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) अनुलग्नक 'क' के रूप में एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विवरण

कम्पनी विधि बोर्ड ने आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 2 अप्रैल, 1971 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास एक शिकायत दर्ज कराई जिसने शिकायत को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख, 420 और 477-क के अन्तर्गत अपराधों के लिए पंजीकृत किया। दर्ज शिकायत के साथ-साथ ये आरोप भी लगाए कि मैसर्स आंध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्धक ने 1967-68 की अवधि में पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड मद्रास से उच्चतर नकद जमा सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से 37 लाख रुपये के लगभग मूल्य के सफेद मुद्रण कागज के स्टाक की स्फीत दिखला कर इस प्रकार बैंक को कागज का स्टाक जो विद्यमान नहीं था पर जमा

प्राप्त करके बैंक को धोखा दिया है। जांच प्रारम्भ करने और खोज सम्पन्न करने के तुरन्त पश्चात् श्री रामनाथ गोयन्का ने सी० बी० आई० द्वारा सम्पन्न जांच और कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा शिकायत की असलियत को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में लिखित याचिका प्रस्तुत की। याचिका रद्द कर दी गई लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में अपील की छुट्टी का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् इण्डियन एक्सप्रैस समूह की कम्पनियों तथा राम नाथ गोयन्का द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में 6 अपीलें प्रस्तुत की गई हैं। अपीलों पर अभी सुनवाई नहीं की गई है।

जांच के दौरान साक्ष को ध्यान में रखते हुए सी० बी० आई० ने मद्रास में स्पेशल प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट की अदालत में 21-5-1973 को 471,477 ए० आई० पी० सी० के साथ पठित धारा 420 आई० पी० सी०, 467 के साथ पठित धारा 120ख आई० पी० सी० के अन्तर्गत आरोप प्रस्तुत किये मामला मद्रास के मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में परीक्षान्तर्गत है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के अन्तर्गत जमाओं के वापिस न करने के अभियोग निम्नलिखित मामलों में प्रारम्भ किये गये हैं:—

1. इण्डियन एक्सप्रैस (मदुराई) प्रा० लि०
2. इण्डियन एक्सप्रैस न्यूज पेपर (बम्बई) प्रा० लि०
3. आंध्र प्रभा प्रा० लि० हैदराबाद ।

Cut in fare of airconditioned classes

3731. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH, SHRI SHIV KUMAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have recently announced cuts in airconditioned first class and chair car fares;

(b) if so, the estimated annual profit or loss to Indian Railways thereby;

(c) Whether Government propose to reduce the fares of sub-urban trains and bring the fares in respect of passengers coming from a distance of 25 or 50 kilometers at par with local train fares; and

(d) if so, by what time ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) : (a) Yes.

(b) It is estimated that the Railways will get additional earnings of over one crore of rupees.

(c) No.

(d) Does not arise.

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कारखानों की आर्थिक क्षमता की जांच करने को समिति

3732. श्री भाऊ साहेब धामनकर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपने वर्तमान उत्पाद-मिश्र के आधार पर इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के अधीन शल्य उपकरण एककों जैसे कुछ एककों की आर्थिक क्षमता के प्रश्न की जांच

4—442 LSS/76

करने के लिए नियुक्त समिति के क्या निष्कर्ष हैं और उक्त सिफारिशों का अध्ययन करने और उन्हें क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : आई० डी० पी० एल० के सर्जीकल इन्सट्रूमेन्टस संयंत्र के कार्य को देखने के लिए स्थापित समिति ने संयंत्र के सभी पहलुओं का विस्तृत से अध्ययन किया है। फरवरी 1976 के अन्तिम सप्ताह में सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है और समिति द्वारा की गई सिफारिशों के व्यापक प्रकार को ध्यान में रखकर सरकार अध्ययन कर रही है और शीघ्र निर्णय लेने की संभावना है।

दिल्ली में दहेज के मामले

3733. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल, 1976 की अवधि के दौरान दिल्ली में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विवाहों में दहेज लेने की शिकायतें सरकार को मिली हैं; और

(ख) क्या सभी मामलों में जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो प्रत्यक मामले में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मुहम्मद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में लेवल-क्रासिंगों पर ऊपरी पुल

3734. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74, 1974-75, 1975-76 में और वर्ष 1976-77 के लिए उड़ीसा सरकार को लेवल-क्रासिंगों पर ऊपरी पुलों का निर्माण करने के लिए कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) उन्होंने इसमें से अब तक किसी राशि का प्रयोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि का उपयोग किया है और उड़ीसा राज्य में अब तक कितने स्थानों पर लेवल क्रासिंगों पर उड़ीसा सरकार ने ऊपरी पुलों का निर्माण किया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेलवे संरक्षा कार्य निधि से उड़ीसा राज्य के लिए निर्धारित राशि इस प्रकार है :—

1973-74	4.51 लाख रुपये
1974-75	3.90 लाख रूपये
1975-76	3.90 लाख रुपये (लगभग)
1976-77	4.03 लाख रुपये (लगभग)

(ख) अभी तक राज्य सरकार द्वारा इस निधि से प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदपुर-कटवा सेक्शन पर 4 ए० के० मिक्स्ड (1,2) रेलगाड़ी के समय में परिवर्तन

3735. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदपुर-कटवा (छोटी लाइन) मार्ग पर 4ए के मिक्स्ड (1, 2) रेलगाड़ी के रवाना होने का समय आपात स्थिति लागू होने के पहले 4.28 के बजाय 6.52 कर दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को असुविधा हुई है ; यात्रियों की संख्या में कमी हुई है और बिना टिकट यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का उक्त मामले में तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश देने और रेलवे की आय की कमी रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) क्षेत्रीय समय-सारणी समिति की सिफारिशों पर, नवम्बर 1975 से लागू समय-सारणी में, कटवा-अहमदपुर खंड की गाड़ियों के समय में परिवर्तन किया गया है। तदनुसार, गाड़ी नं० 6 ए० के० का नम्बर बदलकर 4 ए० के० कर दिया गया है और मूल 4 ए० के० गाड़ी के स्थान पर 2 ए० के० गाड़ी चलायी गयी है और इसके समय में इस प्रकार संशोधन कर दिया गया है कि कटवा में अन्य गाड़ियों के साथ उसका मेल होता रहे।

(ख) सरकार को यह सूचना मिली है कि इससे यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हुई है, यात्रियों की संख्या में कमी नहीं आयी है और बिना टिकट यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गारहारा लोको शेड समस्तीपुर में उठाईगीरी एवं चोरी की घटनाएं

3736. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गारहारा (बरौनी) लोको शेड और समस्तीपुर में कोयले, मिट्टी के तेल, पंखों और रेलवे की अन्य सम्पत्ति की उठाईगीरी तथा चोरी की घटनाएं बहुत बड़े स्तर पर हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो आपात स्थिति की घोषणा से लेकर हुई घटनाओं सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उनको रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्या उक्त घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले तथा शिकायतें करने वाले कुछ कर्मचारियों को तंग किया जाता है और क्या इस बारे में उन्हें तथा प्रधान मंत्री को अनेक अभ्यावेदन भेजे गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि इस सम्बन्ध में संरक्षा के निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

1. अपराध सम्बन्धी आसूचना एकत्रित करने का काम तेज कर दिया गया है और छापे बार-बार मारे जाते हैं।

2. ऐसी चोरियों को रोकने के लिए रेल सुरक्षा दल के कर्मचारी चौबीसों घंटे तैनात किये जाते हैं।

3. रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण कार्य चुस्त कर दिया गया है।

(ग) ऐसे कर्मचारियों के उत्पीड़न की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा औषधियों का आबंटन

3737. **श्री नानू भाई एन० पटेल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा 26% से अधिक ईक्विटी पूंजी वाली विदेशी फर्मों के लिये कितनी मात्रा में कौन-कौन सी औषधियां नियत की गईं ;

(ख) कितने मामलों में यह नियतन अन्य उत्पादों के लिये सम्बन्ध फर्मों की स्वीकृत क्षमताओं से अधिक था और इस से प्रकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन किया गया; और

(ग) औषधियों के कच्चे माल को अधिक मात्रा में नियम किये जाने के क्या कारण हैं और सरकार का किस प्रकार इसकी पुनरावृत्ति रोकने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) राज्य व्यापार निगम 38 प्रपुज औषध मदों का आयात एवं वितरण या तो सीधे देश के समस्त सूत्रयोग एककों को करता है या आई० डी० पी० एल० के माध्यम से आयात करता है। इन सूत्रयोगों की संख्या सैंकड़ों में है, ऐसे फर्मों के विदेशी पूंजी के अनुसार कम्पनी को, प्रभावी रिलीज के ब्यौरे उनके द्वारा अलग से नहीं रखे जाते हैं। 3 वर्षों की अवधि के लिये ऐसे कम्पनियों के आंकड़े एकत्रित करने में अधिक समय लगेगा तथा निहित प्रयत्नों के साथ मेल नहीं खायेंगे।

(ख) और (ग) गत दो वर्षों में से किसी एक वर्ष की अधिकतम खपत के आधार पर अथवा राज्य औषध नियंत्रक द्वारा सिफारिश के अनुसार मात्रा जो भी कम हो, सरणीबद्ध कच्चामाल संगठित क्षेत्र के यूनिटों को दी जाती है।

लघु-क्षेत्र एककों को सरणीबद्ध कच्चा माल निम्न आधार पर दिया जाता है :—

(i) गत दो वर्षों की अधिकतम खपत अथवा राज्य औषध नियंत्रक द्वारा सिफारिश की गई मात्र जो भी कम हो;

(ii) एक करोड़ रुपये की कुल बिक्री गले यूनिटों के विकास की व्यवस्था के लिए 30% की दर से अतिरिक्त मात्रा;

(iii) एक करोड़ से अधिक कुल बिक्री वाले यूनिटों के विकास दर के लिये 15% अतिरिक्त मात्रा;

(iv) पश्चिम बंगाल के क्षेत्र एककों को लघु गत दो वर्षों की अधिकतम खपत पर आधारित उनकी हकदारी से अधिक 50% की अनुमति दी जाती है।

सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयातित औषधियों का संगठित क्षेत्र के एककों को दिया जाना

3738. **श्री नानू भाई एन० पटेल : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयातित औषधियां संगठित क्षेत्र के एककों को गत दो वर्षों से सर्वाधिक खपत के आंकड़ों के आधार पर दी जाती हैं और यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा इस समय मैसर्स एबोट को औषधियों की जो मात्रा दी जा रही है उसके लिये उक्त फर्म ने अपने सी० ओ० बी० लाइसेंस में खपत की अपेक्षित मात्रा कैसे दर्शाई है; और

(ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न विदेशी फर्मों को किस आधार पर फर्म-वार कितना और कितने मूल्य का एरीथरोमाइसिन और उसका साल्ट और इस्टर दिया गया ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ग) गत दो वर्षों में से किसी एक वर्ष की अधिकतम खपत के आधार पर अथवा राज्य औषध नियंत्रक द्वारा सिफारिश के अनुसार मात्रा; जो भी कम हो, सरणीबद्ध प्रपुंज औषध, रसायनों को संगठित क्षेत्र यूनिटों को दी जाती है। मैसर्स एबोट लैबोरेटरीज लि० ऐसे एकमात्र कम्पनी है जिसमें 40% से अधिक विदेशी पूंजी लगी है को गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम/सी० ए० पी० सी० ओ० को अर्थोमाइसीन दी गई थी। गत तीन वर्षों के दौरान अर्थोमाइसीन के लिये उक्त कम्पनी को दी गई मात्रा नीचे दी गई है:—

वर्ष	नाम	मात्रा	राज्य व्यापार निगम के मूल्य प्रति कि० रुपये
1973-74	अर्थोमाइसीन स्टीरेट . .	5000 कि० ग्रा०	1112.50
	अर्थोमाइसीन इथाइल सूसीनेट .	2000 कि० ग्रा०	उपलब्ध नहीं
1974-75	अर्थोमाइसीन स्टीरेट	8210 कि० ग्रा०	1112.50
	अर्थोमाइसीन इथाइल सूसीनेट	1800 कि० ग्रा०	1490.00
1975-76	अर्थोमाइसीन स्टीरेट . .	10390 कि० ग्रा०	1112.50
	अर्थोमाइसीन इथाइल सूसीनेट .	1540 कि० ग्रा०	1490.00

मैसर्स एबोट को दिये गये अर्थोमाइसीन की वैद्धता की जांच की जा रही है।

वैगन गतिशीलता में सुधार

3739. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगन गतिशीलता में सुधार करने के बारे में गत वर्ष सरकार द्वारा अपनाये गए कुछ उपायों से रेलवे के राजस्व में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1975-76 के दौरान ढोये गये माल के टनभार से हुई आमदनी के अंतिम आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। लेकिन पहले प्राप्त हुए आंकड़ों से पता चलता है कि यातायात का स्तर लगभग 1960 लाख मीटरिक टन रहा है। 1974-75 के दौरान ढोये गये टनभार की तुलना में यह लगभग 230 लाख मीटरिक टन अधिक है। फरवरी 1976 के अन्त में (महीनों जिस का लेखा बन्द कर दिया गया है) माल यातायात से आय 1046.84 करोड़ रुपये हुई जब कि पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि में यह आमदनी 829.58 करोड़ रुपये थी । इस तरह इस में 217.26 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। लेकिन वर्ष 1975-76 का लेखा अभी बन्द नहीं किया गया है।

हैबार गांव तथा नौगांग रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण सुविधा

3740. **श्री नूरुल हुड्डा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौगांग से गौहाटी, लमडिंग अथवा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा के लिए हैबार गांव तथा नौगांव रेलवे स्टेशनों (जिला नौगांग आसाम) पर यात्रियों के लिए आरक्षण सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस लाइन को चापरमुख से नौगांग तक लाने के लिए और बेहतर यात्री सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए रेलवे बोर्ड अथवा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की कोई योजनाएं हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) हैबरगांव और नौगांव स्टेशनों की आरक्षण के लिए आयी मांगों को मुख्य लाइन के चापरमुख को बेतार संदेश भेज कर पूरा किया जाता है। 60 डाउन एक्सप्रेस गाड़ी में नौगांव को दूसरे दर्जे की दो शायिकाओं का कोटा अलग से आबंटित किया गया है।

(ग) नौगांव स्टेशन चापरमुख--सिलघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्व वाली चापरमुख-सिलघाट रेल लाइन पर स्थित है; किन्तु इसका संचालन और अनुरक्षण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा किया जाता है।

त्रिवेंद्रम-क्विलोन लाइन को ब्राड गेज में बदलना

3741. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें रेल प्रयोक्ता संघ के अध्यक्ष का त्रिवेन्द्रम-क्विलोन लाइन को ब्राडगेज में बदलने की स्थति से अवगत कराने वाला पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या धनराशि की कमी के कारण क्विलोन-त्रिवेन्द्रम सैक्शन पर बड़ी लाइन बदलने का कार्य रुक गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और त्रिवेन्द्रम-क्विलोन लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को मई 1976 तक पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस परियोजना पर कुल मिलाकर 88% प्रगति हुई है। काम को शीघ्रता से पूरा करने के लिए पर्याप्त धन का आवटन किया गया है।

Teachers in Railway Schools on Western Railway

3742. SHRI HUKAM CHAND KUCHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of teachers in railway schools in each division of the Western Railways;

(b) whether there is a shortage of teachers teaching different subjects in most of the schools and the posts have not been filled since long; and

(c) the steps being taken to fill these vacancies ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) : (a) The information regarding number of teachers in Railway Schools on Western Railway division-wise is not readily available and will be furnished later. However, the total number of teachers in Railway Schools on the Western Railway is 515.

(b) There is a shortage of 10 regular teachers, but the posts have been filled up by substitutes and ad-hoc promotions.

(c) Indents have since been placed on Railway Service Commission for filling up these posts on a regular basis.

Setting up of fertilizer plants by Indo-U. S. Working Group

3743. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether the Indo-U. S. working group, which is studying agricultural problems, has shown interest in setting up fertilizer plants and production of various types of fertilizers in India under Indo-U. S. collaboration; and

(b) if so, the facts thereof and the steps taken or contemplated by Government in this regard

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI) : (a) and (b) During the 2nd and 3rd meeting of the Agricultural Inputs Working Group set up under the Indo-U. S. Joint Commission, the U. S. Side expressed their willingness to make available the technology in the following areas of fertilizer production.

(a) Establishment of a demonstration unit in India for manufacture of NP/NPK complex fertilizer based on urea melt process.

(b) Techno-economic feasibility study on an electro-thermal phosphorous unit using off peak power.

(c) Examination of prospects of utilising computer programmes in single train nitric acid plants with a view to optimising process conditions.

(d) Establishment of a demonstration unit in India for production of granular urea and granular ammonium nitrate.

(e) Production of fertilizers incorporating trace elements.

Detailed feasibility reports for purposes of investment decisions in respect of these projects are yet to be prepared. There is no proposal to avail of U. S. financial assistance in setting up these projects.

पठानकोट-नूरपुर सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलना

3744. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कांगड़ा घाटी के पठानकोट-नूरपुर सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में

सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) उस पर क्या निर्णय किया गया है

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हाल में इस रेलवे लाइन का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इस 20 कि० मी० लम्बी लाइन पर लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च आयेगा। इस समय आमान परिवर्तन के लिए अधिक परियोजनाओं को हाथ में लेने में वित्तीय कठिनाइयों और पर्याप्त यातायात का औचित्य न होने के कारण इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

रेलवे स्कूलों में छात्रवृत्तियां

3745. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के स्कूलों में स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र की स्मृति में कोई छात्रवृत्तियां देना प्रारम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्तियों के नाम क्या हैं और उनकी राशि कितनी है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1974 और 1975 में नई रेल लाइनों के लिए धनराशि का नियतन

3746. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नई रेल लाइनों के नाम क्या हैं जो उनके मंत्रालय द्वारा मंजूर कर दी गई हैं और जिनके निर्माणकार्यों का वर्ष 1974 तथा 1975 में उद्घाटन हो चुका है; और

(ख) क्या इन लाइनों में से प्रत्येक लाइन के लिए वर्ष 1976-77 के लिए किसी धनराशि का नियतन किया गया है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनों का अनुमोदन हो चुका है जिनके निर्माण कार्य का उद्घाटन 1974 और 1975 में किया गया है :—

1. रोहतक—भिवानी बड़ी लाइन
2. नडिकुडे—बीबीनगर सम्पर्क
3. मुरादाबाद और रामपुर से रामनगर और काठगोदाम तक बड़ी रेल लाइन
4. हावड़ा—आमता/चम्पाडांगा बड़ी लाइन
5. सकरी और हसनपुर (60 कि० मी०) के बीच नयी मीटर लाइन
6. झंझारपुर से लौकहा बाजार तक (42 कि० मी०) नयी मीटर लाइन।

(ख) जी हां।

महाराष्ट्र में निर्माणधीन रेल लाइनों पर लागत

3748. **श्री वसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में निर्माणाधीन रेल लाइनों के नाम क्या हैं और ऐसी प्रत्येक लाइन की अनुमानित लागत क्या है?

(ख) ऐसी प्रत्येक लाइन के लिए चालू वर्ष में स्वीकृत परिव्यय क्या है और वर्ष 1975-76 के दौरान चल रहे कार्यों की वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धि क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के लिए महाराष्ट्र में स्वीकृत नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष में अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और चालू वर्ष में कितनी राशि का नियतन किया गया है और इससे कितनी रोजगार क्षमता बनने की आशा है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख)

निम्नलिखित परियोजनाएं महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं जो निर्माणाधीन/निर्माण के लिए अनुमोदित है।

क्रम सं०	लाइन का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	1975-76 में की गयी निधि का बंटवारा (करोड़ रुपयों में)	1976-77 में प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रुपयों में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	दीवा से बेसिन तक बड़ी लाइन रेल सम्पर्क का निर्माण।	12.75	3.00	3.50	निर्माण कार्य जारी है। अद्यतन कुल प्रगति 22.64 प्रतिशत है 1975-76 के दौरान 7.64 प्रतिशत प्रगति हुई थी।
2.	वानी से चनाका तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण।	5.3	0.50	0.10	निर्माण कार्य जारी है। अद्यतन कुल प्रगति 5 प्रतिशत है। 1975-76 के दौरान 2.83 प्रतिशत प्रगति हुई थी।
3.	मनमाड-पारभानी पुर्ली-वैजनाथ मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में परिवर्तन।	31.36	0.85	0.045	अनुमोदित काम की अभी मंजूरी नहीं मिली है। अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में कोई परियोजना अनुमोदित नहीं हुई है।

महाराष्ट्र में रेल लाइनों के लिए अन्तरिम सर्वेक्षण

3748. **श्री वसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्तमान तंत्र में सुधार करने के लिए महाराष्ट्र में विभिन्न नई रेल लाइनों के लिए कितने अनन्तिम इंजीनियरिंग सर्वेक्षण पूरे किये गये; और

(ख) सर्वेक्षण की गयी प्रत्येक लाइन की आय कितनी आंकी गई और उस पर क्या निर्णय किये गये ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित सर्वेक्षण किये गये थे, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र० सं०	सर्वेक्षण का नाम	डी०सी०एफ० से प्राप्ति	वर्तमान स्थिति
1.	मनमाड-परभनी-पुरली-वैजनाथ मीटर लाइन की बड़ी लाइन में बदलने का विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण।	2.68%	काम का अनुमोदन प्राप्त हो गया लेकिन मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है।
2.	मिरज-लातुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रारम्भिक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण।	1.40%	रिपोर्टों की जांच की जा रही है।
3.	आण्टा-दसगांव के बीच आण्टा-मैंगलूर के अंगस्वरूप रेलवे लाइन का निर्माण का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण।	6.5%	अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
4.	वर्धा-कैटोल के बीच न्यू बड़ी लाइन के निर्माण का इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण।	—	सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और रेलवे से रिपोर्ट आनी है।

Closure of level crossings gates

3749. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether level crossing gates No. 3 between Jodhpur and Marwar Junction, No. 9 at Dhudhali-Dungarpur between Luni Junction and Rohat and No. 7 between Luni and Khandi on Northern Railway always remain closed;

(b) if so, since when they have been closed and the time by which arrangements would be made to open them; and

(c) whether thousands of villagers have made a complaint about these level crossings remaining closed, if so, the action taken by Government thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) : (a) No; these level crossings are actually 'D' class cattle crossings and are kept open for the use of the cattle and pedestrians only.

The cattle crossings are without check rails and are intended for the exclusive use of cattle and pedestrians. The Railway has provided stakes at intervals so as to prevent these cattle crossings being used unauthorisedly by vehicular traffic.

(b) Does not arise in view of reply to part (a) above.

(c) Some representations have been received for converting these cattle crossings into regular level crossings to permit vehicular traffic. The matter has been taken up with the State Government who are required to sponsor these proposals and also bear the cost of the same.

Fees realised from Washermen

3750. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the total money being realized annually from the washermen for 'Dhobighat' at Sojat Road (Western Railway) indicating the break-up of licence fee and other fees;

(b) whether this fee differs from station to station and if so the basis therefor; and

(c) whether washermen are not in a position to pay this big amount and they have made a representation to D. S. Ajmer in this regard and if so, Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) : (a) The total money being realised annually is Rs. 1020/- i. e. Rs. 510/- per annum from each of the two washermen at Sojat Road.

The break-up is as follows :—

Licence fees Rs. 150/- (Provisional) for each.

Water Charges Rs. 72/- for each.

Cess Charges Rs. 288/- for each.

(b) The rates for water charges and cess charges are uniform for all the stations on Western Railway except Bombay; the licence fee, of Dhobi Ghats, differs from station to station, as it is fixed on the basis of 6% of the capital cost of the Dhobi Ghats at each station.

(c) Both the Dhobis at Sojat Road had represented in September 1975 that they are not in a position to pay the amount as fixed by the Administration.

It has not been possible for the Western Railway to accede to their request and they have been advised accordingly. However, the desirability of forming a pool of Dhobi Ghats on Western Railway is being examined by the Railway with a view to fix uniform licence fees.

(ग) सितम्बर 1975 में सोजत रोड़ के दोनों धोबियों ने अभ्यावेदन दिया था कि व प्रशासन द्वारा निश्चित की गयी रकम का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

उनका अनुरोध स्वीकार करना पश्चिम रेलवे के लिए सम्भव नहीं हो पाया है और इसलिए उन्हें तदनुसार सूचित कर दिका गया है। तथापिय पश्चिम रेलवे पर धोबी घाटों का एक पूल बनाने की वांछनीयता की रेल प्रशासन जांच कर रहा है ताकि एक जैसे लाइसेंस शुल्क निश्चित किये जायें।

ट्रंक रेल मार्गों पर दुहरी रेल लाइन

3751. **श्री एल० आर० दामणी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रंक मार्गों रेल मार्गों पर कितने किलोमीटर रेल मार्ग पर अभी दुहरी लाईनें बिछाई जानी हैं; और

(ख) लाईनों का दुहरा करने का काम पूरा करने के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पहले से अनुमोदित दोहरी लाइनें बिछाने का काम पूरा होने के बाद 7 निम्नलिखित लम्बाई में दोहरी लाइनें बिछाई जानी हैं :—

दिल्ली-मद्रास मार्ग पर   378 कि० मी०

दिल्ली-बम्बई मार्ग पर	20 कि० मी०
बम्बई-मद्रास मार्ग पर	749 कि० मी०

(ख) यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार और अधिक दोहरी लाइनें बिछाने पर विचार किया जायेगा, बशर्ते, धन उपलब्ध हो।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा किया गया पूंजी निवेश

3752. **एस० आर० दामाणी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चल रही विदेशी औषध कम्पनियों के वर्तमान पूंजी निवेश क्या है और उन्होंने गत तीन वर्षों में लाभ की कितनी राशि विदेश भजी है;

(ख) राशि विदेश भेजने सम्बन्धी नियम तथा विनियम क्या है; और

(ग) क्या विदेश भेजी जाने वाली लाभ की राशि की मात्रा कम करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

भाप, डीजल तथा बिजली के इंजनों द्वारा यात्री तथा माल यातायात

3753. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने गत वर्ष क्रमशः भाप, डीजल तथा बिजली के इंजनों से यात्री तथा माल यातायात के लिए कितने किलोमीटर रेल मार्ग तय किया ;

(ख) तीनों प्रणालियों पर पृथक-पृथक प्रति 1000 किलोमीटर पर कितनी लागत आयी; और

(ग) कौन-सी प्रणाली सबसे कुशल और मितव्ययी पायी गई और आगामी तीन वर्षों में उसके अधिक उपयोग के लिए क्या कार्यक्रम है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) भिन्न-भिन्न किस्म के कर्षण द्वारा यातायात की ढुलाई सकल मीटरिक टन किलोमीटर से मापी जाती है । 1974-75 के दौरान सवारी और मालगाड़ियों से प्रत्येक किस्म के कर्षण द्वारा की गयी सकल मीटरिक टन किलोमीटर ढुलाई निम्नलिखित है:—

	सकल मीटरिक टन किलोमीटर (दस लाख में)	
	यात्री (उपनगरीय सहित)	माल
भाप	77,943	65,005
डीजल	22,882	144,060
बिजली	21,175	61,557
जोड़	122,000	270,622

(ख) 1974-75 के लिए भारतीय रेलों पर समग्र रूप से बुक किये गये व्यय के आधार पर, एक हजार सकल मीटरिक टन किलोमीटर की ढुलाई का प्रत्यक्ष परिचालन व्यय निम्नलिखित आता है :—

	(रुपया)
भाप	9.44
डीजल	4.64
बिजली	3.56

(ग) डीजल और बिजली कर्षण सामान्यत:, भाप कर्षण की तुलना में अधिक कुशल और कम खर्चीले हैं । परिणामस्वरूप अब केवल डीजल और बिजली रेल इंजन ही खरीदे जा रहे हैं ।

Wagons and Engines rendered useless due to conversion of NG/MG Lines into Broad Gauge Lines

3754. SHRI HUKAM CHAND KUCHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the value of railway wagons and engines which were running on metre gauge and narrow gauge lines and which have been rendered useless due to conversion of these lines into broad gauge and the manner in which they would be utilised in future ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) : No wagons and engines have been rendered useless due to conversion of Metre/Narrow Guage Lines into Broad Guage. The released stock is being utilised on other sections. The overall requirements of Rolling Stock for the Fifth Five Year Plan have been worked o u after taking into consideration, the stock likely to be released as a result of completion of various gauge conversion schemes, during the Plan period.

Rubber Goods manufacturing Multinational Companies

3755. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a number of rubber goods manufacturing multinational companies are functioning in India;

(b) if so, their names; and

(c) the amount of profits earned by them in 1974-75 and 1975-76, company-wise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BEDABRATA BARUA) : (a), (b) & (c) Multinational companies function through their branches and subsidiaries in India. Five Indian subsidiaries of multinational companies were engaged in the manufacture of rubber goods as on 31-3-1974. Their names and the amount of profits before tax earned by them in 1974-75 are given below :—

(Rs. in lakhs)

Sr. No.	Name of the Rubber Goods manufacturing multinational company	Accounting year ending	Profits before tax (Rs.)
1.	Dunlop India Ltd.	31-12-74	670·96
2.	Firestone Tyre & Rubber Company of Idnia Private Ltd.	31-10-74	510·80
3.	Goodyear India Ltd.	31-12-74	306·26
4.	India Tyre & Rubber Company (India) Private Ltd.	31-12-74	42·77*
5.	London Rubber Company (India) Ltd. ·	31-3-75	22·29

*From Directors' Report.

The balance-sheets of these five subsidiary companies for the year 1975-76 have not yet been received/become due for filing.

बाटा शू कम्पनी, फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

3756. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बाटा शू कम्पनी, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में सरकार का कितना हिस्सा है ;

(ख) ये कम्पनियां कम्पनी अधिनियम की शर्तों के अनुसार कहां तक कार्य कर रही हैं

(ग) क्या सरकार के पास इन कम्पनियों के विरुद्ध कोई मामला विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि

3757. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) ये नियुक्तियां कब तक की जाएंगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मुहम्मद) : (क) से (ग) : हमने राज्य प्राधिकारियों को सलाह दी है कि वे नियत समयों पर प्रत्येक उच्च न्यायालय में कार्य की स्थिति का सुव्यवस्थित पुनर्विलोकन करें और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कितने मामले संस्थित किए गए हैं, कितने निपटाए गए हैं और कितने मामलों को निपटाया जाना है, न्यायाधीशों की संख्या पुनः नियत करने के प्रस्ताव समय-समय पर पेश करें। इस तरह उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या जो 1-1-1967 को 245 थी, वह बढ़कर 1-1-1976 को 349 हो गई है । इसी प्रकार अनुच्छेद 124 के अधीन उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, जो प्रारंभ में 8 थी, बढ़ाकर 14 कर दी गई है। इस समय न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

औषध कम्पनियों के निदेशक

3758. **श्री खेम चन्द भाई चावड़ा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26% से अधिक विदेशी ईक्विटी शेयर वाली बहुत सी औषध कम्पनियों के निदेशक-बोर्ड में कुछ निदेशक सब में मौजूद है ;'

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं और विभिन्न कम्पनियों में उन्होंने कितना वेतन तथा परिलब्धियां ली हैं और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं,; और

(ग) औषध उद्योग में इस प्रवृति की रोक-थाम के लिये, जिससे एकाधिकार तथा कदाचार स्थिति पैदा होती है, सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) कुछ औषध कम्पनियों में एक ही निदेशक समान रूप से कार्य करता है।

(ख) वार्षिक वसूली, तुलन-पत्र और लाभ हानि के लेखे तथा उस पर प्रतिवर्ष प्रकाशित निदेशकों की रिपोर्ट में निदेशकों के नाम और उनको दिये जाने वाले परिश्रमिक की सूचना दी जाती है।

(ग) अच्छे सम्मिलित प्रबन्ध के हित में केन्द्रीय सरकार आम तौर पर किसी व्यक्ति की दो कम्पनियों के जो बड़े पैमाने की हो और जहां यह महसूस किया जाये कि एक ही व्यक्ति दोनों कम्पनियों का उत्तरदायित्व प्रर्याप्त रूप से सम्भालने में समर्थ नहीं है प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकृति नहीं देगी। इस प्रयोजन के लिये आवश्यक मार्ग दर्शक सिद्धान्त तैयार किये गये हैं और संसद में प्रस्तुत किये गये हैं। प्रबन्धकों की नियुक्ति करते समय इस मामले पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

मुगलसराय में उप-स्टेशन

3759. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मुगलसराय में उन्होंने एक उप-स्टेशन का उद्घाटन किया है; और

(ख) क्या भारत के इस सबसे बड़े 'मार्शलिंग यार्ड' में इस नये स्टेशन से माल यातायात के निपटान में सुधार होगा?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : अभी हाल में रेल मंत्री जी ने मुगलसराय के नये स्टेशन भवन की आधार शिला रखी है। इसके पूरा हो जाने पर, टिकट और आरक्षण, दूसरे दर्जे का प्रतीक्षालय, जलपानगृह, जनता विश्रामगृहों तथा ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालयों आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था हो जायेगी।

मार्च, 1976 में बिना टिकट के यात्रियों की संख्या में वृद्धि

3760. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी और फरवरी, 1976 की तुलना में मार्च, 1976 में बिना टिकट के यात्रियों की संख्या में कोई वृद्धि हुई थी।

(ख) क्या उनके मंत्रालय में हाल ही में बिना टिकट के यात्रियों पर रोक लगाने के लिए कोई नई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मार्च, 1976 में पकड़े गये बिना टिकट यात्रियों की संख्या जनवरी, 1976 में और फरवरी 1976 में पकड़े गये बिना टिकट यात्रियों

की संख्या से मामूली सी अधिक थी; लेकिन मार्च 1976 में बेचे गये टिकटों की संख्या जनवरी 1976 और फरवरी 1976 के दौरान बेचे गये टिकटों से काफी अधिक थी।

(ख) और (ग) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए उठाये गये कदम इस प्रकार हैं:—

(1) आपात स्थिति की घोषणा होने के समय से बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए चलाय गये अभियान में और तेजी लायी गयी है। एक जुलाई 1975 से 31 मार्च, 1976 तक की अवधि के दौरान सभी भारतीय रेलों पर टिकट जांच करने की सामान्य गतिविधियों के अलावा लगभग 70,253 विशेष छापे मारे गये। टिकट जांच करने वाले दलों के साथ यथा सम्भव अधिकतम मामलों में मजिस्ट्रेट रहते हैं ताकि पकड़े जाने वाले बिना टिकट यात्रियों पर मुकदमा चलाया जा सके और उनपर जुर्माना किया जा सके अथवा उन्हें जेल भेजा जा सके।

(2) कई टिकट जांचें रेलवे राज्य मंत्री, रेल उप मंत्री, सदस्य यातायात रेलवे बोर्ड, अपर सदस्य यातायात रेलवे बोर्ड और वरिष्ट अधिकारियों, जिनमें क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धक और मुख्य वणिज्यिक अधीक्षक भी शामिल है के पर्यवेक्षण में की गयी थीं।

(3) टिकट जांचें कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के एक बड़े दल के साथ बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए बड़ पैमाने पर विशष जांचें की जा रही हैं।

(4) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों के साथ तालमेल रखकर संयुक्त अभियान चलाये जा रहे हैं।

(5) यात्रा करने वाली जनता विशेषकर छात्र समुदाय के अन्दर बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए शिक्षाप्रद प्रचार किया जा रहा है।

(6) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए चलाय जाने वाले अभियानों में रेल मंत्रालय में कार्यरत गैर-सरकारी स्थायी स्वयं सेवी सहायता समिति का भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

(7) भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा की मात्रा का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय में एक केन्द्रीय टिकट जांच संगठन स्थापित किया गया है। इस संगठन ने जनवरी 1976 के अंत से काम करना शुरू कर दिया है।

Special Courts for disposal of cases relating to Economic Offences

3761. SHRI CHIRANJIB JHA : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal for setting up special courts for quick disposal of cases of economic offences; and

(b) if so, the salient features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DR. V. A. SEYID MUHAMMAD) : (a) & (b) The question of setting up of Special Courts for the trial of economic offences is still under the active consideration of the Government.

Stopping of 31UP and 32DN Trains at Nana Station

3762. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to stop 31UP/32DN Delhi-Ahmedabad Jayanti Janata Express at Nana Station; and

(b) if so, the duration of its stoppage and the date from whcih it will start stopping there ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) : (a) and (b) It is proposed to provide stoppage of 31/32 Delhi-Ahmedabad Jayanti Janata Express at Nana Station for 2 minutes on an experimental basis with effect from 1-6-1976.

मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

3763. **श्री एम० आर० बनर्जी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समस्त मीटर गेज रेलवे लाइनों को बड़ी रेलवे लाइनों में बदलने के लिए कितना समय लगेगा; और

(ख) इस पर कुल कितनी लागत आयेगी और तत्सम्बन्धी अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रेल प्रणाली में मीटर आमान की लगभग 25500 कि० मी० और छोटे आमान की 4500 कि० मी० लम्बी लाइन हैं। 186 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2344 कि० मी० लम्बे मीटर आमान वासू रेल सम्पर्कों का बड़े आमान में बदलाव की अनुमोदन मिल चुका है/कार्य चल रहा है। मीटर लाइन अथवा छोटी लाइन को बड़े पैमाने पर बड़ी लाइन में बदलाव भले ही परिचालनिक दृष्टि से वांछनीय हो लेकिन होने वाले बहुत अधिक पूंजी निवेश और परियोजनाओं के निष्पादन की अवधि में यातायात के बुरी तरह ग्रस्त वयस्त हो जाने के कारण इस समय इस पर प्रत्यक्षतः विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक लाइन क्षमता की आवश्यकताओं की और अधिक आर्थिक उपायों द्वारा व्यवस्था न की जा सकेगी तब तक किसी खंड विशष के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन को प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर किया जायेगा।

वर्तमान मीटर आमान वाले खंडों को बड़े आमान में बदलने के लिए 3000 करोड़ रुपये व्यय करने होंगे। पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण आमान परिवर्तन के पहले से जो काम चल रहे हैं उनके निष्पादन में हो रहे विलम्ब को ध्यान में रखते हुए देश में सम्पूर्ण मीटर आमान वाली लाइनों को बड़े आमान में बदलने की समयावधि का विशिष्ट रूप से उल्लेख करना केवल परिकल्पना होगी।

गैर-सरकारी रेलवे लाइनें तथा कम्पनियां

3764. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत मे कितनी गैर-सरकारी रेलवे लाइनें और कंपनियां विद्यमान हैं;

(ख) उनके प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है ; और

(ग) क्या सरकार का इन रेलवे कंपनियों को मुआवजा देने का विचार है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस समय देश में निजी स्वामित्व वाली आठ रेलें परिचालन में हैं जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) इनमें से पहली छः रेलों का परिचालन केन्द्र सरकार के साथ किये गये अनुबंध के अंतर्गत किया जा रहा है, सातवीं अर्थात् आरा-सासाराम ने स्थानीय जिला बोर्ड और केन्द्र सरकार के साथ एक करार किया हुआ है, और अन्तिम का केवल स्थानीय जिला बोर्ड से किये गये अनुबंध के अन्तर्गत है। पहली पांच रेलें निकटस्थ रेलों द्वारा चलाई जाती हैं। प्रत्येक रेलवे के साथ किया गया अनुबंध विकल्प के रूप में इस बात की अनुमति देता है कि केन्द्र सरकार अथवा जिला बोर्ड आवर्ती मध्यान्तरों में अनुबंध के अनुसार निश्चित की गयी कीमत में उस रेलवे को खरीद लें। किसी भी लाइट रेलवे को खरीदने की सरकार की सामान्य नीति नहीं है बशर्ते कि वित्तीय आधार पर ऐसा करना तर्कसंगत हो अथवा ऐसा करना निश्चित रूप से जन-हित में आवश्यक हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	रेलवे का नाम	स्वामित्व
1.	सेंट्रल प्रोविन्स रेलवे (एलिचपुर-योटमल तथा पुलगांव-अरवी खण्ड)	दी सेंट्रल प्रोविन्सेज रेलवेज कं० लिमिटेड
2.	कटखल लाला बाजार रेलवे	दी कटखल-लाला बाजार रेलवे कं० लिमिटेड
3.	चापरमुख-सिलघाट रेलवे	दी चापरमुख-सिलघाट रेलवे कं० लिमिटेड
4.	अहमदपुर-कटवा रेलवे	दी अहमदपुर कटवा रेलवे कं० लिमिटेड
5.	बांकुरा दामोदर रिवर रेलवे	दी बांकुरा दामोदर रिवर रेलवे कं० लिमिटेड
6.	फतुआ-इस्लामपुर रेलवे	दी फतुआ-इस्लामपुर लाइट रेलवे कं० लिमिटेड
7.	आरा-सासाराम रेलवे	दी आरा-सासाराम लाइट रेलवे कं० लिमिटेड
8.	डेहरी रोहतास रेलवे	दी डेहरी रोहतास लाइट रेलवे कं० लिमिटेड

ड्रिलिंग रिंग

3765. **श्री वसन्त साठे :** क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास इस समय कुल कितने ड्रिलिंग रिंग कार्य कर रहे हैं तथा चालू वर्ष के दौरान कितने रिंग आयात करने का प्रस्ताव है तथा उनकी अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान रिंगों को आयात करने में कुल कितना व्यय किया है ; और

(ग) देश में ड्रिलिंग रिंगों का निर्माण करने के लिये क्या विशेष प्रयास किये गये हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास 36 रिंग कार्य कर रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान दो रिंग जिसकी अनुमानित सी० आई० एफ० लागत 6.98 करोड़ रुपये (बिना सहायक पुर्जों के) हैं के आयोग द्वारा प्राप्त किये जाने की आशा है।

(ख) 13.77 करोड़ रुपये।

(ग) देश में मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकलस लिमिटेड (बी० एच० ई० एल०) को ड्रिलिंग रिंगों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है, जिन्हें तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 7 रिंग सप्लाई करने के लिये आशय-पत्र दिये हैं। अगले वर्ष से बी०एच०ई०एल० द्वारा रिंगों की डिलीवरी किये जाने की आशा है।

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा जीवन रक्षक दवाइयों का उत्पादन

3766. **श्री पी० गंगादेव : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड ने वर्ष 1975–76 में जीवन रक्षक दवाइयों की रिकार्ड बिक्री की है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या कम्पनी अब एम्पीसिलिन का उत्पादन कर रही है, जिसका अब तक आयात किया जाता था ; और

(घ) यदि हां, तो इससे देश के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) 1975–76 के दौरान कुल 1032 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी जब कि 1974–75 के दौरान 7.44 करोड़ रुपये की थी।

(ग) और (घ) इस समय कम्पनी केवल आयातित मध्य वर्ती अर्थात् 6–एम्पीयर से एम्पीसिलिन की थोड़ी मात्रा का उत्पादन कर रही है। कम्पनी द्वारा तैयार की गई संभाव्य रिपोर्ट जिसमें मूल स्तर से एम्पिसिलिन के प्रतिवर्ष 35 मी० टन० का निर्माण शामिल है, के आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ की विदेशी मुद्री की बात का अनुमान है।

मध्य रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति पर पड़ा प्रभाव

3767. **चौधरी नीति राज सिंह : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में और तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति किये जाने पर कर्मचारियों के विरुद्ध अलग-अलग की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही से मध्य रेलवे में डिवीजन वार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्यों पर प्रभाव पड़ा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जहां तक श्रेणी II से श्रेणी I की पदोन्नति का सम्बन्ध है ऐसा कोई मामला नहीं है। श्रेणी III से श्रेणी II की पदोन्नति के विषय में, झांसी मण्डल के एक कर्मचारी

को श्रेणी III से श्रेणी II में पदोन्नति इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि उसके विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है।

औषधियों के लिए प्रौद्योगिकी का आयात

3768. **श्री के० मालन्ना :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अभी भी औषधियों के लिये प्रौद्योगिकी के आधार पर निर्भर रहना होगा;

(ख) क्या हमारे अपने अनुसंधान और विकास प्रयास विदेशों में विकसित प्रौद्योगिकी का मुकाबिला नहीं कर सके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान किसी औषध एकक के निर्माण में सुधार के लिये प्रौद्योगिकी के विकास आयात हेतु नये ठेकों के बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) औषध उद्योग बहुत अनुसंधान उनमुख है और इस उद्योग के विकास के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी का होना अनिवार्य है। विषय जिनके लिये कम्पनी प्रौद्योगिकी के आयात पर निर्भर रहना जारी रखेगी। उनका पता लग चुका है।

सरकारी क्षेत्र में देश के अन्तर्गत अनुसंधान एण्ड विकास बेस को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ग) हाल ही में मैसर्स एस०ए०एल० ने स्ट्रैप्टोमाइसीन और पैंसिलिन के निर्माण के लिये मैसर्स ग्लैक्सो और जापान के मैसर्स टोपो जोजो से अलग अलग सुधरे स्ट्रेनों को प्राप्त किया है। जब कि मैसर्स ग्लैक्सो से स्ट्रेन निःशुल्क प्राप्त हुये हैं और मैसर्स टोपो जोजो से स्ट्रेन कुल यू० एस० 41,000/– डालर की लागत पर खरीदे गये हैं।

Charges against 219 employees removed from service

3769. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have dismissed 219 employees from service for participating in the strike of 1974 after rejecting their appeals; and

(b) if so, the charges on which they have been removed from service ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) : (a) No railway employees was dismissed/removed from service for mere participation in the railway strike of May 1974. But employees held guilty of gross misconduct for having indulged in acts of extreme indiscipline in complete disregard of the law of the land and violation of clear orders, were suitably dealt with. After the strike was called off unconditionally the Government took a sympathetic view and based on individual appeals, all cases were reviewed by the competent authority. Depending on the merits of each case, 16,086 out of a total of 16898 employees whose services were dispensed with, have so far been taken back to duty. This is a continuing process. Out of the remaining 812, 49 have not appealed, 2 are not interested in railway service and 486 have gone to the Court, leaving a balance of 275 who have not yet been put back to duty.

(b) Dismissals/removals have generally been on grounds of misconduct relating to serious indiscipline, intimidation, sabotage, violence and threats of violence.

Retrenchment of substitutes and casual workers on Eastern and North-East Frontier Railways

3770. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether in the name of providing employment to the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Eastern, North-East Frontier and some other railways, the substitutes and casual railway workers, who have been working there for many years are being retrenched;

(b) whether he has received complaints in this regard;

(c) if so, the facts thereabout; and

(d) the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दि स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड

3771. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी को अपने अधिकार में लिये जाने की अवधि इस वर्ष मई में समाप्त होती है ;

(ख) क्या कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग उक्त कम्पनी को इसके भूतपूर्व मालिकों अथवा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने का प्रयास कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने कम्पनी के भावी ढांचे के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) स्मिथ स्टेनोस्ट्रीट कम्पनी लि० के प्रबन्ध की अवधि जो 3 मई, 1976 को समाप्त होने वाली थी, वह एक वर्ष तक और अर्थात् 3 मई, 1977 तक बढ़ा दी गई है ।

रेलवे में नैमित्तिक कर्मचारियों को खपाया जाना

3772. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के नैमित्तिक कर्मचारियों को खपाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) रेलवे में इस समय कितने नैमित्तिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) निर्णय लिया गया है कि रेलों पर बड़ी संख्या में चौथे दर्जे की रिक्तियां उन नैमित्तिक श्रमिकों और एवजी कर्मचारियों से छानबीन करके भरी जायें, जिन्होंने 4 महीने की लगातार सेवा पूरी कर ली है । इस प्रणाली को लागू करने के बाद, 1.1 लाख नैमित्तिक श्रमिकों एवजी कर्मचारियों को चौथे दर्जे के नियमित पदों में समाहित किया जा चुका है तथा अन्य 21000 कर्मचारियों की छानबीन की जा चुकी है जिन्हें समाहित किया जाना है ।

(ग) लगभग 2.5 लाख ।

रेलवे प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की मांगों को क्रियान्वित किया जाना

3773. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने अपने हाल की रिपोर्ट में यह नोट किया है कि कर्मचारियों की उन मांगों की भी क्रियान्विति में विलम्ब हो रहा है जिन्हें सरकार ने मई

1974 की हड़ताल होने से पूर्व अप्रैल 1974 में बातचीत के दौरान स्वीकार कर लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) मई 1974 की हड़ताल से पहले समझौता वार्ता के दौरान स्वीकार कर ली गयी 6 मुख्य मांगें और उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में बतायी गयी है।

विवरण

स्वीकार की गई मांगें	वर्तमान स्थिति
(1) मियाभाय पंचाट का कार्यान्वियन	(1) काम के घंटों के बारे में आवश्यक आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, उनकी सिफारिशें सामान्यतः लागू कर दी गयी हैं।
(2) तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों की संवर्ग समीक्षा और उनका ग्रेड बढ़ाना।	(2) इन प्रस्तावों को सरकार ने हाल ही में अनुमोदित कर दिया है और इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।
(3) वेतन आयोग की सिफारिशों के ढांचे के भीतर का काम का मूल्यांकन	(3) कार्य मूल्यांकन तकनीक में प्रशिक्षण के लिये चुने हुए कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है।
(4) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली असंगतियों को दूर करना।	(4) उत्पन्न होने वाली विभिन्न असंगतियों पर विचार करने के लिए एक असंगति समिति नियुक्त की गयी थी जिसमें अधिकारी और मजदूर संघों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिस पर अग्रता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।
(5) नैमित्तिक श्रमिकों के नियोजन के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे।	(5) सामान्यतः लागू कर दिये गये हैं।
(6) जिन रेलवे बस्तियों में रेल कर्मचारियों के 300 से अधिक परिवार रहते हैं उनमें उचित दर की दुकानें खोलना।	(6) उचित दर की दुकानें लगभग ऐसे सभी स्टेशनों पर खोल दी गयी हैं जहां 300 से अधिक रेल कर्मचारी नियुक्त हैं। इस समय ऐसी 1318 दुकानें हैं। इनमें से 419 दुकानें रेल कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा और 899 दुकानें राज्यों द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा चलायी जा रही हैं।

भाड़े एवं किराए के पुनरीक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति

3774. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम } क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लागत तथा लाभ के आधार पर रेलों के भाड़े एवं किराया ढांचे की पूर्ण जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रेल भाड़ा और किरायों की पुनर्संरचना के लिये एक उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है ।

निर्वाचन का आयोजन

3775. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की विद्यमानता निर्वाचन आयोजित कराने के मार्ग में कोई कानूनी रोक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार 1976 में निर्वाचन आयोजित कराने पर विचार कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार ने 1971 की जनगणना के आधार पर देश में अद्यतन मतदाता सूची तैयार कर ली है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मुहम्मद) : (क) आपात काल के दौरान निर्वाचन कराए जाने के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है ।

(ख) सरकार ने इस विषय में कोई विनिश्चय नहीं किया है ।

(ग) 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमित सभी निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को तारीख 1 जनवरी, 1975 को अर्हता तिथि के रूप में आधार मानकर, पुनरीक्षित किया गया है, और 1975 के दौरान उन्हें अंतिम रूप से प्रकाशित किया जा चुका है । निर्वाचक नामावलियों को तारीख 1 जनवरी, 1976 को अर्हता तिथि के रूप में, आधार मानकर पुनः पुनरीक्षित किया जा रहा है और अगस्त, 1976 में उनको अंतिम रूप से प्रकाशित कर देने का विचार है ।

रायबरेली-लखनऊ और रायबरेली कानपुर के बीच दोहरी रेलवे लाइन

3776. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में दोबारा बिछाई गई दालामन-दरियापुर रेल सम्पर्क लाइन कानपुर को रायबरेली के साथ जोड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो कानपुर और रायबरेली के बीच और रायबरेली से बरास्ता लखनऊ कानपुर तक रेलवे लाइन की किलोमीटर में लम्बाई कितनी होगी ; और

(ग) क्या रायबरेली के औद्योगिकरण को दृष्टि में रखते हुये सरकार का विचार रायबरेली और लखनऊ और रायबरेली और कानपुर के बीच दोहरी पटरी बिछाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) डालामऊ-दरयापुर के रास्ते कानपुर से रायबरेली तक की फिर से बिछायी गई लाइन की मार्ग की लम्बाई 128.68 किलोमीटर और लखनऊ के रास्ते मार्ग की लम्बाई 149.32 किलोमीटर है।

(ग) जी नहीं।

अराजपत्रित कर्मचारियों का दर्जा बढ़ाने के लिए रेलवे बजट में धनराशि की व्यवस्था करना

3777. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अराजपत्रित संवर्ग का दर्जा बढ़ाने के लिए वर्ष 1976–77 के रेलवे बजट में धनराशि की व्यवस्था की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे किस तारीख तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रेलों पर अराजपत्रित संवर्गों की पुनर्संरचना की योजना की स्वीकृति सरकार द्वारा दी जा चुकी है और इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किये जाने की संभावना है।

रेलवे में खान-पान का पृथक विंग

3778. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन में एक पृथक विंग खोलने का कोई प्रस्ताव है जो खान पान की आवश्यकताओं तथा समस्याओं के प्रति पर्याप्त तथा समय पर ध्यान दे सकें ; और

(ख) क्या खान पान विभाग को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई अन्य कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खान-पान सम्बन्धी मामलों की देख भाल के लिए रेलों के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के अधीन एक अलग विभाग पहले से ही मौजूद है।

(ख) जी हां। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गाड़ियों और प्लेट फार्मो पर खान-पान सेवाओं में सुधार लाने के लिए किये गये महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिये गये हैं :—

(1) सेवा में सुधार लाने के उद्देश्य से खान-पान इकाइयों में गर्म पेटियों, इन्सूलेटेड ट्रालियों, "इडली" पीसने की मशीनें आदि जैसे आधुनिक पाक तकनीकों और यन्त्रों की व्यवस्था कर दी गयी है।

(2) बम्बई के खानपान संस्थान में खान-पान विभाग के कर्मचारियों को बारी-बारी से प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(3) अच्छी विभागीय इकाइयों द्वारा अच्छी किस्म का कच्चा सामान उपलब्ध कराया जाता है और आटा, मैदा, गेहूं, चावल आदि जैसे आवश्यक सामान सरकारी स्रोत से उपलब्ध कराये जाते हैं।

(4) परम्परागत भोजनयानों के विलष्ट स्थानों में पकाने और धोने का काम बन्द कर दिया गया है और उसके स्थान पर मार्ग में स्थापित आधुनिक रसोइयों में तैयार किया गया "परोसने के लिए तैयार" भोजन लेने की प्रणाली चलायी गयी है। इस प्रकार स्वास्थ्यप्रद बेहतर किस्म के भोजन की व्यवस्था हो पायी है।

(5) धुए के कष्ट से बचने के लिए गैस का चुल्हा लगाकर और पैन्ट्री कारों की सफाई में सुधार के लिए उसके अन्दर लेमिनेटेड चादर की व्यवस्था करके उनके ढांचों में परिवर्तन कर दिया गया है।

(6) अनेक स्टेशनों पर स्वच्छ किस्म के पोलीथीन की थैलियों में पैक किये गये सस्ते भोजन की व्यवस्था की गयी है।

(7) विभाग तथा ठेकेदारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न खान-पान/ खोमचा इकाईयों की अचानक जांच की जाती है।

सरकारी कार्य के लिए संघीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग

3779. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग में सरकारी कार्य के लिए अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्य में संघीय भाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की वांछनीयता के प्रति रेल प्रशासन का विचार अधिकारियों को किस प्रकार प्रोत्साहित करने का है;

(ख) अंग्रेजी भाषा को छोड़कर उस का विकल्प स्वीकारने के सभी स्तरों पर रेल अधिकारियों की उपेक्षा दूर करने में रेल-प्रशासन कहां तक सफल हुआ है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ग) सरकार की समान्य नीति के अनुसार केन्द्र की राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए रेलवे अधिकारियों को प्रेरणा देकर उनके रोजमर्रा के सरकारी काम में हिन्दी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यलायों में ऐसे अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए जो अपने कार्य क्षेत्र में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं उनको नकद पुरस्कार देने की एक योजना प्रारम्भ की गयी है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में भी इस योजना को लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है और इस बारे में गृह मंत्रालय से परामर्श किया जा रहा है। रेल प्रशासनों ने क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाये हैं। रेल परिसरों में साइन बोर्डो और सूचना पट्टों, यात्री और प्लेटफार्मो टिकटों, स्टेशनों

के नाम और समय सारणी में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ रेलवे फर्मो को तीन भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा में जारी भी किया जा रहा है।

(ख) सभी स्तरों पर अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए किये जा रहे प्रयासों का अच्छा फल मिलने लगा है, और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कुछ प्रमुख रेल कार्यालयों में इस समय 60 से 80 प्रतिशत के बीच कार्य हिन्दी के माध्यम से किया जा रहा है।

रेलवे सुरक्षा निधि से पंजाब को आबंटित धनराशि

3780. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 में रेलवे सुरक्षा निधि से पंजाब को कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया गया : और

(ख) उक्त धनराशि से उस राज्य में किस प्रकार के सुरक्षा कार्य किये गये और इन कार्यों के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1975-76 के दौरान उपयुक्त कार्यों के लिए 61.57 लाख रुपये के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए अनमोदनपत्र जारी कर दिये गये थे।

(ख) मिलरगंज, लुधियाना में एक ऊपरी सड़क पुल और मोगा में एक निचले सड़क पुल, और 40 समपारों पर चौकीदार तैनात करना / स्तर उंचा करने की व्यवस्था से सम्बन्धित जिन दो कार्यों के लिए इस निधि से वित्त प्रबन्ध किये गये थे वे पूरे हो गये है।

स्टेशनों पर विभागीय खान-पान एजेंसियां

3781. **श्री राम भगत पासवान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी प्रमुख स्टेशनों पर विभागीय खान-पान एजेन्सियों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खुदरा बिक्री स्थलों की संख्या बढ़ाने की योजना

3782. **श्री पी० गंगा देब**
श्री के० प्रधानी } : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की के वितरण के लिये बिक्री स्थलों की संख्या बढ़ाने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976 के अन्त तक कितने ग्रामीण वितरण केन्द्रों की स्थापना की जायेगी ;

(ग) क्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान खुदरा पेट्रोलियम उत्पाद बिक्री केन्द्रों को बहु-प्रयोजनीय वितरण केन्द्रों में बदलने की योजना प्रारम्भ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) 1976 के अन्त तक ग्रामीण और अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में तेल कम्पनियों द्वारा लगभग 400 फुटकड़ पम्पों को बहुद्देश्य वितरण केन्द्रों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) : जी हां। इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम लि० कम्पनी और भारत रिफाइनरीज़ लि० ने ग्रामीण और अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अधिकांश फुटकड़ पम्पों को बहु-उद्देश्य ग्रामीण वितरण केन्द्रों में परिवर्तन करने का कार्यक्रम जारी किया है। विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा ये केन्द्र ग्रामीण जनता द्वारा अपेक्षित कई पदार्थों और सेवाएं जैसे कि प्रमाणित बीज उर्वरक और अन्य कृषि सम्बन्धी भी निवेश और अन्य पदार्थ जैसे कण्ट्रोल का कपड़ा, सामान्य घरेलू औषधियां, साबुन, वनस्पति और खाना पकाने का तेल (बन्द डिब्बों में) साइक्लों के लिये टायर और ट्यूब, ट्रक्टर के पुर्जे, टार्च सैल आदि को भी बेचेंगे। कुछ केन्द्रों में अंशकालिक के आधार पर डाक्टरों की सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है।

Modernisation of tracks of North-Eastern Railway

3783. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the places on North-Eastern Railway where modernisation of track is being taken up using pre-stressed concrete sleeper pack technique and the period within which the entire railway track is likely to be modernised in that zone ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) : There are no proposals for the modernisation of track with prestressed concrete sleepers and mechanised packing techniques, on the North-Eastern Railway, which is mainly a metre-gauge system. Track modernisation programme is mainly confined to B. G. routes, carrying heavy traffic densities and high speeds, where the higher investments on modernisation are expected to give maximum returns in the quickest possible time.

औषधों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी

3784. **श्री भाऊ साहिब धामणकर :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ही उपलब्ध प्रौद्योगिकी के बल पर भारतीय भेषज और औषध निर्माण उद्योग मूलभूत औषधों और प्रतिजीवाणु तथा अन्य औषधों के उत्पादन में पश्चिमी देशों एवं अन्य उन्नत देशों से प्रतियोगिता करने की स्थिति में है ;

(ख) यदि नहीं, तो प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में इस बड़ी कमी को दूर करने तथा आधुनिक तथा अनिवार्य प्रौद्योगिकी का आयात करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ताकि औषध प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके ; और

(ग) इस क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनने तथा देश में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से आगे निकल जाने में संभवत: कितना समय लेगा।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) :—औषध उद्योग अत्यधिक अनुसंधान उन्मुख है और इस उद्योग के विकास के लिये अदयतन प्रौद्योगिकी का होना नितान्त आवश्यक है। जिन मदों के लिये देश को कुछ समय और प्रौद्योगिकी के आयात पर निर्भर रहना, होगा, उन मदों का तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निम्न प्रकार पता लगाया गया है :—

(क) जिन मदों के उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी उपलब्ध है लेकिन उसमें विकास की और प्रक्रिया की आवश्यकता है ।

(ख) जिन मदों के लिये इस समय प्रौद्योगिकी देशीय रूप से उपलब्ध नहीं है, उनके लिये ऐसी प्रौद्योगिकी को शीघ्रता से अधिष्ठापित करने और उसका देश में ही और विकास करने की आवश्यकता होगी। उक्त कार्यवाही निरन्तर रूप से चलने वाली है। अत: प्रौद्योगिकी के मामले में पूर्ण रूप से आत्म निर्भरता के लिये कोई समय-बद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है।

सिंदरी उर्वरक कारखाने का आधुनिकीकरण

3785. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सिंदरी उर्वरक कारखाने के आधुनिकीकरण की योजना की क्रियान्वित के लिये उत्तरदायी एजेंसी का नाम क्या है और क्या सल्फयूरिक अम्ल ट्रिपल फास्फेट और फास्फोरिक अम्ल जैसे नये संयंत्रों की स्थापना के बारे में वैज्ञानिक व्यवस्था करने के लिये किसी विदेशी सहयोग की मांग की गई है; और

(ख) आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक व्यवस्था योजनाओं सम्बन्धी कार्य पूरा होने के बाद कितनी विदेशी मुद्रा बचने का अनुमान है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सिन्दरी आधुनिकीकरण योजना को फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया का योजना और विकास प्रभाग कार्यान्वित कर रहा है। सिन्दरी आधुनिकीकरण के अमोनिया संयंत्र के लिये लाइसेंस की जानकारी, मूल इंजीनियरिंग तथा विस्तृत इंजीनियरिंग में सहायता पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स उहदे तथा यूरिया संयंत्र के लिये इटली के मैसर्स टेकनिमांट द्वारा सप्लाई की जा रही है ।

सिन्दरी आधुनिकीकरण योजना के अतिरिक्त सिंन्दरी में सुव्यवस्थीकरण परियोजना का कार्य भी हाथ में लिया गया है। सुव्यवस्थीकरण योजना के अन्तर्गत सल्फूरिक एसिड संयंत्र के लिये डिजाइन तथा आयातित उपकरण बलगेरिया से तथा फास्फोरिक एसिड संयंत्र के लिये बेलजियम से प्राप्त किये जा रहे है। टाइप सुपरफास्फेट संयंत्र कारपोरेशन के योजना तथा विकास प्रभाग द्वारा डिजाइन दिया गया है।

(ख) सिन्दरी आधुनिकीकरण तथा सुव्यवस्थीकरण योजनाओं के प्रारम्भ होने पर विदेशी

मुद्रा की बचत वर्तमान उर्वरक मूल्य पर कच्चे माल के आयात किये जाने तथा पुर्जों के अनु-रक्षण के पश्चात लगभग 25 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होगी।

Running of Tinsukia Mail

†3786. SHRI ISHWAR CHAUDHURY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether 'Tinsukia Mail' earlier running via Gaya has been diverted to run via Patna whereas Gaya and Bodh Gaya are cities of international inmportance and tourists and visitors from all over the country and abroad visit these places daily;

(b) if so, whether Government propose to reconsider the matter; and

(c) whether the question of stopping Rajdhani Express at Gaya is also being considered in view of the foreign tourists visiting the city daily ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) : (a) Tinsukia Mail was originally scheduled to run via Patna on three days in a week. While increasing the frequency of this train to 5 days in a week from 1-11-75 due to operational reasons the additional two trips were run via Gaya purely as a temporary messure. With the development of additional terminal facilities in Delhi area, the frequency of this train was further increased to daily by changing its timings and all the trips are now scheduled to run via Patna.

(b) No.

(c) No.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

परिसीमन अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचना और 1974 के दौरान विधान सभाओं के लिए हुए चुनाव सम्बन्धी प्रतिवेदन।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मौहम्मद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधि-सूचना संख्या सा० आ० 156 (ड़०) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग के दिनांक 24 मई, 1975 के आदेश संख्या 41 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 10822/76]

(2) वर्ष 1974 में मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पांडिचेरी विधान सभाओं के लिए हुए सामान्य निर्चाचनों के प्रतिवेदन —सांख्यिकीय (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 10823/76]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन की समीक्षा

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1974-75 के तथा उसकी सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10824/76]

रेल भंडागारण और स्थान शुल्क संशोधन नियम

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किये गये रेल (भण्डागारण और स्थान-शुल्क) तीसरा संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 24 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ०/504 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा देखिए संख्या एल० टी० 10825/76]

अनुदानों की मांगें, 1976-77--जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77—*Contd.*

इस्पात और खान मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों पर आगे चर्चा करेगी।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं भी बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : : आप मंत्री से पहले बोले।

SHRI JAGANNATH MISHRA (**Madhubani**) : There is no doubt that the hon-Minister has fully utilised his capability and capacity to run the Ministry of Steel and Mines.

We have invested nearly Rs. 2000 crores in the Steel industry.

The Railway Ministry is providing sufficient number of wagons for the movement and transportation of iron.

The pace of production of steel has gone up during the emergency because of peaceful atmosphere prevailing in the country.

There is no doubt that Minister has been working at a very ambitious 25 years plan for the steel industry. Perhaps the plan has already been drawn up but it has not yet been finalised. As soon as it is finalised Government will implement it.

Presently we are producing 5·7 million tonnes of steel in the country. It is a happy development that our imports are coming down and we have started exporting some items.

Amount of Rs. 517 crores is required for the Salem project. But according to the experts if even an amount of Rs. 116 crores is made available it will be enough for setting up a rolling mill for production of about 30 to 35 thousands tonnes of rolled stainless steel sheets. This should be sympathetically considered.

Our steel production will be 9·86 million tonnes by the end of fifth plan whereas our consumption will be 7·65 million tonnes. Thus we will be in a position to export some steel and earn valuable foreign exchange. The financial position of the Iron Ore Board is not sound. Some concrete steps should be taken to improve it.

So far as Bokaro Steel Plant is concerned, it will be able to produce 5,70,000 tons saleable steel this year which is no mean achievement. Very soon about 300 ancillary industries will be set up around that Plant whereby a large number of people will be able to get employment.

It is a matter of great satisfaction that provision has been made for workers participation in the management of all the steel plants. Also, housing water, electricity, medical and transport facilities have been provided to the workers. Government should also try to set up holiday homes for the workers as is done in the Western countries. The private sector steel undertakings should be nationalised.

SHRI DAMODAR PANDEY **(Hazaribagh)** : All the speakers who spoke before me praised the Minister and also the functioning of his Ministry. They really deserve all the praise for the work done during the last few years. There is no doubt that the production of steel has gone up considerably and this is as a result of the efficient handling and guidance provided by the Minister. But we want the Minister to take some more concrete steps whereby even the remaining drawbacks of this department could be removed.

We have large deposits of iron ore in the country. But its production and utilisation is not proceeding on right lines. If we think that our deposits are in exhaustible then it is a big misunderstanding and I will like the Government not to be its victim. At present our private sector proprietors threw away the iron with less than 50 per cent ore content in the fields whereas in America even iron with 35 percent ore content is being mined. This will show how much resources we are wasting. This should be avoided.

The same type of misunderstanding is also prevailing in regards to some other minerals. There was a time when we thought that we are producing so much manganese ore that we will be able to capture the entire world market. We started exporting whatever black material was found and the result was that we lost the whole market.

Some mines of iron ore and manganese ore are in the public sector and some are in the private sector and in the latter the wages of the workers are very low. This is something very unfortunate. Let all the mines be nationalised and concrete steps taken for the welfare of workers.

So far as copper is concerned, there is no doubt that there has been considerable increase in its production. But we would have to consider as to how long this happy position would continue. It is very necessary that the Khetri and Ghatshila smelters are fully utilised.

In Dhanbad District there is a lead smelter at Tundu which is very small. Now another smelter is going to be set up at Vishakhapatnam. Before opening new smelter why should the Government not think of expansion of the Tundu smelter as that will be more useful.

So far as workers participation in management is concerned, it is learnt that elections are going to be held in Khetri for this purpose. This is something very serious. So far workers participation in management has been on the basis of agreement among the trade unions. If elections are brought in, it will disturb the peaceful atmosphere prevailing in the industries.

SHRI DHAN SHAH PRADHAN **(Shahdol)** : I support the demands of this Ministry. More attention should be paid towards improving the condition of the workers because they are the builders of the nation in the real sence. Preference should be given to the Adivasi workers in the coal mines because they are more honest and hardworking.

The old mine owners have ruined the mines. That is the reason why so many accidents are taking place now. We should thoroughly examine all the mines and ensure safety of the workers.

Regional consultative committee should be set up in the coal mines so that local people are given preference in the matter of recruitment and that area could become prosperous.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : मांगों का समर्थन करते हुये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं यदि हमारी इस्पात निर्माण की शानदार परम्परा रही है तो हमें विश्व के अन्य भागों में तैयार किये जाने वाले इस्पात की तुलना में अपने देश में बढ़िया इस्पात बनाने में क्या कठिनाई है? क्या हमने बढ़िया इस्तात तैयार कर लिया है अथवा करने वाले हैं? क्या हम अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे हैं?

मंत्रालय यदि इस बात से संतुष्ट है कि वह उतना तो उत्पादन कर रही है जितना 10 वर्ष पूर्व कर रहा था तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य होगा। हमें अपने उत्पादन में काफी सुधार करना होगा तथा गत वर्ष हुये उत्पादन के परिणाम को बनाए रखकर इस सीमित सफलता से संतुष्ट नही होना चाहिये।

इस मंत्रालय के प्रतिवेदन में प्रबंध कार्यों में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है लेकिन उपभोक्ता की क्या स्थिति है? उपभोक्ता की खाल उधेड़ी जा रही है? उसे अब बहुत उंची कीमत अदा करनी पड़ रही है। मंत्री महोदय के विभाग को ऐसे डिजाइनों के निर्माण के लिए कहना चाहिये जिससे कि उस डिजाइन को कई प्रक्रियाओं से न गुजरना पड़े। इससे लागत कम हो जाएगी।

प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी जानकारी के लिये विश्व भर से भीख मांगना इस देश के लिये सचमुच शर्मनाक बात है। मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वह ऐसा हर हाल में न करे।

हमें प्रत्यक्ष कटौती पद्धति को अपनाना चाहिये। हमें इस्पात संयंत्रों की लागत में भी कमी करनी चाहिये। इस्पात संयंत्रों पर बहुत पैसा लगाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रत्यक्ष कटौती पद्धति से लागत में कमी होगी?

श्री डी० डी० देसाई : यही नही अन्य लागतों में भी कमी होगी।

अध्यक्ष महोदय : कितनी कमी होगी?

श्री डी० डी० देसाई : लगभग 30 प्रतिशत कमी होगी ।

हमने कई वर्ष पहले भारतीय एल्युमिनियम कम्पनी को लाइसेंस दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश यह कम्पनी पीछे हट गई । मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिये तथा पता लगाना चाहिये कि इस कम्पनी ने कार्य किस कारणवश नही शुरु किया।

डेबारी जिंक प्रद्रावक का अधिग्रहण किया गया है लेकिन उसके उत्पादन में समय-समय पर कमी होती रहती है और कई बार तो उसने बिल्कुल काम बंद कर दिया था । इन बातों पर विचार किया जाना चाहिये । मुझे मालुम नहीं कि क्या मंत्री महोदय टिटेनियम और ऐसे अन्य धातुओं के विकास की महता के बारे में परिचित है क्योंकि ये धातुयें हमारी प्रतिरक्षा के लिये बहुत आवश्यक है। हमारे देश की दासता का प्रार्दुभाव अपने संसाधनों का उपयोग न करने के कारण हुआ था। आज हम विकासशील देशों की बात करते हैं। साम्राज्य-वाद की बात करते हैं लेकिन हमें अपने सीमित कार्यों और कमियों की ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग नही कर रहे हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर) : दूसरे विश्व युद्ध में ऐसी स्थिति बन रही थी कि जब अंग्रेजों को अपने वंश को बचाने के लिए कनाडा जाने की आवश्यकता पैदा हो रही थी । परन्तु थोड़े से रायल एयर फोर्स के कर्मचारियों ने अपनी वीरता से उनकी रक्षा की । उसी प्रकार श्री चन्द्र जीत यादव ने थोड़े से निष्ठावान कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस्पात उद्योग मे भारी प्रगति की है।

इस्पात की प्रगति के साथ उसके अन्य देशों में निर्यात की समस्या पैदा हो गई है। खेद की बात है कि मैंगनीज के प्रति टन निर्यात पर हमें 3 डालर को हानि उठानी पड़ती है, बेशक हम इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं । जापान सरकार ने तो माल को घटिया स्तर का पा कर उसे गोआ वापस भेज दिया । अब हमारे पास निर्यात के लिये इस्पात है परन्तु हमारे पास उसे भेजने के लिये जहाज नहीं है । शिपिंग उद्योग उस पर ध्यान दे । मैंगनीज के जापान को आयात में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि दाम विश्व बाजार के भावों पर निर्भर करेंगे। उन्होंने इस बात पर हमारे अधिकारियों का उपहास किया। इसलिए भविष्य में ऐसे करारों में यह सम्मिलिति किया जाय कि इस्पात के मूल्य इस्पात के विश्व मूल्यों पर निर्भर करेंगे ।

जब कोई व्यक्ति इमानदारी से अपना दायित्व निभाता है तो उसे विशेष महत्व दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अन्य अधिकारी इमानदार तथा जिम्मेदार नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि उत्पादन तथा मंजूरी में समन्वय स्थापित करें।

आज आपात स्थिति में तो भय के वातावरण से लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं, यह नहीं कि उनके चरित्र में सुधार आ गया है। यदि पुलिसमैन डाकू को पकड़ता है अथवा कोई अधिकारी अपना कर्त्तव्य निभाता है तो उन्हें इनाम आदि दिये जाते हैं। अधिकारियों को अपने दायित्व का एहसास होना चाहिए ।

'टिस्को' का उत्पादन 100 प्रतिशत बढ़ा है जबकि सरकारी क्षेत्र का उत्पादन 60-80 प्रतिशत ही बढ़ा है । सरकारी क्षेत्र में उतना ही उत्पादन क्यों नहीं हो सकता ?

अध्यक्ष महोदय : भिलाई में यह 102 प्रतिशत है।

6—442LSS/76

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : यह 1.2 प्रतिशत है।

श्री प्रबोध चन्द्र : अमरीकी तथा जापानी लोग भी कम काम करते हैं। जापान कच्चा माल भारत से आयात करके भी विदेशों को भारत से सस्ते दामों पर इस्पात से तैयार माल भेजता है। किसी संयंत्र के लगाने में हम बहुत अधिक काम करते हैं। हमें इस्पात का उत्पादन मूल्य घटाना चाहिए। जबकि यह समाचार मिला है सरकारी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन व्यय में 300 रुपये प्रति क्विटल की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर भी निजी क्षेत्र से हम मूल्य घटाने की उम्मीद करते हैं।

इस्पात मिल लगाते समय हम अधिकारियों के आवास साथ साथ बनाते हैं। परन्तु हम केवल 40 प्रतिशत कार्मिकों के लिये ही आवास की व्यवस्था कर पाये है। सरकार को इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस समय 40 से 60 प्रतिशत कर्मचारियों को आवास दिये गये है। कार्मिकों को आवास पहले दिये जाने चाहिए।

DR. GOVIND DAS RICHHARIYE (Jhansi) : I congratulate hon. Shri Yadav and Shri Sukh Dev Prasad for endeavouring to increase the production of steel not only to meet the undigenous requirements but also to earn foreign exchange.

The underground wealth of the country may be explaned and utilised to make the country self reliant.

Bundelkhand is a backward area. Our specialists are explaning copper in Lalitpur. There is likelihood of uranium being found there.

The hills of Vindhyachal also require to be surveyed. The whole area required to be surveyed. I hope efforts would succeed shortly.

With these words I support the demand of the Ministry.

SHRI MOHAMMAD ISMAIL : (Barrekpur): The steel factories operating in public sector do not allow functioning of trade unions. These unions are forced to function as the officers of these enterprise, desire. The workers do not have the right to talk among themselves and if they do so they are retrenched on dismissed.

They permit opening of wine shops but do not permit the registered trade unions to function. This is what I saw in Bhilai. But the unions that have been functioning for 5-6 years and which used to meet at the time of difficulties are not allowed to function now. The grievances cannot be redressed there non can the people represent their cases.

I would request the hon. Minister to see that trade unions. are allowed to function there.

You say that only the employees should manage the unions. But even the unions managed by the employees themselves there are not allowed to carry on their legitimate activities.

A lock out was declared in J. K. Nagar in 1973, which is still continuing. A report was received after investigation of the matter. A deputation met the hon. Minister in this regard. Thereafter it was declared that the factory has been closed due to mismanagement. I request the hon. Minister to give a clear statement in the matter.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTERY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD) : It is a matter of pride that the achievements of this Ministry also haue received appreciation from the hon. Members.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The progress of a country can be measured by the quantum of the steel it consumers. The speed with which the production of steel in the country is increasing indicates that the future of the country is bright.

This Ministry has progressed in the sphere of mines and metals.

So far as aluminium is concerned we are producing 80 per cent of our production capacity. Now the position is that that we are not able to consume the aluminium we produce. We have established an all time record in the production of aluminium of both the grades.

You will find from the report that we used to import aluminium . But now we are exporting it. The Korba Aluminium plant is producing E.C. grade aluminium and we are utilising about 80 per cent of our production capacity which is an all time record. This is a very good achievement for which our workers and officials deserve congratulations. We are also trying to become self reliant in the matter of metal also.

As regards Copper, we have been depending on foreign countries. But since the Khetri Copper Project has started production we can meet our demands from there. Malajkhand project has been taken over by the Government. At this stage and in view of financial restraints it is not correct to say that the progress is slow.

श्री डी० डी० देसाई : क्या भूमि संसाधन खोज प्रणाली का उपयोग किया जायेगा क्योंकि इससे देश के खनिज संसाधनों का पूर्ण मानचित्र मिल जाता है। इससे भूमि के फोटो प्राप्त किये जा सकते हैं।

SHRI SUKHDEV PRASAD : In this connection I can only say that whatever resources we have we are utilising them. If we are able to have new technology I would certainly utilise that.

As regards under head smelter, its present capacity is 3600 tonnes and we want to expand it to 8000 tonnes. This capacity has already been increased to some extent and this year the production has been 5031 tonnes which is a remarkable achievement.

The capacity of the other head smelter is 10000 tonnes. But it will take some time to reach this capacity. We are also going to set up a sulphuric acid plant to utilise the suphur oxide gas which comes out of the smelter, because it goes waste. In this we are making progress steadily in the matter of mines and metals.

SHRI DAMODAR PANDEY : I want to know whether government propose to have our management of the iron ore industry and whether government intend to nationalise this industry ?

SHRI SUKHDEV PRASAD : So far as the question of iron ore is concerned, my senior collegue, shri Malavia will give a reply.

Wool fram mine is in private hands. Moreover its is a small mine. Its contract has since been expired.

श्री एस० एन० सिंहदेव : वूलफ्राम अत्याधिक सामरिक महत्व की खान है। इस खान का 'रन' निर्यात हो रहा है। क्या इसे अपने आयुद्ध कारखानों में प्रयोग में लाने का कोई विचार है ?

SHRI SUKHDEV PRASAD : So far as the nationalisation of woolfram mine is concerned. the Government will consider the request of the members.

So far as the question of labour relations is concerned Government is paying its attention to this matter. In the steel plants we have brought about workers participation at shop level and has produced good results. Workers are happy with this step taken by Government. Steps are being taken to do it in other plants also. In Karba it has not been possible to do so because of the dispute between two unions. The matter is under consideration. All the possible facilities are being given to the workers.

SHRI C.D. GAUTAM (**Balaghat**) : The minister and his ministry deserve congratulations for their wounderful performance. However, the progress of work in the Manlang-Khand copper mine in Balaghat District of Madhya Pradesh is very slow. It should be expedited. If the Govrenment is serious there is no reason why this should not be done.

It is learnt that the raw material from Manaj Khand will be taken to Khetri. This will involve huge expenditure. Instead of incurring this expenditure a smelter should be set up at Malanaj Khand. Since it is estimated that about 80 million tonnes of copper deposits are in Malanaj-Khand, Government should seriously consider this matter.

The agriculturists are not getting coal for constructing wells and houses. Some coal stock should be kept for agricuiturists in very district.

There is possibility of some more copper mines being found in our area. A survey should be conducted in this regard.

It is necessary to explore the possibility of gold being found in the some river in our area.

SHRI M.C. DAGA (**Pali**) : I congratulate the hon. Minister and his Ministry for the record production of steel in the country. Despite record production Government due importing steel. Some industrialists have requested the government to permit them to set up mini steel plant. But their requests have not been accepted. I request the minister to stop import of steel because it is causing much harm to our rerolling industries. We have large stocks of steel in our country and our mills can produce enough quantity of stainless steel if certain quantity of nickel is supplied to them.

Ministry's report has stated that production in Hutti has decreased by 8 percent because there is accumulation of Gold. This is some thing which is beyond my comprehension. Even the Bharat Gold Mines has to curtail its production by 3 per cent. The Minister should go into this matter and come out with a reply and give correct position.

It is a matter of great satisfaction that there has been larger participation of workers in the management of steel plants. It is no doubt a big achievement. The Minister deserves all praise for it.

I request the Minister to pay more attention to the pitiable condition of the state owned mines and workers who are being exploited there. It is all because of lack of funds.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मैं इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय को बधाई देता हूं जिन्होंने प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को साकार बनाया है। छोटा नागपुर, क्षेत्र में भारी औद्योगीकरण कार्यक्रम, द्वि-क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और अन्तर्क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण वहां सामाजिक सिहरन फैल रही है।

इस्पात संयंत्रों में अधिक काम बढने के कारण वहां सुरक्षात्मक और देख-रेख के उपायों की

आवश्यकता बढ़ गई है । दूसरे 'मैकन', 'हैक' ब्रिटेनिया, जेसप तथा मार्टि बर्न जैसी कम्पनियों के सभी विभागों को संयुक्त सहयोग बनाकर कलपुर्जे बनाने हेतु प्रारूप तैयार करना चाहिए और आयात प्रतिस्थापन तथा प्रौद्योगिकी में स्वावलम्बन की दिशा में पदार्पण करना चाहिए। व्यापक सूक्ष्म परिवर्तन को फैक्ट्री स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा कोयलाखानों में कर्मचारियों के प्रभावकारी सुझावों को मान कर उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए । इससे उद्योग में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और नई दिशायें खुलेंगी। 'टिस्को' ने इसे बड़ी सफलता पूर्वक साकार किया है और हमारे इस्पात संयंत्रों को सुधार करने का अवसर मिला है। इससे निश्चय ही प्रतिव्यक्ति घंटे उत्पादन में वृद्धि होगी।

धमन भट्टियों में कोयले की धूल का उपयोग महत्वपूर्ण प्रगति है और हम इसकी सराहना करते हैं। क्रोम और निकल को फिर से उपयोग में लाने को प्रक्रिया अपनाने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए ।

पंच वर्षीय योजना के लिए इस्पात बनाने हेतु अनेक अतिसूक्ष्म पहलूओं पर विचार किया गया हैं। हमें इन बातों पर गहराई से और सावधानी से विचार करना है।

मैं उन प्रशिक्षुओं की सराहना और स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारी उदीयमान औद्योगिक संस्कृति में भाग लिया है। अतः मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों, सुपरवाइजरों और अधिकारियों की भर्ती और पदोन्नति के सम्बन्ध में समान नियम बनाये जाएं।

खनिज उत्पादन में भी नाटकीय परिवर्तन आया है। हमें यूरेनियम, ताम्बा, और सोने जैसी मूल्यावान धातुओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

देश में तांबे के बहुत बड़े भण्डार है। लेकिन भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण की खोजों में कुछ दोष रह गये है। हमारे यहां टीन की बहुत कमी है। लेकिन बरगंडा में तांबे की खानें है। और नुरुंगी में टीन की खानें हैं। इन खानों में तांबे और टीन निकला है। चूंकि भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण इस कार्य में असफल रहा है इसलिए इस क्षेत्र में फिर से खोज कार्य होना चाहिए । ।

श्री गिरिधर गोमान्गो (कोरापुट) : में मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा में सर्वेक्षण किया लेकिन वह अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया। राज्य खनिज निगम ने भी कुछ भागों में सर्वेक्षण किया है । उड़ीसा में अत्याधिक खनिज पदार्थो के निक्षेप हैं फिर भी राज्य बहुत निर्धन है राज्य सरकार के खान विभाग ने भारत सरकार की सहायता से केवल कोरापुट जिले में एक ही परियोजना हाथ में ली हैं। यहां चूने का पत्थर और ग्रेफाइट का पहले ही पता लगाया जा चुका है । इसलिए इन खनिजों को शीघ्र निकालने का कार्य किया जाना चाहिए ।

कोरापुट जिले मे पंचमाली क्षेत्र में बाक्साइड के भारी भण्डार हैं मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के पूर्वी समुद्र तट पर 300 मील लम्बा क्षेत्र ऐसे निक्षेत्रों से भरा पड़ा है । अतः मंत्री महोदय उस क्षेत्र में एक संयंत्र लगाने का विचार करे। मुझे आशा है कि यहां और अधिक सर्वेक्षण करने के लिए अधिकाधिक धनराशि दी जायेगी।

SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR (Durg) : There is no doubt that our country has made remarkable progress in steel production. We are competing with Japan, Iran and other countries. It is a world record that we have exported railway lines in 25 metre length.

The Minister deserves congratulations for taking measures to bring about workers participation in management and initiating labour welfare activities.

It is envisaged to abolish contract system in steel industry and keeping this fact in view Hindustan construction company has been set up but this company has also resorted to this contract system. The minister should look into it because this system leads to the exploitation of labour by contractors.

It is learnt that large deposits of copper have been discovered at Malaj Khand. Finds should be alocated for its exploitation so as to stop import of copper. In Bastar also such deposits of tin have been found in several places. The technical know-how should be encouraged to maximise the production of tin.

In all our major factories we have to depend on other countries for designing. The Ministry should take steps to see that designs are prepared in the country itself.

श्री एस० एन० सिंह देव (बांकुरा) : इस्पात और खान मंत्रालय को देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने और देश का विकास करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और यह प्रसन्नता की बात है कि इस्पात उद्योग ने आत्मनिर्भर होने के क्षेत्र में न केवल तेजी से प्रगति की है, वरन् पर्याप्त मात्रा में इस्पात निर्यात करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी कमाई है । इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का सहयोग लेना प्रारम्भ करना भी स्वागत योग्य प्रयास है। लेकिन उन्हें अभी प्रबन्ध सम्बन्धी आधार भूत जानकारी देने की आवश्यकता है। इससे उनका सहयोग अधिक प्रभावकारी होगा। इसके अलावा उन्हें प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध सम्बन्धी शिक्षा भी दी जानी चाहिए जिससे वे उत्पादन वृद्धि में प्रभावकारी भूमिका निभा सके।

इस्पात उद्योग की निर्यात आय 1972-73 में 19 करोड़ रुपये हुई थी जो 1974-75 में बढ़कर 110 करोड़ रुपये हो गई है। और वर्ष के अन्त तक 250 करोड़ रुपये तक होने की आशा है।

जहां तक खनिजों का सम्बन्ध है हमारे यहां उसका बड़ा भारी भण्डार है। कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज़, चूना-पत्थर तथा डोलेमाइट आदि जो इस्पात उत्पादन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, अत्यधिक मात्रा में देश में उपलब्ध है, हमारे देश में मजदूरी भी बहुत सस्ती है। इसलिए इस्पात का उत्पादन कम मूल्य पर न किए जाने का कोई कारण नहीं है ऐसा करने पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक प्रतियोगिता की जा सकती है और भारी लाभ कमाया जा सकता है।

बर्नपुर स्थित 'इस्को' के कार्य में भारी सुधार हुआ है। चालू वर्ष में बिक्री के इस्पात का उत्पादन 44 प्रतिशत बढ़ा है। संयंत्र में सुधार करने की दृष्टि से 55 करोड़ रुपये का एक कार्यक्रम बनाया गया है। लेकिन उसमें से अभी 34 करोड़ रुपया ही व्यय किया गया है। यदि शेष राशि पहले दी जाये तो संयंत्र का उत्पादन स्थापित क्षमता तक पहुंच जायेगा।

इसके अतिरिक्त उन्होंने मोटर गाड़ी के रिम और हाई टेंसिल स्टील का उत्पादन शुरु कर दिया है जिसकी विदेशों में तुरन्त बिक्री की जा सकती है। इसलिए पारम्परिक वस्तुओं

के उत्पादन के बजाय इस्पात संयंत्रों में यदि हम ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जिनका विदेश में बड़ा बाजार है तो यह हमारे राष्ट्रीय हित में होगा।

यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इस समय 'इस्को' में केवल आसनसोल रोजगार दफ्तरों के उम्मीदवार ही लिये जाते हैं। जबकि अन्य रोजगार दफ्तरों के उम्मीदवारों को वहां नहीं चुना जाता। इस कारण उस क्षेत्र के लोगों में बहुत असन्तोष है। मंत्री महोदय कम्पनी को आवश्यक अनुदेश दें, जिससे अन्य रोजगार दफ्तरों के उम्मीदवार भी, यदि वे योग्य हों, तो, सेवा में लिये जा सकें।

SHRI N.P. YADAV (**Sitamarhi**) : It is learnt that in all the big public undertaking. such as Bokaro, Durgapur and Rourkela, the Harijans Adivasis and backward classes have not been given class III and class IV posts in the proportion they ought to have been given. It is also under stood that these people whose lands have been acquired during the construction of the Bokaro factory, have not still been rehabilitated. Government should therefor, make arrangements for their housing as early as possible.

Steps should be taken to provide employment to local people in Bokaro or Durgapur, because local people have not been given jobs there in the proportions that they ought to have been given. Government should take steps to provide employment to people of Bihar in these undertakings.

The price of iron should be brought down in the same proportions as the prices of other commodities have been brought down so that farmers could purchase iron at reduced price.

इस्पात और खान मंत्री (श्री चंद्रजीत यादव) : उपाध्यक्ष मोहदय, मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा में भाग लिया है।

मैं उन कर्मचारियों के कार्य की प्रशंसा करता हूं, जिससे हम अच्छा कार्य कर सके और लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

गत वर्ष हम अपने इस्पात संयंत्रों की 84 प्रतिशत उपयोग क्षमता के बराबर उत्पादन कर सके। चालू वर्ष में हम इस क्षमता को और बढ़ाना चाहते हैं। हम इस संबंध में विश्व स्तर पर पहुंचना चाहते हैं। हमें तब तक संतोष नहीं होगा जब तक भारतीय इस्पात कारखाने 90 प्रतिशत प्रयोग क्षमता के बराबर उत्पादन न करने लगें। पिछले महीने भिलाई के कर्मचारियों ने 112 प्रतिशत प्रयोग क्षमता के बराबर उत्पादन किया। यह बहुत ही उत्साहवर्धक है।

यह निराधार आरोप लगाया गया है कि इस्पात उद्योग में कार्मिक संघों के लिए कोई स्थान नहीं है तथा उनके हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परन्तु यह एक मात्र उद्योग है जहां कार्मिक संघों की राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति है, जिसमें प्रत्येक कार्मिक संघ के प्रतिनिधि हैं। वार्षिक लक्ष्य के सम्बन्ध में संयंत्र स्तर पर, राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति स्तर पर और अन्य में 'सेल' के स्तर पर चर्चा की जाती है और मन्त्रालय लक्ष्य निर्धारित करता है। 1975-76 के लिए सभी इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में एक समन्वित लक्ष्य रखा गया है। 78,000 मी० टन का उत्पादन कर उस लक्ष्य को लांघ दिया गया है। यह उत्पादन प्रबन्धकों और कर्मचारियों द्वारा निश्चित किए गए मूल लक्ष्य से 0.4 प्रतिशत अधिक है। हमने 8,78,000 मी० टन इस्पात का उत्पादन करके 1974-75 से 18 प्रतिशत अधिक उत्पादन किया।

1976-77 में हमने 82.05 लाख मी० टन इस्पात पिण्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 64.05 लाख मी० टन पिण्ड बिक्री योग्य होंगे। 1975-76 की तुलना में यह क्रमशः 13.2 और 11.9 प्रतिशत अधिक होगा। 1976-77 में हमने लागत मूल्य को कम करने पर भी जोर दिया है।

इस्पात की चोर-बाजारी और जमाखोरी समाप्त हो गई है।

इस समय हमारे सामने इस्पात के फालतू होने की समस्या है। हमारी मांग उतनी अधिक नहीं है जितना कि होनी चाहिए। इस्पात की खपत भी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार इस गम्भीर समस्या से अवगत नहीं। इस्पात के आवश्यकता से अधिक होने पर हमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। वितरण व्यवस्था का पूर्णतः पुनर्गठन किया गया है। स्टाक यार्डों की संख्या बढ़ाई गई है। इस्पात की अधिक अच्छी उपलब्धता के कारण उसके उपयोग पर लगे कुछ नियंत्रणों को हटा दिया गया है। इसके अच्छे परिणाम निकले हैं तथा इससे छोटे उद्योगपतियों और जन-साधारण को बड़ा लाभ पहुंचा है। इसलिए हमने सोचा कि उत्पादन कम करना गलत होगा। जापान, पश्चिमी, ज़र्मनी, ब्रिटेन आदि देशों ने उत्पादन घटा दिया है परन्तु हमने ऐसा नहीं किया है।

इन विशेष परिस्थितियों में हमने इस्पात के निर्यात की सम्भावना पर विचार किया है। पिछले वर्ष "सेल" इन्टरनेशनल ने 20 लाख मी० टन इस्पात का निर्यात किया जिसका मूल्य 208.17 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष हमने 113.52 करोड़ रुपए के इस्पात का निर्यात किया।

यह आरोप लगाया गया है कि हम कम मूल्य पर इस्पात का निर्यात कर रहे हैं। यह कहना सही नहीं है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमें विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर इस्पात खरीदना और बेचना पड़ता है। परन्तु वे हमारे इस्पात को उचित लाभ पर खरीदने को राजी हो गए हैं। भारत पहली बार बड़े इस्पात उत्पादक देशों से प्रतियोगिता कर सका है और कई विश्वव्यापी निविदा हम मूल्य और किस्म के आधार पर प्राप्त कर सके हैं। हमने अपना इस्पात उचित लाभ पर बेचा है। अतः हम घाटे पर इस्पात का निर्यात नहीं कर रहेहैं। हमने वित्त मन्त्रालय से भी राज्य सहायता देने को नहीं कहा है।

चालू वर्ष में हम इस्पात उद्योग में और प्रगति किए जाने का प्रयत्न करते रहेंगे। हमें अगले पचीस वर्ष के लिए अपनी योजना बनानी चाहिए। इसी कारण सरकार ने 'सेल' से दीर्घकालीन योजना बनाने को कहा है। सरकार ने देश में दो महत्वपूर्ण इस्पात परामर्शदात्री संस्थायें स्थापित की हैं। सरकारी क्षेत्र में एन०ई०सी०ओ०एन० और गैर-सरकारी क्षेत्र में दस्तूर एण्ड कं०।

'सेल' को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वह इन दोनों 'संस्थाओं' को शामिल करके एक समिति की नियुक्ति करे जो दीर्घकालीन योजना बना कर इस आशय का एक प्रारूप तैयार करे कि इस शताब्दि के अन्त तक हम कितने इस्पात का उत्पादन करें तथा देश को कितने इस्पात की आवश्यकता होगी। आशा है कि अगली शताब्दि के आने तक देश में 7000 लाख टन इस्पात का उत्पादन होने लगेगा। इसलिए भारत इस्पात के सम्बन्ध में स्वावलम्बी रहेगा।

अनुसंधान और विकास के लिए हमारे यहां सुसज्जित संगठन है। संगठन को अन्तिम प्रौद्योगिकी जानकारी से सम्पन्न कर और शक्ति सम्पन्न बनाया जा रहा है, जिससे विश्व भर में उपलब्ध जानकारी का उपयोग देश में हो सके।

इस आशय के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि सभी प्रकार के अनुसन्धान इंजीनियरिंग और विकास संगठन स्वयं को विश्व में उपलब्ध प्रौद्योगिकी जानकारी से स्वयं को अवगत रखे तथा देश में इस्पात की उत्पादन लागत को कम करने का प्रयत्न करें।

यह सुझाव दिया गया है कि लौह अयस्क निर्यात करने के बजाय हम इस्पात का निर्यात क्यों नहीं करते। लौह अयस्क का निर्यात करने के बजाय 'पैलट' का निर्यात करने का निर्णय किया गया है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है जिसके अन्तर्गत कुन्द्रेमुख नामक एक बड़ी खान परियोजना की देश में स्थापना की गई है। उस परियोजना से हम लौह अयस्क का निर्यात करने के बजाय लौह अयस्क स्लरी का निर्यात करेंगे। अन्य देशों से भी इस आशय की बातचीत की जा रही है जिससे लौह अयस्क के बजाय उन्हें 'पैलट' का निर्यात किया जा सके।

एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है हमने एक महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र चोगुले को सौंप दिया है। यह सर्वथा गलत आरोप है। सरकार इस शर्त पर इस संयंत्र की स्थापना करने को राजी हुई है कि इसमें 'सेल' के 33.3 प्रतिशत अंश होंगे, और चौगुले पास भी 33.3 प्रतिशत से अधिक अंश नहीं होंगे तथा शेष 33.3 प्रतिशत अंश जनता के होंगे। और इस प्रकार प्रबन्ध और नियंत्रण में सरकार और देश की जनता का बड़ा हाथ होगा।

वर्तमान अनुमान के अनुसार भारत में इस समय 1,00,000 लाख टन लौह अयस्क का भण्डार है। लगभग प्रतिवर्ष और अधिक लौह अयस्क खानें मिल रही हैं। सरकार इस बारे में सतर्क है कि इस महत्वपूर्ण खनिज का गैर-सरकारी व्यक्ति दुरुपयोग न करें। लौह अयस्क बोर्ड ने इसका अध्ययन किया है और सरकार को एक प्रतिवेदन पेश किया है तथा सरकार उस पर विचार कर रही है। इस दिशा में कुछ कदम उठाए जायेंगे जिससे गैर-सरकारी खान मालिक इस खनिज को नष्ट न करें।

गत वर्ष सभी इस्पात संयंत्रों में औद्योगिक सम्बन्ध आदर्श रहे। कर्मचारियों की समितियों ने बड़े सन्तोष और प्रभावकारी ढंग से काम किया। लगातार के औद्योगिक विवादों और हड़तालों के कारण दुर्गापुर में अधिष्ठापित क्षमता का केवल 30 प्रतिशत उपयोग में आ रहा था, गत मास उसी संयंत्र में 82 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ। 'इन्टक', ए०आई०टी०यू० और सी०ओ० टी०यू० तीनों कार्मिकों संघों ने पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

हमारे कर्मचारियों में एक नई जागृति आई है और सरकार उसका पूरा लाभ उठाना चाहती है। हम कर्मचारियों के सहयोग का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में करना चाहते हैं, जिससे उनमें विश्वास की भावना जागे। सबसे पहले 'शाप' स्तर पर कर्मचारयों का सहयोग लेना शुरू किया गया है। आशा है हम सर्वोच्च स्तर तक पहुंचेंगे अर्थात् प्रबन्ध बोर्ड के स्तर तक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का पूरे अधिकार प्राप्त होंगे तथा वे मूल्यवान सहयोग दे सकेंगे।

जहां तक खान विभाग का सम्बन्ध है मेरे सहयोगी श्री सुखदेव प्रसाद ने इस क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख किया है जहां तक अलौह धांतु के विकास का सम्बन्ध है पूर्व अनुमानित योजना परिव्यय में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

1975-76 में एल्यूमीनियम का रिकार्ड उत्पादन हुआ। यह 1974-75 की तुलना में 48 प्रतिशत अधिक है। एक समय था जबकि हम देश में इसका आयात करने पर विचार कर रहे हैं परन्तु अब हम उसका निर्यात करने की स्थिति में हैं। इस वर्ष भारत ने 20 हजार टन से अधिक एल्यूमीनियम का निर्यात किया।

जहां तक तांबे का सम्बन्ध है फफोलेदार तांबे का उत्पादन 1975-76 के दौरान 51 प्रतिशत अधिक हुआ तथा तांबे की तारों का 50 प्रतिशत अधिक हुआ। जिंक का भी रिकार्ड उत्पादन हुआ।

देश के औद्योगिक विकास के लिए अलौह धातु का उत्पादन बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इसमें आत्म-निर्भर नहीं हैं। सौभाग्यवश हमें देश में बाक्साइट मिल गया है। भू-गर्भीय सर्वेक्षण को 26 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया गया है जिससे वह मानचित्र बनाने और खोज कार्य को तेज कर सकें और महत्वपूर्ण खनिजों का लाभ उठाया जा सके।

हमारे यहां अभी भी तांबे का अभाव है। इसलिए मलन्ज खण्ड की खान के मिलने का बड़ा महत्व है। मलन्ज खान का विकास करने के लिए सरकार ने 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

यह आरोप लगाया गया है कि कुछ कर्मचारियों को अकारण दण्डित किया गया है। यह सच है कि कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यदि निहित स्वार्थों, समाज विरोधी और गड़बड़ फैलाने वाले तत्व इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में गतिरोध पैदा करना चाहें और मूल्यवान मशीनों को नष्ट करना चाहें तो इस्पात उद्योग के हित में कुछ कार्रवाई तो करनी होगी। परन्तु इस कार्रवाई में सरकार ने बड़ी सावधानी बरती है। महाप्रबन्धकों से कहा गया है कि श्रमिकों के दमन के लिए आपात स्थिति का उपयोग न किया जाए। तथापि मैं यह आश्वासन देता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर विचार किया जाएगा और यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसका समाधान किया जाएगा।

हमारे अथक प्रयासों के बावजूद भी जो जे० की० अल्यूमीनियम संयंत्र में काम शुरू नहीं हो पाया। बेकार श्रमिकों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे हम अवगत हैं; हमने उस मामले की जांच की है तथा एक निर्णय लिया है। संयंत्र को कुछ रियायतें दी जा रही हैं ताकि उसमें पुनः काम चालू हो जाए। आज देश में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है इसलिए विद्यमान संयंत्रों के विस्तार का अध्ययन किया जा रहा है। सलेम संयंत्र की स्थिति के बारे में सरकार पूर्णतः अवगत है। इस पर सर्वोच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि कार्य में तेजी लाने के लिए सलेम इस्पात संयंत्र को आवश्यक धन दिया जाएगा।

जहां तक विस्तार कार्यक्रम का प्रश्न है विद्यमान संयंत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। राउरकेला में विस्तार कार्यक्रम चल रहा है। सरकार चाहती है हमारा इस्पात उद्योग जहां तक संभव हो उतनी तेज से प्रगति करे।

चासनाला दुर्घटना एक बहुत दुखद दुर्घटना थी। सरकार संतप्त परिवारों को यथासंभव सहायता देने का प्रबन्ध कर रही है तथा राहत कार्य की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं। प्रत्येक परिवार को अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया गया है। पुराने नियमों के अनुसार प्रत्येक श्रमिक के परिवार को 10,000 मिलता था लेकिन हमने उसमें संशोधन किया है और नए नियम के अनुसार प्रत्येक श्रमिक को 21,000 रुपया मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। चासनाला आपात निधि में 38 लाख रुपया प्राप्त हो चुका है। इस धन का उपयोग दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को सहायता देने में किया जाएगा। सरकार ने प्रभावित परिवारों की विधवाओं को रोजगार दिया है; जिन परिवारों की विधवाओं ने इस पेशकश को स्वीकार किया उन्हें 10,000 रुपये दिए गए हैं इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को अपने मकान की मरम्मत के लिए 5,000 रुपये दिए गए हैं।

प्रत्येक परिवार को शिक्षा के लिए 10,000 रुपये दिए जायेंगे जिसे दीर्घकाल के लिए बैंक जमा खाते में डाल दिया जाएगा। बिहार सरकार प्रत्येक परिवार को मकान के लिए 0.04 एकड़ भूमि दे रही है। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को 18,000 रुपये का अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया जाएगा। वे 18 वर्ष की आयु के आश्रितों को राज्य सरकार के विभागों और उपक्रमों में रोजगार देंगे और उन्हें शिक्षा संबंधी सुविधाएं भी देंगे। उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी निशुल्क सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। विधवाओं के पुर्नविवाह को प्रोत्साहन देने के लिए यह शर्त, कि पुर्नविवाह करने पर विधवाओं को पारिवारिक पेंशन से वंचित कर दिया जाएगा, हटाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

कोयला खान कल्याण संगठनों के अस्पतालों में पत्नियों, पूरी तरह आश्रित 21 वर्ष तक की आयु के अविवाहित बच्चों तथा आश्रित माता-पिता को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। इन उपायों को लागू करने के लिए कोयला खान कल्याण संगठन में एक विशेष कक्ष का निर्माण किया गया है।

मैं उन सभी व्यक्तियों और संगठनों का आभारी हूं जिन्होंने प्रभावित लोगों की सहायता हेतु दिल खोल कर धन दिया है।

देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में इस मंत्रालय का कितना महत्वपूर्ण भाग है उसके प्रति हम पूर्णतया जागरुक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इस्पात और खान मंत्रालय की निम्नलिखित अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands for grants in respect to the Ministry of Steel and Mines were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
83	इस्पात विभाग	44,04,41,000	326,36,25,000
84	खान विभाग	23,75,000	—
83	खान और खनिज	30,04,68,000	83,52,62,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
69	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	18,27,70,000
70	न्याय प्रशासन	27,06,000

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : जन-साधारण की दृष्टि से इस मंत्रालय का वर्ष 1975-76 का रिकार्ड एक कटु अनुभव रहा है।

[**श्री भागवत झा आज़ाद पीठासीन हुए**
Shri Bhagwat Jha Ajad *in the chair*]

इस मंत्रालय ने लोगों के लिए न्याय के द्वार बन्द करके तथा न्यायपालिका का अवमूल्यन कर और देश में एकाधिकार प्राप्त पूंजीपतियों और गैर-सरकारी क्षेत्र को शक्ति-सम्पन्न बना कर अद्भुत योगदान दिया है। इस मंत्रालय के कार्यों से जनता के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें बनाए रखने में इसकी जल्दबाज़ी और अनिर्णय की भावना झलकती है परन्तु लोगों के अधिकारों को समाप्त करने में इसने बड़ी तत्परता दिखाई।

आंमुका संशोधन अधिनियम, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम और संविधान 39वां संशोधन पास करके और लोगों को न्याय न दिए जाने में अपना सहयोग देकर इस मंत्रालय ने न्याय की गंगा को मैला करने में अपना बड़ा योगदान दिया है।

स्वतन्त्र भारत में हमें अब वह अधिकार भी प्राप्त नहीं है जोकि विदेशियों के राज्य में हमें प्राप्त थे। आपातस्थिति के नाम पर वैयक्तिक स्वतन्त्रता छीनी जा रही है।

आज भाषण की स्वतन्त्रता समाप्त हो गई है। आप हमें बताते क्यों नहीं कि आंसुका के अंतर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। यह मंत्रालय क्या कर रहा है इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। मंत्रालय का प्रतिवेदन उल्लेख न किए जाने योग्य और संदिग्ध उपलब्धियों से भरा पड़ा है। उसमें मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों का कोई उल्लेख नहीं है।

प्रतिवेदन में न्यायिक सुधारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। न्याय के मिलने में बड़ी देरी होती है और न्यायालयों में बहुत से मामले विचाराधीन पड़े हैं प्रक्रिया नियमों को सरल बनाए जाने की मांग की गई है। प्रतिवेदन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सरकार ने मात्र सिविल प्रक्रिया संहिता का एक मसौदा तैयार किया जो कई महीने प्रवर समिति में पड़ा रहा तथा उसने अपना प्रतिवेदन पेश किया। पता नहीं वह सदन से चर्चा और पारित किए जाने के लिए कब लाया जाएगा।

मंत्रालय 38वां और 39वां संशोधन पारित करने का दावा करता है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका और कुछ लोगों को कानून से भी ऊपर रखा गया है। परन्तु 1975-76 में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया जो जन-साधारण को न्यायालय में जाने में सहायता दे और वह शीघ्र सस्ता न्याय पा सके।

गरीबों को कानूनी सहायता देने सम्बन्धी योजना परिहास का विषय बन कर रह गई है। गरीबों को कानूनी सहायता देने संबंधी कृष्णा अय्यर समिति का प्रतिवेदन मई 1973 में प्रस्तुत किया गया था लेकिन यह मंत्रालय में रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। पिछले तीन वर्षों से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन लोगों को कानूनी सहायता देने की आवश्यकता है जिन्हें अन्यायपूर्ण बर्खास्त किया गया है जिन्हें कार्मिक संघों के अधिकारों से वंचित किया गया है और जिन्हें अपनी भूमि से बेदखल किया गया है। कम-से-कम ऐसे मुकद्दमे दायर करने के लिए स्टाम्प शुल्क तो कम किया जाना चाहिए लेकिन यह भी नहीं किया गया है।

सरकारी रूप में प्रत्यायोजित विधि सम्मेलन गरीबों को कानूनी सहायता देने के मामले में चर्चा करने के लिए प्रकट रूप से आयोजित की जा रही है और राज्य सरकारें इन विधि सम्मेलनों को वित्तीय

सहायता दे रही है। पिछली बार पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में गरीबों को कानूनी सहायता देने के उपबंध पर चर्चा करने हेतु विधि सम्मेलन आयोजित करने के लिए 2 लाख रुपये की राशि दी थी।

गरीबों को कानूनी सहायता देने हेतु योजनाएं बनाने के लिए यह सब कल्पित बातें हैं। खेद है कि सरकार के पास न तो वकील हैं और न गरीबों की सहायतार्थ ऐसी कोई योजना ही है।

विधि विभाग ने भारतीय संहिता तैयार करने और छपवाने में भारी उपलब्धि प्राप्त करने के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा कर बातें की हैं। लेकिन यह इतनी भारी हैं कि इसको प्रयोग में कोई नहीं ला सकता।

देश में साधारण वकीलों के सामने सस्ते विधि प्रकाशनों की अनुपलब्धता संबंधी कठिनाई है। सांविधिक कानून और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम उपलब्ध नहीं हैं। इस मामले पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

दिन प्रतिदिन न्यायपालिका का जो दर्जा घटाया जा रहा है, उसे दृष्टिगत रखते हुये न्यायपालिका को दिया गया 3 पृष्ठ का आवंटन कम तो नहीं है; आज इस देश के लोगों की यह सामान्य धारणा बन गई है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीनस्थ हो गई है। जब लोगों को कार्यपालिका के निर्णयों का सामना करना पड़ता है तो उन्हें यह शिकायत है कि न्यायपालिका डरपोक और वशवती हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज न्यायापालिका कार्यपालिका के वश में हो गई है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। सरकार को न्यायपालिका और कार्यपालिका को संविधान और कानून के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का पालन करने देना चाहिए।

इस बात की भारी अफवाहें फैल रही हैं कि इस देश में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भारी संख्या में एक स्थान पर स्थानान्तरण होगा। मन्त्री महोदय सदन को बताएं कि क्या इन अफवाहों में कोई तथ्य है और यदि हां, तो कितने न्यायाधीशों का स्थानान्तरण किया जायेगा और स्थानान्तरण के लिए उनको चुनने का क्या मानदण्ड होगा।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के अनेक पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं। सरकार इन पदों को क्यों नहीं भर सकी है? अनिर्णीत पड़े मुकदमों की संख्या कम करने का क्या समाधान है?

चुनाव विधि सम्बन्धी जान समिति के प्रतिवेदन के बारे में मंत्रालय के प्रतिवेदन में एक शब्द भी नहीं लिखा है। ऐसा लगता है कि चुनाव विधि में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी कानून बोर्ड अपने कर्तव्यों का सन्तोषजनक पालन कर रहा है। कम्पनी कानून बोर्ड की न्यायपीठ भारत में विभिन्न केन्द्रों में स्थापित की जानी चाहिए। इन बोर्डों के ऐसे सदस्य होने चाहियें। जो लोगों का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर सकें। इसमें केवल कार्यपालिका के ही लोग लिए जायें बल्कि कानून के ज्ञाता भी लिये जाने चाहियें।

जहां तक एक मात्र विक्रेता एजेंसी का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की जनवरी, 1976 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1972–74 के दौरान एक मात्र विक्रेता एजेंटों को 100.8 करोड़ रुपये का कमीशन दिया गया था और इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। यद्यपि कुछेक उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगा है फिर भी यह देखना चाहिए कि इस पर कठोरता से पालन किया जाये और एकमात्र विक्रेता एजेंसी समझौतों पर अधिक प्रतिबन्ध लगाया जाये।

लागत लेखा परीक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसे बहुत से उद्योगों और कम्पनियों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।

मुकदमे सम्बन्धी जांच और परीक्षा जैसे मामलों के निपटारों की संख्या बढ़ी है। इन मामलों को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए।

संविधान के अंतर्गत अपने न्यूनतम अधिकारों के बनाये रखने में मन्त्रालय ने जनता का पक्ष नहीं लिया है। विधि मंत्री ने न्यूयार्क में कहा है कि बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लिये आवेदन पत्रों पर अब भी विचार किया जाता है। मन्त्री महोदय हमें बतायें कि क्या सरकार उच्चतम न्यायाधीश की एक विशाल न्यायपीठ बनाने का विचार कर रही है ताकि यह मामला निपटाया जा सके।

इन तथ्यों तथा तर्कों के सन्दर्भ में मैं विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
		श्री रामावतार शास्त्री		
69	15		गरीबों को कानूनी सहायता के लिए कोई निश्चित योजना का अभाव।	राशि कम करके एक रूपया की जाये।
	16		जाली कम्पनियां बनाकर लाखों रुपये का गोलमाल करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विफलता।	
69	17		जजों की नियुक्ति के समय उनके विचारों को ध्यान में रखने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
69	18.		ऐसे जजों को ही नियुक्त करने की आवश्यकता जिनकी आस्था जनतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की नीति में हो।	
69	19.		गरीबों के लिये सरकार की ओर से अच्छे वकीलों की नियुक्ति करने की आवश्यकता।	
69	20.		न्याय को कम खर्चीला बनाने की आवश्यकता।	
69	21.		न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता।	

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की मांगों के बारे में चर्चा आरम्भ करते हुये मेरे माननीय मित्र श्री सोमनाथ चैटर्जी ने जिस लोकतंत्र तथा मौलिक अधिकारों

की समाप्ति का उल्लेख किया है, वास्तव में वह तो गृह मंत्रालय कार्य है । इस मंत्रालय ने जो भी विधेयक प्रस्तुत किये हैं तैयार किये हैं उनके लिए हमें इसकी सराहना करनी चाहिए ।

मेरे मित्र ने ग्रांसुका के विरोध में भी बहुत कुछ कहा है तथा मैं स्वयं भी इसके पक्ष में नहीं हूं । परन्तु इसका विरोध हम इसलिए नहीं करते कि यदि इस उपयुक्त समय पर इसका उपयोग न किया जाता तो सम्भवतः ग्राज देश में पता नहीं क्या हो गया होता । विरोधी दलों के नेताग्रों ने घोषणा की कि वे सरकार को गिरायेंगे ग्रौर राष्ट्रव्यापी खिलाफत ग्रांदोलन चलायेंगे । उस दशा में देश में क्या कुछ होता ? ग्रतः ग्रापातकालीन स्थिति की घोषणा करनी पड़ी । देश की परिस्थितियों को देखते हुये ऐसा करना जरूरी ही था ।

ग्रापातकालीन स्थिति के दौरान राष्ट्रपति संविधान की धारा 359 के ग्रधीन ग्रधिसूचना जारी करते हैं ग्रौर मूलभूत ग्रधिकारों को निलम्बित करते हैं । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह मंत्रालय प्रजातंत्र की तोड़-फोड़ करने के लिये जिम्मेवार है । मैं ग्रापातकालीन स्थिति को लागू करने तथा ग्रंसुका संशोधन विधेयक को उचित मानता हूं ।

न्यायालय शुल्क में कमी की जानी चाहिए ताकि जनता को शीघ्र ग्रौर सस्ता न्याय मिल सके । न्यायालयों का विकेन्द्रीकरण भी किया जाना चाहिये ग्रौर मुनसिफ न्यायालय ताल्लुक मुख्यालय पर स्थापित किये जायें ताकि लोगों को सस्ता न्याय मिल सके ।

मंत्रालय राजभाषा ग्रायोग का भी प्रभारी है । लेकिन खेद है कि भारत के संविधान का सभी प्रादेशिक भाषाग्रों में ग्रभी तक ग्रनुवाद नहीं हुग्रा है । इसका तथा ग्रन्य संशोधनों का ग्रनुवाद शीघ्र किया जाना चाहिये ताकि लोगों को इनके बारे में जानकारी हो सके । इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का भी तबादला किया जाना चाहिये ताकि कार्यकुशलता बढ़ सके ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा था कि इसके लिये कोई मापदण्ड होना चाहिये । इस प्रकार से तबादले सजा के तौर पर नहीं होने चाहियें ।

श्री जगन्नाथ राव : यह कोई सजा नहीं है । इससे निश्चय ही न्यायिक प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी ।

चुनाव कानून सम्बन्धी संशोधन चुनाव से पहले ही किये जाने चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके ।

इस मंत्रालय की जिम्मेवारियां ग्रब बढ़ चुकी हैं । ग्रतः मंत्रालय को ग्रब ग्रधिक सक्रिय होना चाहिए । गरीबों को कानूनी सहायता सम्बन्धी योजना को ग्रभी तक भी लागू नहीं किया गया है । ग्रब इसे शीघ्र ही लागू किया जाना चाहिये ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विधेयक का प्रारूप तैयार करने का स्तर गिर चुका है । इसके स्तर में सुधार किया जाना चाहिये ताकि कोई यह न कह सके कि विधेयक में त्रुटियां हैं ।

मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : विधि मंत्रालय का कार्य देश के लिए कानून बनाना ग्रौर उन्हें पास करना ही नहीं है बल्कि उसे यह भी देखना चाहिए कि इन कानूनों का निष्ठापूर्वक कार्यान्वियन हो ग्रौर इन कानूनों का लाभ जनसाधारण तक पहुंचे जिनके लिए ये कानून बनाये गये हैं ।

गरीबों को कानूनी सहायता देने सम्बन्धी कानून बनाने की ग्रोर सरकार को ध्यान देना चाहिए । वकील समुदाय गरीबों को कानूनी सहायता देने के लिए ग्रागे ग्रा गया है । लेकिन हमारे देश में यह कार्य

स्वैच्छिक स्तर पर ही नहीं हो सकता है। मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में व्यापक कानून बनाने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहियें।

आपराधिक मामलों में अब कुछ कानूनी सहायता दी जाती है। इस कानूनी सहायता के उपबन्ध की प्रभावी क्रियान्विति के लिए सरकार को अनुभवी और प्रतिभाशील व्यक्तियों का संगठन बनाना चाहिये।

आज चिकित्सा कालेजों में छात्र को चिकित्सा स्नातक की उपाधि लेने से पहले उसे एक प्रकार की चिकित्सा प्रशिक्षण करना पड़ता है। लेकिन विधि का छात्र परीक्षा पास करने के तुरन्त बाद ही न्यायालय में जाकर वकालत करने लगता है और वह बहुत से मामलों में अपने मुवक्किलों का अहित कर लेता है। हमें कालेजों में ही कानूनी सहायता कक्ष खोलने चाहियें। ऐसे कानूनी सहायता कक्ष अमरीका, इण्डोनेशिया और श्रीलंका में हैं। हमें भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिये।

20-सूत्री कार्यक्रम के लाभभोक्ता समाज में ऐसे वर्ग के लोग हैं जो न्यायालय शुल्क तक का भुगतान करने की भी स्थिति में नहीं है। इन लोगों को न्यायालय शुल्क के मामले में सहायता देने के लिए कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए।

न्यायालयों में अनिर्णीत मुकदमों की संख्या बहुत अधिक है। इस सम्बन्ध में भी कुछ कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए। सरकार को उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थानों को भरना चाहिए और अधीनस्थ न्यायपालिका में सुधार करने के लिए प्रयास किए जाने चाहियें। सरकार राज्यों को निदेश दे कि अधीनस्थ न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाये। अधीनस्थ न्यायपालिका को और अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें, इससे देश में सम्पूर्ण कानूनी तन्त्र के विकास में भारी सहायता मिलेगी।

हमें कानूनों को साधारण बनाना चाहिये। हमें कानून की व्याख्या करने वाला विधान लाना चाहिए और न्यायालयों को स्पष्ट कर देना चाहिये कि व्याख्या का निर्धारण करने वाले मुख्य पहलू पर संसद् में ही वाद-विवाद हो चुका है। कानून की व्याख्या विधि से पूर्ववर्तिता का कानून समाप्त हो जाना चाहिए। 1948 या 1950 में देश में जो स्थिति थी वह अब बदल गई है। हमारी प्रवृत्ति भी बदल गई है। हमें अपनी भावना में ही परिवर्तन लाना चाहिये।

जहां तक संविधान में संशोधन करने का सम्बन्ध है, किसी भी संवैधानिक संशोधन में संसद् के अधिकार की पुष्टि की जानी चाहिए कि संसद् संविधान के किसी भाग या अंग का संशोधन करने के लिए सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न है।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : 1947 में विधि मन्त्री ने कुछ घोषणाएं की थीं। उनमें यह कहा था कि सरकार कुछ व्यापक कानून लायेगी और सम्पूर्ण वैधानिक प्रणाली में कुछ सुधार लायेगी। जिससे कानून जनता की सेवा करे। हम इस सम्बन्ध में सुनते तो आ रहे हैं लेकिन इन घोषणाओं मात्र से कुछ सुधार नहीं होगा।

भारतीय विधि संस्थान को 6 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है। मन्त्री महोदय हम यह बतायें कि इस संस्थान ने गत 18 वर्षों में अपने कार्य से क्या विशिष्ट योगदान किया है। कुछ नहीं। इस संस्थान ने हमारे अपने राष्ट्रीय विधि शास्त्र के निर्माण में कोई सहायता नहीं की है। इस संस्थान को दिया जाने वाला धन व्यर्थ जा रहा है।

[**श्री पी० पार्थसारथी पीठासीन हुए**
Shri P. Parthasarthi *in the chair*]

महान्यायवादी और महा प्रतिवक्ता अखिल भारतीय बार कोउंसिल की बैठकों में शामिल नहीं होते

हैं जिसके फलस्वरुप प्रतिक्रियावादी स्थिति का लाभ उठाते हैं और सम्पूर्ण बार एसोसिएशन पर अपना नियंत्रण कर उसका स्वयं मार्गदर्शन करते हैं । इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

हमारे कानून की प्रणाली में व्यापक परिवर्तन होना चाहिए । इस परिवर्तन से अब हमारे कानूनी प्रणाली ऐसी बने जिससे हमारे समाज के निर्धन वर्ग को सहायता मिले ।

सभी कम्पनियों में लागत लेखा परीक्षा होनी चाहिए । इससे बड़ी कम्पनियों द्वारा बनाये जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की वास्तविक उत्पादन लागत का पता चलेगा । हमें कच्चे सामान के मूल्य का भी पता लगेगा और इससे बड़ी कम्पनियों की वास्तविकता का पता चलेगा ।

बिरला हाउस के विरुद्ध 1967 से जांच चल रही है । यह जांच कार्य अब बन्द पड़ा है क्योंकि बिरला की एक कम्पनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से रोक आदेश प्राप्त कर लिया है । सरकार ने उस रोक आदेश को रद्द करने के लिए क्या कार्यवाही की है । मैं यह जानना चाहता हूं ।

न्यायालय ने अनेक मामलों में यह निर्णय दिया है कि सरकार को सेवा सम्बन्धी मामलों में अपीलें दायर करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए । सेवा की शर्तों, पदोन्नति आदि सम्बन्धी कुछ मामले दायर किये जा रहे हैं । जब तक कोई मामला अत्यधिक गम्भीर नहीं होता सरकार को इस तरह से समा-याचिकाएं दायर नहीं करनी चाहियें ।

मुफस्सिल न्यायालयों में बहुत मुकदमें जमा हो जाते हैं क्योंकि उच्च न्यायालय इनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं । अत: मुफस्सिल न्यायालयों में अतिरिक्त मामलों की संख्या कम की जानी चाहिये ।

गरीबों को कानूनी सहायता के बारे में काफी चर्चा की गई है । पीछे इस सदन में आश्वासन दिये गये कि एक व्यापक कानूनी सहायता विधेयक लाया जायेगा । मंत्री महोदय हमें बतायें कि जिन लोगों को कानूनी सहायता की जरूरत है उन्हें यह सहायता नि:शुल्क दी जाये यह बात सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : संघीय सूची में जल सीमा से बाहर मत्स्यपालन और मछलियां पकड़ने की व्यवस्था है । मत्स्यपालन का उपबन्ध राज्य सूची में भी है । यह विषय समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिये । विधि मंत्री को हमारे संविधान के कार्य संचालन के बारे में रखवाले का कार्य करना चाहिये और उन्हें इस मामले की पूरी निगरानी रखनी चाहिए तथा इसमें पैदा हुए असन्तुलन दूर करने चाहिएं ।

अपने देश में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों की तुलनात्मक संख्या देखने पर पता चलता है कि सरकारी कम्पनियों की संख्या 605 है जिनकी प्रदत्त पूंजी 5062 करोड़ रुपये है जबकि 42611 प्राइवेट कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी 2675 करोड़ रुपये है । हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम गत 25 या 30 वर्षों से कार्य कर रहे हैं । मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि हमारी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के कार्य संचालन में सुधार करने के लिए क्या कानून बनाया जा रहा है ।

चार्टर्ड एकाउन्टेंटों सम्बन्धी कानून बनाने का कार्य विधि विभाग का है । चार्टर्ड एकाउन्टेंट का व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जो पूंजीपति वातावरण में पनपा है । यह व्यवसाय एक ऐसी प्रणाली है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचती है । ऐसे कुछ लोगों को हमारे उन सरकारी उपक्रमों के, जिन्हें समाजवादी अर्थव्यवस्था के दुर्ग कहा जा सकता है, प्रभारी बनाया जा रहा है । कम्पनी कार्य विभाग को अपनी तन्द्रा से उठकर इन सरकारी उपक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाये जाने चाहियें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : देश में यह आम धारणा उत्पन्न हो गई है कि कम्पनी कानून, प्रशासन तथा कम्पनी कानून बोर्ड लोक हितों की प्रभावशाली ढंग से रक्षा करने की बजाय बड़े-बड़े एकाधिकारियों तथा बड़े-बड़े व्यापारियों के दबाव में आ गये हैं। केवल बड़े-बड़े उद्योगपति ही कम्पनी कानून बोर्ड की प्रशंसा करते हैं। शेष लोग जैसे सरकारी कम्पनियों के साधारण शेयरधारी, कर्मकार तथा अन्य लोग पूर्णतया इसके कार्यकरण से असन्तुष्ट हैं।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया किया गया है कि विभाग ने जिन 20 बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों से जो निरीक्षण प्रतिवेदन इक्ट्ठे किये हैं उनसे पता चलता है कि अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का पालन करने में कम्पनी ने कई प्रकार की त्रुटियां अथवा गलतियां की हैं। उनसे यह भी पता चलता है कि वहां कदाचार हुए हैं, कम्पनी निधियों को दूसरे ही कार्यों के लिए व्यय किया गया है और कुप्रबन्ध के मामले भी हुए हैं। वहां जो कुछ कदाचार चल रहे हैं उनकी तो यह एक झलक मात्र है।

इस प्रतिवेदन के अध्ययन से पता चलता है कि निहित स्वार्थों, एकाधिकार गृहों, बड़े-बड़े व्यापारियों द्वारा पैदा की जाने वाली बाधाओं को दूर करने में असमर्थ हैं और पूरी तरह निराश हो गये हैं। ये निहित स्वार्थ उनके कार्यों को नियंत्रित तथा नियमित करते हैं।

एकमात्र विक्रय तथा क्रय एजेन्सी के लिए करार हेतु कई आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं। किन्तु कम्पनी कानून बोर्ड के पास इन मामलों पर विस्तृत रूप से विचार करना त्यागने के अलावा कोई अन्य चारा न रहा। व्यापक रूप से विचार करने के मामले को निलम्बित रखने तक उनके पास इन लोगों को एकमात्र विक्रय तथा एक मात्र क्रय एजेन्सी के लिए करार की अंतरिम अनुमति देने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न रहा।

इसी प्रकार एकाधिकार निर्वन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत कुछ कम्पनियों तथा विदेशी एकाधिकार कम्पनियों के विरुद्ध कुछ कदाचारों तथा हेराफेरी के लिए आदेश जारी किये गये किन्तु उन्होंने उच्च न्यायालयों में समायाचिकायें दायर कर दीं और रोक आदेश प्राप्त कर लिये और इस तरह मामले रुक गये। यही बात इस अधिनियम के अन्तर्गत जांचों के साथ भी हो रही है।

यह समझना कठिन है कि कम्पनी कानून प्रशासन जयपुर उद्योग जैसे मामलों में क्या कर रहा है। इस उद्योग को निधियों का लेखाजोखा तैयार किये बिना 1½ वर्ष तक बन्द रहने की अनुमति दी गई। कोई नहीं जानता कि धन कहां-कहां व्यय किया गया है। सारा कारखाना लगभग नष्ट होने वाला है और फिर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पता चला है कि सरकार यह सुनिश्चित करने का उत्सुकता से प्रयास कर रही है कि कारखाने को पुनः चालू करने के लिए इसे ऋण तथा अतिरिक्त धनराशि कैसे दी जा सकती है। यह अच्छी बात है कि कारखाने को पुनः चालू किया जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों पर भुखमरी की नौबत पहुंच गई है। किन्तु मालिकों ने जो भ्रष्टाचार किये हैं उनका क्या होगा ?

इसके अतिरिक्त बर्ड एण्ड कम्पनी के मामले में एक प्रमुख निदेशक अधिकांश शेयरों को खरीदने की भरपूर कोशिश कर रहा है ताकि वह समूची कम्पनी पर अपना नियंत्रण कर सके। क्या यह सही नहीं है कि एक वर्ष पूर्व उसके विभिन्न गृहों पर छापे मारे गये थे

और वहां से बहुत बड़ी ऐसी धनराशि बरामद हुई थी जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं रखा गया था। ऐसे लोगों को इस प्रकार की महत्वपूर्ण कम्पनियों का निदेशक बनाये रखा हुआ है क्या इस सम्बन्ध में कम्पनी कानून बाधक बनता है? यदि हां तो मंत्रालय को कानून में संशोधन करना चाहिये।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : एक आरोप लगाया गया है कि हम वास्तविक रूप से बड़े-बड़े व्यापार गृहों की मदद कर रहे हैं। वास्तव में मंत्रालय का काम यह सुनिश्चित करना है कि एकाधिकार गृह तथा अन्य बड़े-बड़े व्यापारी जनहित के विरुद्ध कार्य न कर सकें। यही कारण है कि इस मंत्रालय ने एकाधिकार निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम बनाया गया और गत वर्ष कम्पनी कानून में अत्यधिक प्रभावशाली संशोधन किये गये हैं। यह मंत्रालय देश के विकास की नीति के अनुसार ही कार्य करने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि कम्पनी क्षेत्र के बाहर के अन्य क्षेत्रों के कार्यों को प्रोत्साहित करने का काम इस मंत्रालय का नहीं है फिर भी सरकार ने सहकारी समितियों, लघु तथा मध्यम उद्योगों और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के विकास में रुचि दखाई है।

बड़े-बड़े व्यापार गृहों को बहुत ही सीमित रूप में तथा वर्गीकृत क्षेत्रों में जहां वे प्रवेश कर सकते हैं; विस्तार करने की अनुमति दी जाती है। उन्हें उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आना होता है।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरती है कि इन गृहों का कम्पनियों से नियंत्रण हट जाये। अतः वहां से इक्विटी नियंत्रण को हटाना पड़ेगा जहां कि इक्विटी नियंत्रण 40 प्रतिशत से अधिक है। यदि यह कोई विदेशी कम्पनी हो तो उस पर नियंत्रण हटाने का फार्मूला लागू कर दिया जाता है। अन्य कम्पनियों पर भी, जब वे स्वीकृति के लिए आते हैं तो हम ये शर्तें लगा देते हैं और उन पर संपरिवर्तनीय खंड लागू कर दिया जाता है। हमने सरकार से सरकारी वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकाधिक भाग लेने की सिफारिश की है।

जहां तक 20 गृहों के निरीक्षण का सम्बन्ध है, हम निरीक्षण आरम्भ कर रहे हैं और एक नीति के रूप में सरकार ने कहा है कि जहां तक सम्भव हो सकेगा इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

एक मात्र विक्री एजेन्सी के बारे में मामला उठाया गया है। हमने सीमेंट कागज तथा कुछ अन्य उद्योगों में एकमात्र बिक्री की एजेन्सियों पर पहले ही प्रतिबन्ध लगा दिया है। हमने उन्हें रोक दिया है। इस मामले में हमें उनकी भलीभांति जांच करनी है क्योंकि यदि एक मात्र बिक्री एजेन्सियों से मूल्यों में वृद्धि होती है तो हमें उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखना होगा। अतः एकमात्र बिक्री एजेंसियों का उन्मूलन करना ही एक मामला नहीं है अपितु यह है कि कीमतों को कैसे कम किया जाये। और एकमात्र विक्री एजेन्सियों का कमीशन किस तरह घटाया जाये। हम कम्पनियों के विक्रय व्यय को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

संशोधनों के बारे में पूछा गया है कि क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। इन संशोधनों का कम्पनी प्रणाली पर काफी प्रभाव पड़ा है भूतपूर्व प्रबन्धक एजेन्सियों, निदेशकों के सम्बन्ध के बारे में प्रत्येक आवेदन पत्र का अध्ययन किया गया है और समूची प्रणाली पर पूरी निगरानी रखी गई है।

8—442LSS/76

लेखा परीक्षा उपबन्धों के सम्बन्ध में हमने अधिनियम का संशोधन किया है। लागत लेखा परीक्षा के बारे में यह कुछ उद्योगों के लिए अनिवार्य है। 20 उद्योगों के लिए हमने यह अनिवार्य कर दिया है और उन्हें अब लागत लेखा रिकार्ड में रखने होंगे।

जियाजी राव काटन मिल्स के बारे में जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया था। अन्य मामलों के लिए जांच आदेश जारी किए गए हैं। सरकार इस समूचे विधान पर विचार कर रही है और इस तरह की याचिकाएं, जिनसे सरकार का समूचा कार्यकरण अस्त-व्यस्त हो जाता है, अच्छा नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के बारे में प्रबन्धकीय पारिश्रमिक, अन्तर्-निगम ऋणों तथा कई अन्य बातों में हमने कई छूट दी हैं।

देश में सरकारी क्षेत्र के कार्यकारी लोगों का यह विचार है कि हमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक पृथक विधान बनाना चाहिए। किन्तु वर्तमान कार्यकरण प्रणाली में कम्पनी कानून विभाग को यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी क्षेत्र के मामलों में किसी तरह का विलम्ब न हो।

एकाधिकार गृहों के बारे में एकाधिकार निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत जांच की जाती है। किन्तु न्यायालय उन्हें रोक आदेश देते हैं। हम रोक आदेशों को समाप्त करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

जहां तक निदेशकों का सम्बन्ध है, यदि उसमें से किसी के विरुद्ध भी कोई मामला सही साबित हो जाता है तो उसकी नियुक्ति अस्वीकार कर दी जायेगी। आजकल नियुक्ति की स्वीकृति को रद्द करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्तियां हैं। जब कभी इस तरह के मामले उठ खड़े होते हैं तो हम शीघ्र निरीक्षण की कोशिश करते हैं और यदि आवश्यक हो तो निरीक्षण को पूरा करने के लिए उन्हें एक वर्ष का समय और दे देते हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद): यद्यपि विधि मंत्री ने बार-बार दोहराया है कि सरकार न्यायपालका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखेगी, फिर भी वे सब कुछ इसके विपरीत कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बम्बई उच्च न्यायालय के श्री ललित को न्यायाधीश के पद पर स्थायी नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने एक ऐसा निर्णय दिया जो सरकार के पक्ष में नहीं था। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री अग्रवाल का भी ऐसा ही मामला है। उन्हें कुलदीप नैयर के मामले में उनके द्वारा दिये गये निर्णय कारण स्थायी नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिऐशन ने इस प्रथा की निन्दा करने सम्बन्धी एक संकल्प पास किया है और राष्ट्रपति से अपील की है कि उन्हें पुनः नियुक्त किया जाये। इन दो मामलों से हमें यह विश्वास हो गया है कि मंत्रालय को न्यायधीशों की नियुक्ति करने की जो शक्ति दी गई है, उसका समुचित ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता।

इन लोगों को दण्डित करने के लिए इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया है और इस तरह न्यायाधीशों को एक प्रकार से यह चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने सरकार की इच्छानुसार कार्य नहीं किया तो उन की भी ऐसी दशा होगी जैसी इन न्यायाधीशों की हुई है।

अब मैं स्थानान्तरण करने की शक्ति के बारे में यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न यह है कि इस शक्ति का किस ढंग से प्रयोग किया जाता है। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों का, जिन्होंने सेंसर के विरुद्ध निर्णय दिया था और यह कहा था कि सेंसर को न्यायालयों के निर्णयों पर कोई अधिकार नहीं है और न्यायालय के निर्णय के प्रकाशन से किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलेगी, स्थानान्तरण कर दिया गया तथा स्थानान्तरण ऐसे समय पर किया गया कि उस से सर्वत्र यह धारणा पैदा हो गई कि सरकार को जो शक्तियाँ प्राप्त है, वह उनका उपयोग न्यायापालिका की स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिये नहीं अपितु उसकी स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिये कर रही है। उन न्यायाधीशों का स्थानान्तरण निर्णय देने के तुरन्त बाद किया गया था और इसलिए यह धारणा उत्पन्न हुई।

यद्यपि विधि मन्त्री श्री सेन ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि स्थानान्तरण करने की शक्ति का न्यायाधीशों के विरुद्ध दुरपयोग नहीं किया जाएगा तथापि इस मंत्रालय के कार्यकरण ने लोगों के दिलों में यह भावना पैदा कर दी है कि इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। अतः स्थानान्तरण करने की शक्ति का उपयोग एक दंडकारी विधान के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

कुछ समय पहले जब न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो ये शिकायतें की गई थीं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में पक्षपात किया जाता है। इस सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक सिफारिश की थी जिस के अनुसार एक तिहाई न्यायाधीश अन्य राज्यों से होने चाहियें।

दूसरे मैंने यह सुझाव भी दिया था कि कुछ ऐसी प्रथा बना ली जाए कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस राज्य से न होकर अन्य राज्य का हो। परन्तु सरकार अभी तक इस सिफारिश पर मौन बैठी है और इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है।

जहां तक चुनाव सम्बन्धी सुधारों का सम्बन्ध है, इसके लिये सभा में तथा सभा से बाहर मांग की गई थी। चुनाव आयोग ने कुछ सिफारिशें की थीं। एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था तथा उसने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। सरकार ने उस के आधार पर एक विधेयक का प्रारुप तैयार किया था, परन्तु उसे उस को पेश करने का समय नहीं मिला, जब कि प्रधान मंत्री के चुनाव को संरक्षण देने के लिये उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का समय मिला गया। मेरी शिकायत यह है कि सरकार की वर्तमान चुनाव पद्धति निहित हितों को आश्रय देती है।

जहां तक निर्धनों को कानूनी सहायता देने का प्रश्न है, समाज के कमजोर वर्गों के कानूनी सलाह देने के लिये एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिये। ऐसा करना भारतीय इतिहास के अनुकूल होगा।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के कार्य को आपात स्थिति की घोषणा के वृहद संदर्भ में आंकना होगा। मंत्रालय को ऐसे कानून बनाने तथा पारित करने में सहायता करने को कहा गया जो आपात के उद्देश्यों को निष्ठा से पूरा कर सकें। आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम पास किया गया। तस्करों की सम्पत्ति सम्पहरण

अधिनियम बनाया गया तथा प्रेस सेंसरशिप अधिनियम पास किया गया। यह सारे अधिनियम संसद द्वारा अपेक्षित बहुमत से पास किये गये : अतः यह आरोप लगाना निराधार है कि न्यायलय की शक्तियों का हनन किया जा रहा है । जहां तक इस मंत्रालय के कार्य का सम्बन्ध है और जिस प्रकार उसने कानून बनाये हैं उन की वैधता को देश के उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। उच्चतम न्यायालय ने हाल में एक निर्णय दिया है कि आपात की स्थित में कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति को उस की वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। परन्तु किसी भी अधिकारी की इतनी निर्बाध शक्तियां देना उचित नहीं होगा। वह उन का दुरुपयोग कर सकता है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति के अनुकूल है, यह देखना संसद का कार्य है कि उसे किसी ढंग से अपनाया जाय। मेरा कहने का अर्थ केवल इतना है कि यदि कोई कार्यपालिका संसद अथवा राज्य विधान मंडल द्वारा पास किये गये कानून के अनुसरण में कोई ऐसी कार्यवाही करती है जिस से किसी व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता कम होती है तो ऐसी कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती ।

जहां तक न्यायाधीशों के स्थानान्तरण तथा स्थायीकरण का सम्बन्ध है प्रत्येक वकील और वादी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि न्यायपालिका लोगों की आशाओं के अनुकूल कार्य नहीं कर रही है। वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रहीं है, जैसीकि उस से आशा की जाती है । अतः इन बातों पर नियंत्रण के लिये सरकार को विधान बनाना चाहिये। जहां तक स्थानान्तरण का सम्बन्ध है, यदि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानान्तरण दूसरे उच्च न्यायालय में कर दिया जाता है, तो इस से किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये । विपक्ष को उन की वकालत नहीं करनी चाहिये। सुझाव तो यह है कि प्रत्येक न्यायालय के एक तिहाई न्यायाधीश अन्य राज्यों से होने चाहियें। इस प्रकार सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी उसी राज्य के उच्च न्यायालय से नहीं होने चाहियें अपितु अन्य राज्यों से होने चाहियें।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पाण्डिचेरी) : सरकार को पाण्डिचेरी में एक उच्च न्यायालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। मैं यह मांग कई बार दौहरा चुका हूं। मद्रास उच्च न्यायालय पाण्डिचेरी के लोगों की कठिनाइयों को अच्छी तरह नहीं समझ सकता। दूसरी कठिनाई यह है कि पाण्डिचेरी के वादियों को अपने मुकद्दमे लड़ने के लिये मद्रास जाना पड़ता है। इसमें उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः पाण्डिचेरी में उच्च न्यायालय की स्थापना करना बहुत जरूरी है।

जनता में यह आम धारणा हो गई है कि अमुक न्यायाधीश भ्रष्ट हैं। लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ गया है। जनता प्रायः यह समझने लगी है कि न्यायपालिका समाप्त हो गई है यह तो मैं नहीं कहना चाहता कि इस स्थिति के लिये जिम्मेदार कौन है, परन्तु यह बात स्पष्ट है कि जब न्यायपालिका में आस्था न रहे तो न्याय प्राप्त नहीं हो सकता : अतः न्याय दिलाने के लिये उचित वातावरण बनाया जाना चाहिये ।

SHRI RAM SINGH BHAI (Indore) : The Government is determined to put an end to black money. To my mind company law is the main source of black money. The company laws should be reviewed in details and all the loopholes contained therein should be pluged. Though certain amendments have been made in the company law, but it still needs further amendments to make it foolproof.

Auditing of the companies accounts is the responsibility of Chartered Accountants. These Chartered Accountants indulge in corrupt practice and the accounts audited by them and the balance sheets prepared by them are not dependable. The Charatered Accounts system should be abolished and the accounting and auditing of the companies should be taken over by Government.

The Government have recently taken over 103 mills. My submission is that while taking over a particular mill first priority should be given to the man and not to the material and machines. I mean to say that the worker, his gratuity his wages, and provident fund should be the first concern of the Government and not the creditors. It should be ensured that all the dues of the workers are paid in time.

I would also like to point out that the Managing Directors of the companies in the public sector are indulging in corrupt practices. Action should be taken against them.

SHRI M.C. DAGA (Pali) : Justice is very costly in our country. It has become the preserve of the privileged far, who are moneyed and educated. It is out of the approach of the poor people. I would like to quote a few lines from the 27th Report of the law Commission which was submitted 15 years back. It has been stated therein that it is one of the primary duties of the state to provide the machinery for administration of justice and on principle it is not proper for the state to charge fee from the suitors in courts. The Government have been repeating every year that justice will be made cheaper and easy and court fee writ be reduced. I want to know as to what has been increased rather than making any reduction therein. Is this the way of providing justice to the poor. The need of the hour is that court fees should be reduced considerably, if the abolition thereof is not possible.

So far as income tax is concerned about 20,000 cases are pending in various High courts. Despite the fact that tribunals have been constituted for hearing appeals in income tax cases, so many cases are pending in the High Court. The Tribunals should be given final power in the matter of income tax and no appeal should be allowed against their decision either in the High Court or in the Supreme Court.

In order to bring efficiency in the administration, Article 311 and 226 of the Constitution should be amended.

It is a common saying that charity begins at home. So whatever you want to introduce should be introduced in the union territory, so that the States may follow.

So far as the question of providing legal aid to the poor this question has been pending for the last twenty years. A scheme should be formulated for providing legal aid to the poor and that scheme should be properly implemented.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं यह कहना चाहता हूं कि आपात की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय, इन दो मंत्रालयों ने कानून की सर्वोच्चता तथा भाषण देने की स्वतंत्रता को निरर्थक बनाने के लिये कई कार्य किये हैं। सरकार ने संविधान में चार संशोधन किये हैं। यह बड़ी लज्जा की बात है कि संशोधन संख्या 38 और 39 ने कानून की सर्वोच्चता को निरर्थक बना दिया है। प्रतिवेदन के पृष्ट 29 पर कहा गया है कि आपात की घोषणा 25 जून को की गई थी, जब कि इस की घोषणा 26 जून को हुई थी। क्या इस को पहले से ही सोच लिया गया था या बाद में ऐसा सोचा गया था। प्रतिवेदन के पृष्ठ 53 में कहा गया है कि न्यायाधीश के कई पद रिक्त पड़े हैं। जब कि कई हजार मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं, मैं यह

जानना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कई पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं। सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिये।

हमें कानून के गुणों की ओर ध्यान देना चाहिये तथा केवल कानून के परिमाण से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिये। कानून के गुणों की रक्षा की जानी चाहिये।

कानून की सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया है। क्या मंत्री महोदय इस कथन का खण्डन कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों तथा एक मुख्य न्यायाधीश का स्थानान्तरण किया जा रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

चिट फण्ड कम्पनियों ने लोगों को लाखों करोड़ों रुपये का धोखा दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि चिट फण्ड और बड़ी कम्पनियों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है। गरीबों को कानूनी सहायता के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि तीन वर्ष पूर्व मई, 1973 में न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने निर्धनों को कानूनी सहायता देने के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मंत्रालय अभी तक इस का अध्ययन कर रहा है। क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही करने का उल्लेख करेंगे, ताकि गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके।

हम सब प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और निर्धनों के लिये न्याय चाहते हैं। परन्तु इसके लिये हमें प्रजातंत्र और कानून की सर्वोच्चता को समाप्त नहीं करना चाहिये।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मुहम्मद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वादविवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। श्री पी० जी० मावलंकर ने अनेक विशलेषणों का प्रयोग किया था। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम विशलेषणों से उत्तेजित होने वाले नहीं हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि विधि विभाग ने कोई कथनीय उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। हम अपनी उपलब्धियों की प्रशंसा नहीं चाहते। हमारी उपलब्धि विधानों में निहित है और इन विधानों के परिणामस्वरूप हमारी भावी पीढ़ियों के लिये उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। उनकी समृद्धि यही हमारी उपलब्धियों का मूल्यांकन करेगी।

यह भी कहा गया है कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम अच्छा अधिनियम नहीं है। हमारी विचारधारा के अनुसार किसी भी कानून के अच्छे या बुरे होने का निर्णय तब होता है जब उस को न्यायालय में चुनौती दी जाती है और देश का उच्चतम न्यायालय उस पर अपना निर्णय देता है। आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम को न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उच्चतम न्यायालय, जो देश की सर्वोच्च न्यायापालिका है, ने अपना निर्णय दे दिया है।

न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के बारे में भी उल्लेख किया गया था। यह कहा गया था कि जिन दो न्यायाधीशों ने नैयर के मामले में निर्णय दिया था, उन का स्थानान्तरण कर दिया गया है। उन का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। न्यायाधीशों का स्थानान्तरण विशिष्ट

सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है। बदला लेने या सरकार के विरुद्ध निर्णय देने के कारण उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जाता । यदि हम यह महसूस करते हैं कि न्याय के हित के लिये न्यायाधीश के स्थानान्तरण के संगत कारण हैं तो हम उनका निश्चित ही स्थानान्तरण कर देते हैं चाहे किसी की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया कुछ भी हो।

यह भी कहा गया है कि हम न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों को नहीं भर रहे हैं। हमें संविधान के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों जैसे मुख्य मंत्रियों, मुख्य न्यायाधीशों आदि की सलाह लेनी पड़ती है। हम ऐसे व्यक्तियों का चयन करते हैं जो पद पर कार्य करने के लिये तैयार हों।

यह भी कहा गया है कि हम ने निर्वाचक विधि का संशोधन नहीं किया है। इस बात को सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस सम्बन्ध में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तथा उस पर चर्चा भी हुई थी। विधि मंत्री ने इस विषय पर कई बार चर्चा करनी चाही किन्तु प्रतिपक्ष के सदस्य सभा में नहीं आए। हम ने सोचा कि विरोधी दलों से इस विषय पर बातचीत करके उनकी राय जान लेंगे। लेकिन उन के असहयोग के कारण हम इस कार्य को पूरा नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में दोष हमारे सिर पर नहीं मढ़ा जा सकता।

मुकद्दमे बाजी पर होने वाले खर्च की ओर सरकार का, इस सभा का तथा बाहर के लोगों का ध्यान गया है। न्यायालय की फीस भी एक कारण है। मुकद्दमे में लगने वाला समय भी खर्च बढ़ा देता है। हम अपनी ओर से उन कारणों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन से खर्च बढ़ता है। हम ने सिविल प्रक्रिया संहिता तथा अन्य विभिन्न उपबन्धों का संशोधन किया है। राज्य सरकारों को सिफारिशें की गई हैं। आशा है वे न्यायालय फीस कम करने की बात मान लेंगी।

अधिकांश वक्ताओं ने कानूनी सहायता का उल्लेख किया है। यह सच है कि इस सम्बन्ध में कुछ वर्ष पूर्व न्यायाधीश कृष्णा अय्यर का प्रतिवेदन पेश किया गया था। हमने मामले का अध्ययन किया है और कुछ प्रश्नों पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीशों और मुख्य मंत्रियों की राय जानने के हेतु हमने उन्हें उन के पास भेजा है। इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिक्रियायें हमें प्राप्त हुई हैं, लेकिन अन्य लोगों ने अभी तक इस पर राय प्रकट नहीं की है। कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और कुछ हद तक केरल ने कुछ योजनायें शुरू की हैं। चाहे वे संतोषजनक हैं अथवा नहीं लेकिन हमारा प्रयास यह है कि यदि संभव हो सके तो कानूनी सहायता की प्रतिक्रिया को तीव्र बनाने तथा संगत कानून लागू करने के लिये एक समान दृष्टिकोण अपनाया जाये।

जहां तक न्यायाधीशों द्वारा कानून की व्याख्या करते समय संसद में हुए वादविवाद को ध्यान में रखने का प्रश्न है यह आम तौर पर स्वीकार किया गया है कि संसद में विधेयक के पेश करते समय दिये गये भाषणों पर निर्भर करना सुरक्षित नहीं है।

मत्स्यपालन के सम्बन्ध में एक अन्य बात प्रविष्टि 57, सूची 1 और प्रविष्टि 21 के बारे में कही गई है। समुद्री सीमा के अन्तर्गत जलक्षेत्र को राज्य की सम्पत्ति माना जाता है। अतः सीमा के अन्तर्गत जलक्षेत्र में मत्स्यपालन राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रखा गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने न्यायालयों में भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। इस देश के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश भ्रष्टाचार से परे हैं। यदि कोई न्ययाधीश भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो उसे दण्ड अवश्य मिलना चाहिये। हम ऐसा करने में झिझकेंगे नहीं।

नगरपालिका की स्वतंत्रता का एक अलग ही अर्थ लिया जाता है। यदि कोई न्यायाधीश सरकार के विरूद्ध निर्णय देता है तो इसे बड़ा स्वतंत्र मान लिया जाता है, यदि सरकार के पक्ष में निर्णय देता है तो उसे स्वतंत्र नहीं माना जाता यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है।

यह कहा गया है कि विधि संस्थान कोई कार्य नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विधि संस्थान पुस्तकों का प्रकाशन करता है, विद्यार्थियों को पढ़ाता है, अनुसंधान कराता है, पत्रिका का प्रकाशन करता है, विशेषज्ञों को बुलाकर उनके भाषण करवाता है। कोई भी विधि संस्थान यही सब कार्य करता है। फिर भी कहा जा रहा है कि विधि संस्थान ने एक राष्ट्रीय न्याय विज्ञान नहीं बनाया है। किसी भी संस्था द्वारा राष्ट्रीय न्याय विज्ञान नहीं बनाया जाता। देश के सामान्य कानून और अन्य विभिन्न बातों से धीरे-धीरे इसका विकास होता है।

न्यायालय की कार्यवाहियों में विलम्ब के कारण मुकदमों का फैसला नहीं हो पाता। हम इस विलम्ब को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। सभी स्तरों पर मुकदमों का तुरन्त निपटान हो इसके लिए भी हम कार्यवाही कर रहे हैं।

भाषा आयोग के बारे में भी कुछ बात कही गई है। जहां तक संविधान के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद का प्रश्न है, स्थिति यह है कि मलयालम में अनुवाद किया जा चुका है, अभी हाल ही में कन्नड में अनुवाद निकला है, पंजाबी में भी तैयार है, इसे शीघ्र ही जारी किया जायेगा। लगभग 8 भाषाओं में अनुवाद पूरा होने को है जो शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा। विधेयकों के अनुवाद में त्रुटियाँ होने के सम्बन्ध में जो कहा गया है वह ठीक नहीं। कोई विशेष मामला बताइये तो हम उस की ओर ध्यान देंगे।

विधि मंत्रालय के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि वह कानूनों का कार्यान्वयन नहीं करता। यह आरोप निरर्थक है क्योंकि विधि मंत्रालय केवल कानून बनाता है। विभिन्न कानूनों का कार्यान्वयन करना सम्बद्ध विभागों का काम है।

श्री स्वामीनाथन ने मदुरै में आय-कर न्यायाधिकरण के बारे में पूछा। मैं जानकारी प्राप्त करूंगा कि क्या मदुरै में एक नई बैंच स्थापित हो गई है। जहां तक चुनाव सुधारों के बारे में विपक्ष के साथ वार्ता का प्रश्न है, इस बारे में एक अनौपचारिक समिति बनाई गई है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut Motions were put & negativated.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1976-77 के लिए लेखानुदानों की निम्नलिखित मागें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands for Grants on Account for the year 1976-77 were put & adopted.

मांग संख्या	शीर्षक		राशि (रुपये)	
1	2	3	4	
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय			
69.	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय	3,65,54,000	18,27,70,000	..
70.	न्याय प्रशासन	5,41,000	27,06,000	..

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम शेष मंत्रालयों की निम्नलिखित मांगों पर चर्चा करेंगे :

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित मंत्रालयों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands in respect of the following Ministries were put & adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
			(रुपये)
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
11.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	26,67,000	—
12.	रसायन और उर्वरक उद्योग	16,46,000	409,96,49,000
	संचार मंत्रालय		
15.	संचार मंत्रालय	1,16,57,000	6,96,67,000
16.	विदेश संचार सेवा	7,77,42,000	6,04,08,000
17.	डाक और तार—कार्यकरण व्यय	461,74,58,000	—
18.	डाक और तार —सामान्य राजस्व को लाभांश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी	128,34,77,000	—
19.	**डाक और तार पर पूंजी परिव्यय**		176,73,33,000

1 2	3	4	5	6
वित्त मंत्रालय				
33. वित्त मंत्रालय	5,63,24,000		28,16,17,000	—
34. स्टाम्प	2,98,82,000	30,71,000	14,94,11,000	1,53,54,000
35. लेखा परीक्षा	10,83,10,000	—	54,15,50,000	—
36. करेंसी, सिक्का, निर्माण और टक्साल	6,78,15,000	3,98,51,000	33,90,73,000	19,92,56,000
37. पेंशन	10,50,00,000	—	52,50,00,000	—
38. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	125,32,51,000	—	266,61,49,000	—
39. वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	33,13,39,000	34,93,56,000	137,42,57,000	1,74,67,77,000
40. सरकारी सेवकों आदि को उधार	—	8,83,33,000	—	38,16,67,000
राजस्व और बैंकिंग विभाग				
41. राजस्व और बैंकिंग विभाग	79,71,000	13,91,97,000	3,98,54,000	69,59,86,000
42. सीमा शुल्क	4,14,94,000	—	20,74,71,000	—
43. संघ उत्पाद शुल्क	7,14,17,000	—	35,70,83,000	—
44. आय पर कर, संपदा शुल्क, धन कर और दान कर	6,83,33,000	—	34,16,67,000	—
45. अफीम और एल्कलाइड फैक्टरियां	19,94,33,000	11,23,000	5,55,67,000	56,14,000
योजना मंत्रालय				
73. योजना मंत्रालय	1,17,000	—	5,88,000	—
74. सांख्यिकी	1,69,44,000	—	8,47,19,000	—
75. योजना आयोग	78,52,000	—	3,92,59,000	—
76. विज्ञान और प्राद्योगिक विभाग	1,80,19,000	24,83,000	9,00,93,000	1,24,17,000
77. भारतीय सर्वेक्षण	2,96,32,000	—	14,81,57,000	—

78. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुदान	7,40,64,000	—	37,03,23,000	—
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय				
86. पूर्ति विभाग	3,89,000	—	19,47,000	—
87. पूर्ति और निपटान	1,33,06,000	—	6,65,30,000	—
88. पुनर्वास विभाग	4,07,64,000	1,57,79,000	20,38,22,000	7,88,98,000
निर्माण और आवास मंत्रालय				
93. निर्माण और आवास मंत्रालय	9,88,000	—	49,42,000	—
94. लोक निर्माण	9,51,07,000	2,45,86,000	47,55,35,000	12,29,30,000
95. जलपूर्ति और मल निकासी	22,22,000	—	1,11,13,000	—
96. आवास और शहरी विकास	1,68,41,000	3,37,88,000	8,42,03,000	16,89,40,000
97. लेखन सामग्री और मुद्रण	4,76,22,000	—	23,81,09,000	—
परमाणु ऊर्जा विभाग				
98. परमाणु ऊर्जा विभाग	7,34,000	—	36,68,000	—
99. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास	9,46,52,000	16,94,48,000	44,13,46,000	77,58,29,000
100. न्यूक्लीय विद्युत स्कीमें	6,42,05,000	9,18,93,000	32,10,25,000	45,94,66,000
इलैक्ट्रानिक्स विभाग				
103. इलेक्ट्रानिक्स विभाग	1,29,28,000	37,09,000	6,46,44,000	1,85,41,000
अंतरिक्ष विभाग				
104. अंतरिक्ष विभाग	5,61,88,000	1,43,84,000	28,09,37,000	5,99,16,000
संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग				
105. लोक सभा	76,19,000	—	3,69,14,000	—
106. राज्य सभा	30,93,000	—	1,54,65,000	—
107. संसदीय कार्य विभाग	3,29,000	—	16,43,000	—
108. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	95,000	—	4,77,000	—

विनयोग (संख्या 4) विधेयक, 1976

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष, 1976-77 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं :

मैं प्रस्ताव करता हूं "कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 12 मई, 1976/22 वैशाख, 1898 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday the 12th May, 1976/ Vaisakha 22, 1898 (Saka).

442 LSS/76—GIPF.